अनुक्रमणिका

हिन्दी सामान्य

क्रमांक	पाठ्यवस्तु का विवरण	पृष्ठ संख्या
1.	पाठ्यक्रम कठिन विषयवस्तु, भाषा शिक्षण	1–4
2.	हिन्दी एवं पद्य साहित्य का इतिहास, पाठ्यक्रम आधारित व्याख्या सौंदर्य बोध पर प्रश्न	5–13
3.	गद्य साहित्य का इतिहास–गद्य शिक्षण, उद्देश्य, महत्व, प्रणाली एवं आदर्श पाठ योजना	14–34
4.	हिन्दी साहित्य का इतिहास	35–41
5.	व्याकरण शिक्षण–उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, वाक्य परिवर्तन, वर्तनीगत अशुद्धियाँ, लोकोक्ति, मुहावरे एवं पाठ योजना	42–79
6.	अपठित, पत्र–लेखन निबन्ध	80–88
7	प्रायोजना कार्य एवं पाठ्येत्तर अन्य गतिविधियाँ	89–90
8	मूल्यांकन, प्रश्न–पत्र की संचरना हेतु निर्धारित–ब्लूप्रिण्ट, आदर्श प्रश्न–पत्र एवं उत्तर	

पाठ्यक्रम
परीक्षा : हायर सेकण्डरी
कक्षा :– XI
विषय :– हिन्दी सामान्य

समय : 3 घण्टे **पूर्णांक :– 100**

इकाई क्र.	पाठ्यक्रम का विवरण	आवंटित अंक
01	**पद्य खण्ड –** पद्यांश की व्याख्या, सौन्दर्य बोधएवं विषयवस्तु पर प्रश्न	25
02	**गद्य खण्ड –** अर्थग्रहण एवं विषयवस्तु पर प्रश्न	25
03	**हिन्दी साहित्य का इतिहास–** कहानी एवं एकांकी विकासक्रम	05
04	**व्याकरण भाषा बोध –** भाषा बोध, शब्द निर्माण, उपसर्ग, प्रत्यय सन्धि, समास, विलोम, पर्यायवाची, भाव पलवन/भाव विस्तार, मुहावरे/लोकोक्तियाँ	20
05	**अपठित बोध –** गद्यांश एवं पद्यांश	10
06	**पत्र – लेखन**	05
07	**निबन्ध लेखन**	10
	योग	**100**

पाठयक्रम में कठिनविषयवस्तु का विवरण

ईकाई कमांक

1. **पद्यखंड–**

काल, कवि एवं उनकी रचनाओं में भ्रम
रचनाएँ, भाषाशैली, जन्म आदि में कठिनाई
अर्थ ग्रहण तथा सौन्दर्य बोध
अध्ययन की कमी

2. **गद्यखंड –**

कुछ विधाओं में भ्रम (कहानी–उपन्यास, एंकाकी–नाटक, रेखाचित्र–संस्मरण, जीवनी–आत्मकथा) तथा आलोचना और गद्य काव्य विद्या की जानकारी व्यावहारिक रूप में नही।
भाषा शैली समझने में कठिनाई
गूढ़ अर्थ समझने में कठिनाई
अध्ययन की कमी

3. **सहायकवाचन –**

उच्चारण गत एवं वर्तनीगत अशुद्धियां

4. भाषाबोध–

अल्प विराम एवं पूर्ण विराम में भ्रमित
व्यवस्थित क्रम में न रखना।
वाक्य में प्रयोग सही प्रकार से नहीं कर पाना

5. **भाव विस्तार–**

समझने की अपेक्षा छात्र याद करते है।
भाव विस्तार करने में कठिनाई अनुभव करते हैं। अध्ययन की कमी

6. अपठित बोध–

गद्यांश की विषय वस्तु अपने शब्दों में न लिख पाना।

7. **पत्र लेखन –**

पूर्व ज्ञान की कमी।

8. **निबंध लेखन –**

भाव तथा विचार सामग्री का अभाव प्रभावशीलता की कमी पूर्व ज्ञान से अपरिचित होने के कारण मौलिकता का अभाव, सटीक विषय वस्तु लिखने की कमी, भाषा संबंधी त्रुटियाँ, क्रमबद्धता की कमी

भाषा शिक्षण

चर्चा के बिन्दुः–

- **भाषा**: एक परिचय
- उद्देश्य
- भाषा की समस्याएँ

भाषा: एक परिचयः–

जो भी भाव हमारे मन में उठते हैं, उन्हें दूसरों को समझाने का सबसे अच्छा साधन भाषा है। यूँ तो आँख, सिर और हाथ आदि के इशारों से भी मन के भाव समझाये जा सकते हैं, पर भाषा के द्वारा जितनी शीघ्रता, सुगमता और स्पष्टता से भाव प्रकट किये जा सकते हैं, उतनी सरलता से दूसरे साधनों द्वारा नहीं।

ईश्वर ने हमें वाणी भी दी है और बुद्धि भी। हमने इन दोनों के उचित संयोग से भाषा का आविष्कार किया है। भाषा ने भी इसके बदले में हमें इस योग्य बनाया है कि हम अपने मन की बात एक–दूसरे से कह सकें, अपना सुख–दुःख दूसरों को सुना सकें और दूसरों का सुख–दुःख स्वयं समझ सकें।

अतः भाषा मनुष्य की सार्थक व्यक्त वाणी हैं, जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों, विचारों और भावनाओं को व्यक्त करता है।

उद्देश्यः–

भाषा किसी बालक के स्वयं के प्रयत्न अथवा औपचारिक शिक्षण के बिना विकसित होती है। यह अत्यन्त सरल और सशक्त भाषा है तथा हमारे देश में युगों से विचार–विनिमय का माध्यम हिन्दी ही है। हिन्दी राष्ट्रभाषा होने के साथ ही साथ यह हमारे प्रदेश की प्रथम भाषा है। अतः हिन्दी भाषा शिक्षण के उद्देश्य निम्नानुसार निश्चित किये जा सकते हैं–

(1) किसी भी बात को ठीक–ठाक समझना, बोलना, लिखना एवं पढ़ना।
(2) प्रभावशाली ढंग से अपनी बात दूसरों को समझाना।
(3) लिखने और बोलने की शैली के एक अपने निरालेपन के लिए।
(4) रचना के विविध–रूपों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए।
(5) हिन्दी भाषा और साहित्य में रुचि जाग्रत करने के लिए।
(6) नैतिक मूल्यों का विकास।
(7) व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध, प्रभावशाली और मधुर भाषा का प्रयोग।
(8) भाषा में चमत्कार और सौन्दर्य लाने के लिए।

इस प्रकार भाषा शिक्षण का उद्देश्य विद्यार्थियों को शुद्ध, प्रभावोत्पादक, मधुर और रमणीय ढंग से बोलना और लिखना सिखाना है; क्योंकि बात कहना कठिन नहीं है, बल्कि बात करने का ढंग कठिन है।

भाषा शिक्षण की समस्याएँः–

हिन्दी भाषा किसी क्षेत्र विशेष की न होकर, एक विशाल क्षेत्र की भाषा है और इस विशाल क्षेत्र में विभिन्न बोलियाँ भी समाहित हैं। कक्षा में विभिन्न बोलियाँ बोलने वाले बच्चे आते हैं, जिनका भाषा बोलने, समझने और लिखने का अपना अलग–अलग ढंग होता है इसलिए भाषा–शिक्षण में अनेक समस्याएँ आती हैं; इनके अलावा भी मुख्य–रूप से कुछ समस्याएँ ऐसी हैं, जो सभी तरह के बच्चों के साथ आती हैं। वे निम्नलिखित हैं :–

(1) शुद्ध उच्चारण का अभाव।
(2) उचित प्रवाह तथा उतार–चढ़ाव के साथ बातचीत न कर पाना।
(3) मानक भाषा के समुचित ज्ञान का अभाव।
(4) उच्चारण में बोलियों का प्रभाव होने के कारण।
(5) व्याकरण के अनुसार शुद्ध वाक्य रचना का अभाव।
(6) वर्तनीगत अशुद्धियाँ।
(7) स्वतन्त्र–रूप से विचारों को अभिव्यक्त करने की क्षमता का अभाव।

कठिनाइयों का समाधानः–

- प्रत्येक बच्चे को बोलने का पर्याप्त अवसर दिया जाए। सत्रारम्भ में भाषा–शिक्षण का समय एक या दो सप्ताह तक केवल उच्चारण एवं वर्तनी–शिक्षण के लिए दिया जाए।
- कक्षा में आयोजित मौखिक रचना–कार्य, जैसे–वार्तालाप, संवाद प्रतियोगिता, वाद–विवाद, कविता पाठ आदि के प्रसंग में भी उच्चारण शिक्षण का अवसर सरलता से प्राप्त किया जा सकता है।
- व्याकरण पाठों में भाषा–कार्य के अन्तर्गत शब्दार्थ, शब्द प्रयोग एवं शब्द रचना में सन्धि, उपसर्ग, प्रत्यय, लिंग, वचन, विकार आदि के कारण शब्दों के रूप बदल जाते हैं और उनके उच्चारण में अशुद्धियाँ हो जाती हैं। अतः ऐसे स्थलों पर उच्चारण की शुद्धता पर बल देना आवश्यक है।
- शिक्षक का उच्चारण सर्वथा शुद्ध और स्पष्ट होना चाहिए, जिससे बालक उसका अनुकरण कर शुद्ध उच्चारण सीख सकें।
- छात्रों को मानक शब्दों की सही–सही जानकारी देकर उनका अभ्यास कराया जाए।
- जिस स्थान विशेष पर अशुद्धि होती है, उस स्थान विशेष का शुद्ध उच्चारण के द्वारा अभ्यास करवायें।
- अनेक उदाहरणों द्वारा उसके शुद्ध उच्चारण की आदत को स्थायी बनाएँ।
- कक्षा में सम्बन्धित विषय पर पर्याप्त चर्चा करें तथा बच्चों को स्वतन्त्र रूप से अभिव्यक्ति के पर्याप्त अवसर दें।

कविता का स्वरूप

कविता प्रायः पद्यात्मक और छन्दबद्ध होती है। चिन्तन की अपेक्षा उसमें भावनाओं की प्रधानता होती है। उसका उद्देश्य सौन्दर्य की अनुभूति द्वारा आनन्द की प्राप्ति कराना होता है।। अनुषंगिक रूप से कविता द्वारा भावों की समृद्धि होती है। दृश्यजगत के सत्य को कवि सुन्दर और मंगलकारी बनाकर कविता के माध्यम से सहृदय तक प्रेषित करता है। आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने कविता के सम्बन्ध में विचार व्यक्त करते हुए लिखा है कि ''जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रसदशा कहलाती है। हृदय की इसी मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आयी है, उसे कविता कहते हैं।''

कविता में रागतत्व की प्रधानता होती है, उसमें मधुर जिज्ञासा उत्पन्न करने और उसे तृप्त करने की शक्ति रहती है– ''कोलरिज' ने कविता को आवेगमयी भाषा की ऐसी ही रचना कहा है। विभिन्न विद्वानों के विचारों से अवगत होने के पश्चात् यह स्पष्ट होता है कि कविता ललित एवं लयपूर्ण पदों से युक्त वह रचना है, जिसमें भावावेश और कल्पना की प्रधानता होती है और समाज का सूक्ष्म निरीक्षण कवि के सत्य का रूप धारण कर लोक का कल्याण एवं मंगल का विधान करता है। कविता के स्वरूप को समझने के लिए हमें उसके बाह्य और आन्तरिक दोनों रूपों पर विचार करना चाहिए।

कविता का बाह्य तत्व

लय– कविता के बाह्य रूप में सबसे प्रधान तत्व उसकी लय है। भाषा के प्रवाह में नियमित उतार–चढ़ाव से लय का जन्म होता है। लय एक प्रकार से हमारे जीवन का आधार है। कविता में लय का प्रयोग विशेष प्रभाव उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। कविता का आनन्द कुछ सीमा तक उसकी लय पर भी निर्भर है। कविता की यह लय शब्दों को एक विशेष क्रम में संजोने के कारण आती है। इस संकलन के कुछ प्रमुख उदाहरण निम्नवत् हैंः

फैली खेतों में दूर तलक, मखमल सी कोमल हरियाली।
लिपटी जिसमें रति की किरणें चाँदी की सी उजियाली।।

(*ग्रामश्री*–**पन्त**)

आधुनिक कविताएँ प्रायः छन्दोबद्ध नहीं होती और न तुकान्त ही, पर उनमें शब्द और अर्थ के आधार पर लय का ध्यान अवश्य रखा जाता है।

तुक– प्राचीन काल से ही हिन्दी कविता प्राचीन काल से ही हिन्दी कविता अधिकतर तुकान्त रही है। इस कारण यह गेय भी रही है। तुकान्त कविताओं को स्मरण करना और उसे सभी तक पहुँचाना सरल होता है–दोहा, चौपाई, सवैया, कवित्त, कुण्डलियाँ आदि छन्द तुकान्त होने से जनता में बहुत लोकप्रिय रहे हैं। भक्ति के पद की तुकान्त होने से गेय हो गये हैं–कबीर, सूर, तुलसी,

मीरा, रसखान, बिहारी, रहीम, गिरधर कविराय आदि की रचनाएँ तुकान्त हैं। सवैया का एक उदाहरण दृष्टव्य है :

तन की दुति स्याम सरोरूह लोचन, कंज की मंजुलताई हरै।
अति सुन्दर सोहत, धूरि भरे, छवि भूरि अनंग की दूरि धरै।
दमकैं दँतियाँ दुति दामिनी–ज्यों किलकैं कल बाल विनोद करैं।
अवधेस के बालक चारि सदा तुससी मन मंदिर में बिहरैं।।

(*बालरूप की झाँकी–* **तुलसीदास**)

छन्द– छन्द का निर्णय कविता के एक चरण या पंक्ति में, वर्णों और मात्राओं की गणना के आधार पर होता है। संस्कृत के सभी श्लोक किसी न कसी छन्द में निबद्ध हैं। मध्ययुग तक की सम्पूर्ण हिन्दी कविता विविध छन्दों में लिखी गयी है, जिसमें दोहा, चौपाई, सवैया, कवित्त और कुण्डलिया आदि प्रयुक्त होते हैं। आधुनिक कविता के बाह्य रूप में अनेक परिवर्तन आये हैं और अब प्राचीन छन्दों का प्रयोग लगभग समाप्त हो गया है, पर कुछ कवि अभी भी छन्दों का प्रयोग कर रहे हैं। छन्दोबद्ध रचना का दोहा दृष्टव्य है –

बैठि रही अति सघनवन, पैठि सदन–तन माँह,
देखि दुपहरी जेठ की, छाहों चाहति छाँह।

(विहारी)

शब्द योजना– शब्दों का उचित नियोजन या संयोजन ही कविता का सौन्दर्य है। कवि प्रायः इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करता है कि उसके सामान्य अर्थ से परे विशिष्ठ अर्थ भी उभरे, इसी दृष्टि से भारतीय काव्यशास्त्र में तीन शब्द शक्तियों का–अभिधा, लक्षणा और व्यंजना का निरूपण है। अभिधा से मुख्यार्थ का बोध होता है तथा मुख्यार्थ का बोध होने पर लक्षणा का आश्रय लेना पड़ता है। अन्त में व्यंजना से अर्थ निकलता है। कवि का अभिप्रेत अर्थ मुख्यार्थ तक ही सीमित नहीं रहता। कविता का आनन्द लेने के लिए लक्ष्यों के लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ तक पहुँचना आवश्यक होता है। वस्तुतः जिस कविता में व्यंजना की बहुलता होती है, उसी का महत्व अधिक होता है। शब्दों के संयोजन द्वारा ही कविता में नाद सौन्दर्य भी उत्पन्न होता है। प्रस्तुत संकलन का एक छन्द दृष्टव्य है–

लहलह पालक, महमह धनिया, लौकी और सेमफली फैली।
मखमली टमाटर हुए लाल, मिरचों की बड़ी हरी थैली।।

चित्रात्मक भाषा– कवि प्रायः अपने भावों को प्रकट करने के लिए चित्रात्मक भाषा का प्रयोग करता है, वह पाठक के मन में शब्दों के द्वारा ऐसे बिम्ब बनाता है, जिनसे कवि का कथ्य प्रभावपूर्ण ढंग से हृदयंगम हो जाता है। चित्रात्मक भाषा के प्रयोग से थोड़े शब्दों में बहुत बात कही जा सकती है और उसका प्रभाव भी अधिक गहरा होता है–*कवि, कुछ ऐसी तान सुनाओ, जिससे उथल–पुथल मच जाए* कविता में इसका सौन्दर्य देखा जा सकता है।

अलंकार : अलंकार काव्य का शोभा कारक धर्म है। कवि किसी भाव को अधिक उत्कर्ष देने के लिए किसी वस्तु के आकार या गुण को बढ़ा, चढ़ाकर दिखाता है। कभी उसके रूप या गुण को

समान–रूप या धर्म वाली वस्तु के मेल में रखता है, कभी किसी बात को घुमा–फिराकर कहता है। ये सब अलंकार के ही भिन्न–भिन्न विधान हैं, जो अलंकार किन्हीं विशेष शब्दों के प्रयोग पर आश्रित होते हैं, उन्हें शब्दालंकार कहते हैं। जैसे–अनुप्रास एवं यमक आदि। अर्थ में सौन्दर्य उत्पन्न करने वाले अलंकारों को, जो किन्हीं विशिष्ट शब्दों पर आधारित नहीं होते, अर्थालंकार कहते हैं। जैसे–उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, अन्योक्ति आदि।

सभी अवस्थाओं में अलंकारों का उद्देश्य भावों को तीव्रता प्रदान करना होता है, वे काव्य के सौन्दर्य में वृद्धि करते हैं।

कविता के आन्तरिक तत्व

कविता का प्रमुख तत्व भाव है। भाव से रहित शब्दाडम्बर मात्र पाठक के हृदय को विभोर एवं आह्लादित नहीं कर सकता, कविता के भावतत्व, उसकी आत्मा को समझने के लिए निम्न बातों पर ध्यान देना आवश्यक है :

अनुभूति की तीव्रता– कविता हृदय की वस्तु है, जिस कवि की जितनी ही गहरी अनुभूति होगी, काव्य रचना में वह उतना ही निपुण होगा। वाल्मीकि के विषय में प्रसिद्ध है कि एक बार जब उन्होंने एक शिकारी द्वारा क्रौंच पक्षी के जोड़े में से एक को मारे जाते हुए देखा तो उस घटना से क्षुब्ध होकर उनके मुख से शिकारी के प्रति श्राप के रूप में कविता का पहला श्लोक फूट पड़ा। सामान्यजनों की अपेक्षा कवि बहुत अधिक संवेदनशील होता है। जीवन के सुख–दुःख के प्रति उसकी प्रतिक्रिया कविता के रूप में फूट पड़ती है–

वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान।
उमड़ कर आँखों से चुपचाप, वही होगी कविता अनजान।।

(पन्त)

अपनी रचना के द्वारा कवि पाठकों और श्रोताओं के मन में वैसी ही अनुभूति जगाना चाहाता है, जैसी कि उसे कविता रचते समय हुई थी। जो कविता इस कार्य में जितनी सफलता प्राप्त करती है, वह उतनी ही अच्छी मानी जाती है।

अनुभूति की व्यापकता– कविता में अनुभूति की तीव्रता के साथ–साथ व्यापकता भी होती है, जिन पर वे वस्तुएँ, दृश्य या घटनाएँ भी भाव जमा जाती हैं, जिन पर सामान्य व्यक्तियों का ध्यान भी नहीं जाता। कवि की दृष्टि बड़ी सूक्ष्म होती है। सूखे वृक्ष में शायद ही किसी को सौन्दर्य दिखायी दे, पर अच्छा कवि उस वृक्ष को भी आधार बनाकर बहुत सुन्दर कविता की सृष्टि कर सकता है। अनुभूति की व्यापकता ही कवि या कविता को दीर्घजीवी बनाता है। सीमित दृष्टिकोण लेकर बड़ी सर्जना सम्भव नहीं है।

कल्पना शक्ति की उच्चता– कवि अपनी बात को ऐसे विशिष्ट ढंग से कहता है, जिससे हमारी कल्पनाशक्ति जग जाती है, उसके कथन का ढंग ही कविता की शक्ति है। कथन की भंगिमा को आचार्यों ने बहुत महत्वपूर्ण माना है। उसकी भंगिमा ही प्रायः कल्पना अर्थात् मन की आत्मिकशक्ति को स्वतः उद्बुद्ध करती है, उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, अतिशयोक्ति आदि अलंकारों का सौन्दर्य कल्पना पर आधारित है। कवि प्रायः नयी–नयी उद्भावनाएँ करता है, तुलसीदास रामचरित मानस में नये

प्रसंगों की उद्‌भावनाओं की दृष्टि से भी विख्यात हैं, पर कल्पना की यह उड़ान या नवीन प्रसंगों की उद्‌भावनाएँ हृदय की अनुभूति पर आधरित हों। कोरी कलाबाज़ी या चमत्कारप्रियता रस को भंग करती है, पुष्ट नहीं।

रसात्मकता और सौन्दर्यबोध– प्रेम, करुण, क्रोध, हर्ष उत्साह आदि का विभिन्न परिस्थितियों में मर्मस्पर्शी चिन्तन ही सौन्दर्यबोध है। रस को काव्य की आत्मा कहा गया है, शब्द और अर्थ कविता के शरीर मात्र हैं और रस प्राणतत्व हैं। किसी भी अच्छी कविता को पढ़कर जो आनन्दमयी अनुभूति हमारे अन्दर जगती है, वही रस है। रसास्वादन ही काव्याध्ययन का परम ध्येय है। कविता के दो पक्ष होते हैं–भाव पक्ष और विभाव पक्ष। कविता–सूचना या उपदेश के लिए नहीं लिखी जाती, उसका प्रमुख उद्‌देश्य शाब्दिक माध्यम से आनन्द की अनुभूति कराना है, जो रचना ऐसी अनुभूति करा सकती है, वही कविता है।

कविता के अनुशीलन से सौन्दर्यानुभूति से ओतप्रोत होने वाला व्यक्ति जीवन के अन्य पक्षों में भी सौन्दर्य देखने लगता है। प्रकृति सौन्दर्य के विषय में कोई अच्छी कविता पढ़कर हमारा ध्यान प्रकृति के छिपे हुए सौन्दर्य की ओर जाने लगता है। इस प्रकार कविता हमारे मन में जीवन और जगत के प्रति सौन्दर्यानुभूति जगाती है। प्रस्तुत संकलन से एक छन्द देखिए–

रोमांचित सी लगती वसुधा, आई जौ–गेहूँ की बाली,
अरहर सनई की सोने की, किंकिणियाँ हैं शोभाशाली।।

(ग्रामश्री–पन्त)

भावों का उदात्तीकरण– कविता का प्रमुख उद्देश्य है, भावों को उदात्त बनाना। भावों या विचारों की उच्चता से काव्य में गरिमा भी आती है, क्योंकि सद्‌विचारों की अभिव्यक्ति स्वतः कविता को ऊँचा उठा देती है। बहुधा कवि महापुरुषों के जीवन को आधार बनाकर महाकाव्य रचते हैं। जीवन के घात–प्रतिघातों और मन की विभिन्न उलझनों को कवि इस प्रकार प्रस्तुत करता है कि पाठक अनायास ही कुटिलता, क्रूरता, दम्भ, क्षोभ और नीयत आदि के प्रति वितृष्णा हो जाती है, वह उच्च भावों की तरफ़ आकृष्ट होने लगता है। कविता की प्रेरणास्पद पंक्तियाँ निराशा में डूबते लोगों का सहारा बन जाती हैं। ऐसी बहुत सी पंक्तियाँ जनता के बीच सूक्तियों के रूप में प्रचलित हो जाती हैं। उदाहरणार्थ–

नर हो न निराश करो मन को,
कुछ काम करो, कुछ काम करो,
जग में रहकर कुछ नाम करो।

(मैथिलीशरण गुप्त)

आराधन का दृढ़ आराधन से दो उत्तर– 'निराला'

कुछ लिख के सो, कुछ पढ़के सो
तू जिस जगह जागा सबेरे
उस जगह से बढ़के सो

(नई इबारत, भवानी प्रसाद मिश्र)

कई बार भावों में उदात्तीकरण और परिवर्तन की यह प्रक्रिया, सामूहिक आन्दोलन का रूप ले लेती है–

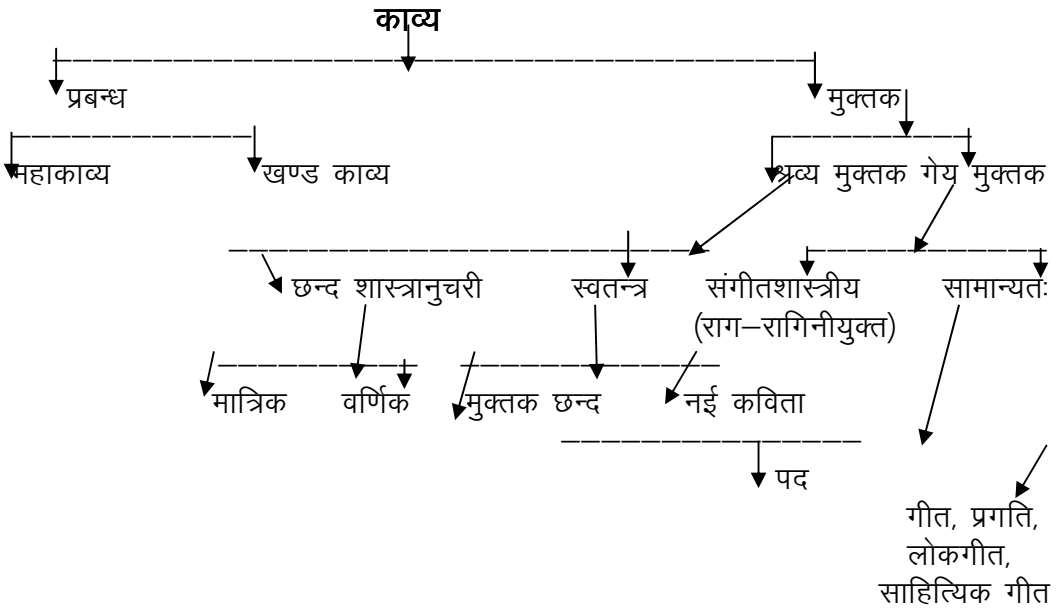
आधुनिक युग में छायावादोत्तर युग की कविताएँ इसी प्रकार के आन्दोलनों की उपज हैं–बालकृष्ण शर्मा का यह गीत भी इसी प्रकार की नयी चेतना देता है–

कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ, जिससे उथल–पुथल मच जाए।
एक हिलोर इधर से आए, एक हिलोर उधर से आए।।

काव्य के भेद

काव्य के मुख्यतः दो भेद हैं–श्रव्यकाव्य और दृश्यकाव्य। श्रव्यकाव्य वह काव्य है, जो कानों से सुना जाता है। दृश्यकाव्य वह है जो अभिनय के माध्यम से देखा–सुना जाता है, जैसे–नाटक।श्रव्यकाव्य के अन्तर्गत महाकाव्य, खण्डकाव्य और आख्यान गतियाँ आती हैं।मुक्तक काव्य के दो भेद हैं–पाठ्य मुक्तक तथा गेय मुक्तक।

तालिका द्वारा इसे भलीभाँति समझा जा सकता है :



पद्यः कविता शिक्षण का उद्देश्य

कविता कल्पना और मनोवेगों पर आधारित होती है, उसकी मूलवृत्ति रागात्मक होती है। यह मानव, प्रकृति या जड़ तीनों से भाव ग्रहण कर मार्मिक रूप से सत्य और आनन्द की व्याख्या का प्रयत्न करती है। अतः कविता का लक्ष्य काल्पनिक और भावजगत में विचरण करने का साधन प्रस्तुत करता है। कविता अभोग की वस्तु है, ज्ञानवर्द्धन की नहीं। अतः कविता पढ़ाते समय अत्यधिक व्याख्या, शब्दार्थ, व्याकरण आदि का स्पष्टीकरण करने की विशेष चिन्ता नहीं करनी चाहिए। क्योंकि इससे रसानुभूति में व्याघात उपस्थित होता है। लेकिन कहीं–कहीं कविता के अर्थ को समझने एवं रसानुभूति के लिए अर्थ का बताना भी आवश्यक हो जाता है, परन्तु केवल उन्हीं शब्दों का स्पष्टीकरण करना चाहिए, जिनके द्वारा रसानुभूति एवं आन्दोपलब्धि में बाधा उपस्थित

होती है। सुप्रसिद्ध अंग्रेज़ी कवि टी.एस. इलिएट के अनुसार तो कविता को बिना अच्छी तरह समझे हुए भी उसका आनन्द लिया जा सकता है।

कविता हमारे प्राणों का संगीत है। अतः कविता का पाठ इस प्रकार मधुर सस्वर प्रभावपूर्ण हो, जिससे छात्र कविता का संगीत–माधुर्य, उसकी काल्पनिक उड़ान, उसके असाधारण संवेगात्मक वातावरण का अनुभव कर सके। कवि और कक्षा में तादाम्य कर देना ही सफल अध्यापक की विशेषता है।

अतः कविता शिक्षण के लिए निम्नलिखित उद्‌देश्यों पर ध्यान देना अध्यापक के लिए आवश्यक है–

1) कवि के मूलभाव को समझकर कविता पाठ करना।
2) लय, ताल और भाव के अनुसार कविता पाठ करना।
3) कविता में रुचि उत्पन्न कर काव्य–रचना के लिए प्रोत्साहित करना।
4) मार्मिक स्थलों की पहचान करके उस पर विशेष जोर देना ताकि सहृदयता का विकास हो सके।
5) उदात्तभावों के प्रादुर्भाव एवं संवर्द्धन द्वारा उन्हें सन्तुलित एवं लोक कल्याणकारी चरित्र के निर्माण की प्रेरणा देना।
6) कवि के भावों एवं विचारों के साथ पूर्ण तादाम्य स्थापित कराके अलौकिक आनन्द की अनुभूति कराना।
7) छात्रों में कवि के भावों, कल्पनाओं तथा अभिव्यक्तियों के सौन्दर्य की परख की योग्यता उत्पन्न करना।
8) भाव भंगिमाओं तथा स्वर के उतार–चढ़ाव के साथ कविता का अभ्यास कराना।
9) विविध कविता–शैलियों का परिचय कराके अपने योग्य शैली के विकास में सहायता देना।
10) साहित्य का परिचय कराते हुए बालकों में ऐसी स्थायी रुचि का विकास करना, जिससे उनमें स्वाध्यायशीलता उत्पन्न हो।
11) कविता के माध्यम से रस, छन्द, अलंकार, गुण, शब्दशक्ति, बिम्ब, प्रतीक एवं नाद सौन्दर्य आदि की सामान्य जानकारी प्रदान करना।

काव्यास्वाद

कविता का आस्वादन उसके अर्थग्रहण में है। इसलिए पहले शब्दों का मुख्यार्थ समझना आवश्यक है। मुख्यार्थ समझने के लिए अन्वय करना भी आवश्यक है, क्योंकि कविता की वाक्य संरचना में प्रायः शब्दों का क्रमबद्ध नहीं रहना, जो गद्य में होता है। अतः अन्वय से शब्दों का परस्पर सम्बन्ध स्पष्ट हो जाता है और अर्थ खुल जाता है। इस प्रक्रिया में शब्द के वाक्यार्थ के साथ–साथ उसमें निहित लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ भी स्पष्ट हो जाते हैं। कवि कभी–कभी कविता में ऐसे शब्दों का भी साभिप्राय प्रयोग करता है, जिनके स्थान पर उसके पर्याय नहीं रखे जा सकते। कभी–कभी एक शब्द के एकाधिक अर्थ होते हैं और सभी उस प्रसंग में लागू होते हैं। कभी एक ही शब्द अलग–अलग अर्थों में एकाधिक बार प्रयुक्त होता है, कभी विरोधी शब्दों का प्रयोग भाववृद्धि के

लिए किया जाता है और कभी एक ही प्रसंग के लिए कई शब्द एक साथ आते हैं। इस प्रकार के शब्दों की ओर ध्यान देना चाहिए और अपेक्षित अर्थ जानना चाहिए।

कविता में जिन तत्वों का उल्लेख किया गया है, उनके सन्दर्भ में ही कविता के आस्वाद का प्रयास करना चाहिए। काव्यास्वादन के लिए कविता को बार–बार मुखार–रूप से पढ़ना आवश्यक है। काव्यास्वादन के लिए निम्नलिखित बातें सहायक हैं।

(1) कविता के मूलभाव को समझकर अपने शब्दों में लिखना।
(2) रस, अलंकार, गुण और छन्द आदि को समझकर कविता में इसकी उपयोगिता को ह्रदयंगम करना।
(3) अच्छे भाव पदों को कंठस्थ करना और उसका मुखर पाठ करना।

कविता का शिक्षणः बिन्दु

कविता के शिक्षण के लिए मुख्यतः चार बातें आवश्यक होती हैं–

(1) कविता का सस्वर पाठ
(2) कविता के शब्दों पर विचार
(3) कविता की अन्तर्वस्तु पर विचार
(4) कविता का भावार्थ

कविता का सस्वर पाठः कविता के सस्वर पाठ से छात्र अधिक अनुकरण करते हैं। दोहा, चौपाई, सवैया, कवित्त को कैसे पढ़ाया जाय, इसे सस्वर पाठ से ही जाना जा सकता है। कविता का ठीक सस्वर पाठ, कविता के अर्थ को प्रकट करता चलता है, इसलिए सस्वर पाठ का बहुत महत्व है।

(2) कविता के शब्दों पर विचार– कविता परीक्षण में शब्दों पर विचार करना आवश्यक होता हैं। शब्दों का निहितार्थ या अर्थ जानकर ही हम कवि के आशय को समझ सकते हैं। शब्द और अर्थ का उचित समन्वय ही कविता में लालित्य पैदा करता है।

(3) कविता की अन्तर्वस्तु पर विचार– कविता की अन्तर्वस्तु को बिना ठीक से समझे, न तो उसके भावार्थ को जाना जा सकता है, न कविता के मर्म को। कविता किस काल की है? किस सामाजिक परिस्थिति में लिखी गयी है? कवि की दृष्टि किस प्रकार की है? किस भावभूमि पर कविता लिखी गयी है? इसे जानना कविता के साथ न्याय करना है। हर कविता अपनी सामाजिक परिस्थितियों की उपज होती है, उस पर विचार करके ही कविता की अन्तर्वस्तु को जाना जा सकता है।

(4) कविता का भावार्थ– कविता के अर्थ को जानने के लिए उसका भाव, उसका निहितार्थ जानना आवश्यक है। कविता का केन्द्रीय भाव समझकर ही उसका ठीक भावार्थ किया जा सकता है। कविता कभी–कभी संकेतों में लिखी होती है, पर उन संकेतों को खोलकर कविता का भावार्थ

जाना जा सकता है। काव्य शब्द की व्याप्ति भी अधिक होती है। उसी व्याप्ति में भावार्थ तलाशना होता है।

आवश्यक सामग्री (काव्य पाठ हेतु):
कविता पढ़ाने के लिए पुस्तक, श्यामपट, चाक, डेस्टर, चार्ट–बोर्ड, चित्र, ऑडियो–वीडियो, किसी कविता का टेप आदि आवश्यक है।

प्रस्तावना (विषयवस्तु का प्रस्तुतीकरण):

कविता पढ़ाते समय हम यह मानकर चलते हैं कि मैं इस कक्षा को पढ़ाने जा रहा हूँ तो इसके पूर्व की, कक्षा की जानकारी से छात्र परिचित होंगे। चित्र दिखाकर, प्रश्नोत्तर शैली से, उसी समय के अन्य साहित्यकार या कवि की चर्चा करके, काल या अवधि की चर्चा करके प्रस्तावना निकलवाते हैं। उदाहरणार्थ, यदि हमें तुलसीदास की कविता पढ़ानी है तो हम भक्तिकाल के समय एवं उनके अन्य कवियों की जानकारी छात्रों से प्राप्त करके तुलसीदास की कविताओं पर विचार करते हैं।

कविता शिक्षण की विधियाँ: कविता शिक्षण की निम्न विधियाँ प्रयोग में आती हैं। सुविधानुसार सभी विधियाँ अपनाई जाती हैं –

(1) गीत या अभिनय प्रणाली
(2) अर्थबोध प्रणाली
(3) व्याख्या प्रणाली
(4) खण्डान्वय प्रणाली
(5) व्यास प्रणाली
(6) तुलना प्रणाली
(7) समीक्षा प्रणाली।

गतिविधियाँ (कविता का उदाहरण) : यदि छात्र को कविता पढ़ने में कठिनाई है तो उसे अन्य कवियों का उदाहरण देकर, समझाकर, उसका भावार्थ बताकर, उसे स्वयं करने के लिए प्रेरित किया जाता है ताकि वह गतिविधि से पूर्णतः परिचित होकर कविता का आशय समझ सकें।

प्रश्नोत्तर शैली: काव्य शिक्षण के लिए आवश्यक है कि अध्यापक द्वारा पूरा पाठ पढ़ा दिये जाने के बाद पाठ के अन्त में दिये गये प्रश्नों को पूछा जाय और छात्र से उत्तर प्राप्त किया जाय, इससे उसके मौखिक कौशल में विकास होगा। यदि वह ठीक उत्तर न दे सके तो दुबारा उसका उत्तर अध्यापक द्वारा बताया जाय, पुनः उससे उस प्रश्न का उत्तर पूछा जाय। यह परीक्षण–शैली छात्र को मुखर भी बनाती है और एकाग्र रहने के लिए विवश भी करती है।

मूल्यांकन: छात्र का मूल्यांकन दो तरीक़े से किया जा सकता है। पहला–प्रश्नोत्तर शैली से, दूसरा गृह कार्य से, तीसरा–मासिक, अर्द्धवार्षिक, वार्षिक परीक्षा लेकर। मूल्यांकन के भी तीन आधार हो सकते हैं–(1) वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिसका उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में होगा।

(ii) लघुत्तरीय; इसका उत्तर एक गद्य खण्ड में होगा। तीसरा विस्तृत या दीर्घउत्तरीय : यह विश्लेषणपरक एवं समीक्षात्मक होता है।

इन पहेलियों से छात्र का मूल्यांकन किया जा सकता है। इकाई परीक्षा भी सतत मूल्यांकन का कार्य कर सकती है।

निर्दिष्ट कार्य–गृहकार्य: पाठ को पढ़ाने, समझाने के बाद यदि छात्र उसे समझ गया है तो उसे कुछ गृहकार्य भी दिया जाना चाहिए। गृहकार्य तब तक नहीं दिया जाना चाहिए, जब तक छात्र स्वयं पाठ को समझ न गया हो। पाठ को ठीक से समझने के बाद ही गृहकार्य दिया जाना चाहिए।

गृहकार्य उतना ही दिया जाय, जिसे छात्र आसानी से समय सीमा में कर लें। अधिक गृहकार्य देने से बच्चे ऊबते हैं और अपने अभिभावक को कार्य करवाने के लिए विवश करते हैं, इसे उचित नहीं कहा जा सकता है। गृहकार्य में विविधता एवं रोचकता होनी चाहिए, जिससे छात्र आसानी से कार्य को कर लें।

गद्य–शिक्षण

गद्य शिक्षण का उद्देश्य :

गद्य शिक्षण भाषा शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण है। गद्य कवियों की कसौटी है इसलिए गद्य का पद्य से अधिक महत्व हो जाता है क्योंकि पद्य में कवि की त्रुटि को लय–ताल–यति के कारण एकबार अनदेखा किया जा सकता है लेकिन गद्य में गद्यकार द्वारा अपने गद्य को सुव्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करना पड़ता है।

हिन्दी भाषा शिक्षण में गद्य–शिक्षण के उद्देश्य

1– छात्रों में नवीन शब्दों के ज्ञान द्वारा शब्द–भण्डार की वृद्धि करना तथा छात्रों की–मौलिक चिन्तन, मनन, लेखन क्षमता को विकसित करना।

2– विद्यार्थियों को गद्य शिक्षण की विभिन्न शैलियों से परिचित कराना।

3– विद्यार्थियों में भाषा सम्बन्धी ज्ञान की वृद्धि करना और गद्य की विभिन्न विधाओं– नाटक, एकांकी, निबन्ध, रिपोर्ताज, रेखाचित्र, संस्मरण, जीवनी, आत्मचरित, सम्भाषण आदि की रचना करने की पात्रता देकर साहित्यिक अभिरुचि का निर्माण करना।

4– विद्यार्थियों को मौखिक तथा लिखित दोनों ही रूपों में शुद्ध, सरल एवं स्पष्ट भाषा पढ़ने–लिखने तथा समझने की योग्यता देना।

5– विद्यार्थी गद्य शिक्षण में क्रियाशील बनते हैं। इसे सुनकर वे अर्थ ग्रहण करने के योग्य बन जाते हैं। उन्हें पठन–कला के योग्य बनाया जाता है।

6– गद्य शिक्षण द्वारा विद्यार्थियों की भावात्मक तथा सृजनात्मक शक्ति का विकास किया जाता है। इससे उनमें स्वस्थ प्रवृत्ति का विकास होता है।

7– विद्यार्थियों में काव्य, कला और सांस्कृतिक ज्ञान का रसास्वादन देकर आध्यात्मिक एवं नैतिक भावनाओं का संचार करना।

गद्य–शिक्षण का महत्व

पूर्व कालों में साहित्य में प्रायः काव्य को अधिक महत्व दिया जाता था। किन्तु बाद में यह तथ्य भी ध्यान में रखा गया कि गद्य के बिना यह दृष्टि एकपक्षीय तथा एकांगी है। समाज में विचार–विनिमय के रूप में यही विधा ग्राह्य है। गद्य के ही माध्यम से हम नित्यप्रति अपने हृदयगत भाव–शोक, रोष, हर्ष आदि को प्रकट करते हैं। गद्य विधा विद्यार्थियों के मानसिक, भावात्मक और भाषिक स्तर के ज्ञान को सम्पन्न तथा समृद्ध बनाती है। सूर्यकान्त त्रिपाठी 'निराला' जी के अनुसार तो 'गद्य जीवन संग्राम की भाषा है।' गद्य की विभिन्न विधाएँ जैसे– निबन्ध, व्यंग्य, कहानी, संस्मरण, नाटक, एकांकी आदि की रुचिकर विविधताएँ विद्यार्थियों के अनुभव, जानकारी और अभिव्यक्ति को सम्पन्न बनाती हैं। रैल्फ फ्राक्स ने भी यही माना है कि 'अच्छा गद्य लिखने की कला, चीज़ों को उनके सही नाम से पुकारने की कला है।' गद्य की विभिन्न विधाएँ– विषयवस्तु का वर्णन, सन्देश, उद्देश्य, प्रस्तुतीकरण और भाषाशैली की दृष्टि से भिन्न होती हैं। कथा–साहित्य में कथा–प्रवाह, घटनाक्रम, पात्रों के विविध कार्यकलापों, व्यक्तित्व की विचित्रताओं को कथासूत्र के माध्यम से ग्रहण करना पड़ता है। प्रेमचन्द ने तो कहानी को जीवन के किसी एक मनोभाव को प्रदर्शित करने का माध्यम माना है– ''कहानी ऐसी रचना है, जिसमें जीवन के किसी एक अंग या किसी एक मनोभाव

को प्रदर्शित करना ही लेखक का उद्देश्य रहता है। उसके चरित्र, उसकी शैली, उसका कथा–विन्यास सभी उसी एक भाव को पुष्ट करते हैं।'' विद्यार्थियों में निबन्धों के माध्यम से तर्क संगतता, भाषिक अभिव्यक्ति तथा लेखकीय दृष्टिकोण से परिचित होते हैं। रामचन्द्र शुक्ल ने तो निबन्धों को गद्य की कसौटी माना है– ''भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास निबन्धों में ही सबसे अधिक सम्भव है।''

इस प्रकार गद्य की विधाओं में प्रस्तुतीकरण की विविधता होते हुए भी सभी विधाएँ विद्यार्थियों को तथ्य के अतिरिक्त सांकेतिकता की ओर सोचने को प्रेरित करते हैं।

विद्यार्थी यदि पाठ्य–विषय का आसानी से बोध कर विषयवस्तु को आत्मसात करने में समर्थ होते हैं तो उनमें मौलिक–चिन्तन और सृजनात्मक अभिव्यक्ति–क्षमता को विकसित किया जा सकता है। इस प्रकार गद्य विधा का अपना विशिष्ट महत्व होता है।

हिन्दी गद्य साहित्य का विकास क्रम

शैली की दृष्टि से साहित्य के सामान्यतः दो भेद किये जाते हैं– **गद्य** और **पद्य**। गद्य वाक्यबद्ध, विचारात्मक रचना होती है और पद्य–छन्दबद्ध या लयबद्ध भावात्मक रचना है। गद्य के माध्यम से जहाँ हमारी चिन्तनशीलता, बौद्धिक विचार क्षमता प्रकट होती है, वहीं पद्य में संवेदना और कल्पनाशीलता। इसी कारण पद्य को हृदय की भाषा कहा जाता है और गद्य को मस्तिष्क की। गद्य में भाषा का एक व्यवस्थित और अनुशासित रूप दृष्टिगोचर होता है।

गद्य शब्द का उद्भव 'गद्' धातु के साथ 'यत्' प्रत्यय जोड़ने से बनता है। गद् का अर्थ है– बोलना, बताना या कहना। इसलिए दैनिक जीवन में गद्य का ही प्रयोग होता है। विषय और परिस्थिति के अनुरूप शब्दों का सही स्थान निर्धारण तथा उचित वाक्य विन्यास ही उत्तम गद्य की कसौटी है।

गद्य लेखन का इतिहास

राष्ट्रभाषा के रूप में मान्य मानक हिन्दी खड़ी बोली का ही परिनिष्ठित रूप है। खड़ी बोली गद्य की प्रामाणिक रचनाएँ सत्रहवीं शताब्दी से प्राप्त होती हैं।

आधुनिक काल का प्रारम्भ रामचन्द्र शुक्ल के अनुसार 1900 वि. से होता है। इस काल में भारत में अंग्रेज़ों का शासन स्थापित हो चुका था। वैज्ञानिक चेतना का प्रसार प्रारम्भ हो गया था तथा प्रेस के प्रचलन से गद्य–रचना की सम्भावनाएँ बढ़ गयी थीं। पद्य की धारा तो वीरगाथाकाल से ही अखण्ड रूप से चली आ रही थी, किन्तु गद्य–साहित्य के क्षेत्र में विशेष महत्व का कोई कार्य नहीं हुआ था। फिर भी गद्य–रचनाओं के विकास–क्रम को समझने के लिए गद्य साहित्य की परम्परा पर दृष्टि डालना आवश्यक है।

वीरगाथा काल और हिन्दी गद्य– इस काल की कोई गद्य रचना नहीं मिलती, जो साहित्यिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हो।

भक्तिकाल में गद्य रचना– वीरगाथा काल के पश्चात् 1400 वि. के लगभग का लिखा हुआ ब्रजभाषा में कुछ गद्य मिलता है।

इस काल मे खड़ी बोली में भी एक गद्य–ग्रन्थ– ''चन्द छन्द बरनन की महिमा'' नाम से कवि गंग ने 1572 वि. में लिखा। इन ग्रन्थों के पश्चात् ''चौरासी वैष्णवों की वार्ता'' और ''दो सौ बावन वैष्णवों की वार्ता'' का समय आता है। इनकी भाषा ब्रज ही थी। इन वार्ताओं की भाषा से यह पता चलता है कि ब्रजभाषा में गद्य–रचना की अभिव्यन्जना में प्रौढ़ता आने लगी थी, यथा–1960 वि. में नारायणदास ने ''अष्टयाम'' की रचना की और 1680 वि. में वैकुण्ठमणि शुक्ल ने 'अगहन महात्म्य' तथा 'वैशाख महात्म्य' ग्रन्थ लिखे।

रीतिकाल में हिन्दी गद्य– इस काल में ब्रजभाषा और खड़ी बोली दोनों में गद्य की कुछ पुस्तकें लिखी गईं। 1767 वि. में सूरति मिश्र ने 'बेताल पचीसी' और 1852 वि. में लाला हीरालाल ने 'आइने अक़बरी की भाषा वचनिका' नामक ग्रन्थ लिखे। ये सभी पुस्तकें ब्रजभाषा में हैं। कुछ टीकाएँ भी ब्रजभाषा गद्य में लिखी गयीं।

खड़ी बोली में इस काल में सबसे पहले (संवत् 1752 वि.) रामप्रसाद निरंजनी ने 'भाषा योग वशिष्ठ' ग्रन्थ लिखा। खड़ी बोली का प्रौढ़ रूप प्रथमबार इसी ग्रन्थ में मिलता है।

लगभग अट्ठारहवीं सदी के मध्यान्ह काल से लेकर बीसवीं सदी के मध्यान्हत काल तक (सन् 1785 से 1843 ई. तक) खड़ी बोली गद्य के प्रारम्भिक स्वरूप के उन्नयन में चार लेखकों का योगदान महत्वपूर्ण हैं–

मुन्शी सदासुखलाल (सं. 1740 से सं. 1824 ई.)– मुन्शी सदासुखलाल ने विष्णु पुराण का अंश लेकर उसे खड़ी बोली में प्रस्तुत किया। इनकी भाषा–शैली में पण्डिताऊपन और वाक्य रचना पर फ़ारसी शैली का प्रभाव है।

इंशाअल्ला ख़ाँ (सन् 1785 से 1818 तक)– इन्होंने चटपटी हास्य प्रधान शैली में 'रानी केतकी' की कहानी लिखी। इंशाअल्ला ख़ाँ के वाक्य विन्यास का ढंग फ़ारसी है।

लल्लूलाल (सन् 1768 से 1825)– लल्लूलाल जी ने 'प्रेम–सागर' ग्रन्थ खड़ी बोली में लिखा। ग्रन्थ की भाषा तुकबन्दी एवं अनुप्रास के भार से दबी हुई है। पिछले दो लेखकों की भाषा–शैली प्रवाह भी नहीं है।

सदल मिश्र (सन् 1768 से 1848)– इन्होंने 'नासिकेतोपाख्यान' ग्रन्थ लिखा। इनकी भाषा में पूरबीपन की मात्रा अधिक है।

संवत् 1881 वि. में **जटमल** ने 'गोराबादल की कथा' खड़ी बोली गद्य में लिखी। 1900 वि. तक कोई अन्य विशेष ग्रन्थ तो नहीं लिखा गया, परन्तु कुछ आन्दोलन ऐसे हुए जिनका 'खड़ी बोली गद्य' के विकास पर प्रभाव पड़ा। ये आन्दोलन निम्नांकित थे–

1– **धार्मिक आन्दोलनः** ईसाईयों ने अपने धर्म के प्रचार के लिए नवीन आकर्षणों से धर्म की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित किया। मिशनरियों ने शुद्ध हिन्दी में अपने धार्मिक सिद्धान्तों को लिखकर प्रचारित किया, जिससे हिन्दी गद्य के पठन–पाठन का कार्य जन–साधारण में प्रारम्भ हुआ।

2– **शिक्षा सम्बन्धी आन्दोलन :** अंग्रेज़ों के शासन काल में जनता के लिए भाषा का एक सामान्य माध्यम भी आवश्यक था, जिससे शासन कार्य सुचारु रूप से संचालित हो सके। इसलिए अब ऐसे सशक्त माध्यम की आवश्यकता थी, जो शिक्षा सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके।

3– समाज–सुधार के आन्दोलनः राजाराम मोहनराय के प्रयत्नों से बंगाल में ब्रह्म समाज की स्थापना हुई। उन्होंने समाज की दशा सुधारने के लिए भगीरथ प्रयत्न किया। उसी प्रकार अपने सिद्धान्तों के प्रचार के लिए हिन्दी गद्य को माध्यम बनाकर प्रचार–प्रसार किया। सं. 1770 वि. में वेदान्त सूत्रों के भाष्य का हिन्दी गद्य में अनुवाद करवाया। इन्होंने 'बंगदूत' नाम का संवाद–पत्र भी हिन्दी में निकलवाया। स्वामी दयानन्द सरस्वती ने 'आर्य समाज' की स्थापना कर धार्मिक रूढ़ियों का खण्डन किया। इन्होंने खण्डन–मण्डन एवं वाद–विवादों के द्वारा हिन्दी गद्य को सशक्त तथा दार्शनिक व्याख्या में समर्थ भाषा का स्वरूप प्रदान किया। उन्होंने आर्य समाज का धर्मग्रन्थ 'सत्यार्थ प्रकाश' खड़ी बोली गद्य में ही लिखा।

उन्नीसवीं शताब्दी के प्रथम चरण तक हिन्दी गद्य का स्वरूप पूर्णतः परियोजित नहीं हो पाया था। उन्नीसवीं शताब्दी का द्वितीय एवं तृतीय कारण भारतीय सामाजिक एवं राष्ट्रीयता के जागरण का काल था। इस नवीन चेतना का अभ्युदय बंगाल से हुआ था। यहीं से समाचार–पत्रों के प्रकाशन का प्रारम्भ हुआ। यह क्षेत्र ब्रजभाषा से दूर था इसलिए नवीन चेतना को अभिव्यक्त करने का भार खड़ी बोली गद्य ने वहन किया। नवीन चेतना के इस जागरण काल में अनेक संस्थाओं का योगदान था। इनमें प्रमुख थीं–ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन, प्रार्थना समाज, आर्य समाज, थियोसॉफ़िकल सोसायटी आदि। इन सभी संस्थाओं ने अपने विचारों के प्रचार–प्रसार का माध्यम हिन्दी गद्य को बनाया।

आधुनिक काल में हिन्दी गद्य का विकास

आधुनिक काल में हिन्दी गद्य की दो शैलियाँ प्रचलित हो गयी थीं। एक थी–राजा शिवप्रसाद सितारे हिन्द की। वे हिन्दी को नफ़ीस बनाकर उसे उर्दू जैसा रूप प्रदान करने के पक्ष में थे, दूसरी शैली के प्रवर्तक थे–राजा लक्ष्मण सिंह जो हिन्दी को अधिकाधिक संस्कृतनिष्ठ करने के पक्ष में थे।

इस प्रकार हिन्दुस्तानी एवं उर्दू के बीच मार्ग निकालने के प्रयास में हिन्दी गद्य की विकास धारा रुक–सी गयी।

सौभाग्य से भारतेन्दु हरिश्चन्द्र जी का प्रवेश लेखन में हुआ। उन्होंने समय, धन एवं प्रतिभा का प्रशंसनीय योगदान देकर हिन्दी गद्य विधा को शक्ति प्रदान की। भारतेन्दु जी ने इन दोनों के मध्य का मार्ग ग्रहण कर, उसे हिन्दीभाषा प्रदेशों की जनता के अनुकूल बनाया। भारतेन्दु हरिश्चन्द्र और उनके प्रयास से उनके सहयोगियों ने मिलकर गद्य साहित्य का बहुमुखी विकास करने का बीड़ा उठाया। निबन्ध, नाटक, उपन्यास, कहानी आदि सभी विषयों की ओर नये लेखकों का ध्यान गया।

हिन्दी गद्य साहित्य के विकास–क्रम को चार भागों में बाँटा जा सकता हैः

1– भारतेन्दु युग
2– द्विवेदी युग
3– छायावादी युग
4– छायावादोत्तर युग

भारतेन्दु युग– 1850 से 1900 के बीच का काल वह समय था, जब भारतेदु हरिश्चन्द्र के नेतृत्व में साहित्य के नये–नये मार्ग खुले और गद्य विविध प्रकार के आधुनिक विषयों और रूपों से पुष्ट होकर

अपना स्वरूप स्थिर करने लगा। अनेक नवीन साहित्यिक विषयों के अतिरिक्त ज्ञान–विज्ञान सम्बन्धी तथा उपयोगी साहित्य की सृष्टि भी हुई। हिन्दी साहित्य, जो काव्य के क्षेत्र में अब तक वास्तविक जीवन से अलग पुराने रास्ते पर खड़ा था, बहुत शीघ्र विज्ञान, इतिहास, भूगोल, धर्म, पुराण, जीवनी, उपन्यास, नाटक, निबन्ध आदि नवीन गम्भीर विषयों की ओर प्रवृत्त हुआ। हिन्दी लेखकों ने बड़ी सरलता के साथ अपनी चौमुखी प्रतिभा का परिचय दिया।

भारतेन्दु युग में हिन्दी के विकास का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इसका विकास नवोदित राष्ट्रीयता और नवोत्थान की भावना के अन्तर्गत हुआ था। इस भावना ने जीवन के सभी–धार्मिक, सामाजिक, राजनैतिक एवं आर्थिक क्षेत्र में सजीवता एवं सप्राणता का संचार किया और भाषा के प्रचार–प्रसार के लिए लोगों को प्रेरित किया। राजनीतिक आवश्यकताओं के कारण राजकीय क्षेत्रों के व्यवहार पर भी जोर दिया गया।

इस युग के लेखकों ने विभिन्न पत्र–पत्रिकाओं से जुड़कर न केवल हिन्दी भाषा को सम्पन्न किया वरन् विभिन्न शैलियों से भी गद्य को सजाया।

भारतेन्दु जी ने 'हरिश्चन्द्र मैग़जीन' तथा 'हरिश्चन्द्र–चन्द्रिका' पत्रिकाएँ निकाली। पं. बालकृष्ण भट्ट, इलाहाबाद से 'हिन्दी प्रदीप' नामक मासिक पत्रिका निकालते थे। उनकी शैली विनोदपूर्ण और चुटीली है तथा व्यंग्य में सरसता के साथ मार्मिकता भी है। उन्होंने अंग्रेज़ी, उर्दू, संस्कृत तथा लोक–भाषा के शब्द लिए। पं. प्रतापनारायण मिश्र ने 'ब्राह्मण' पत्रिका के माध्यम से समाज सुधार तथा सांस्कृतिक पुनरुत्थान की दृष्टि से निबन्ध लिखे। चुलबुलापन, हास–परिहास, आत्मीयता और सहजता उनकी भाषा शैली की प्रमुख विशेषताएँ हैं। श्री बदरीनारायण चौधरी 'प्रेमघन' 'आनन्द कादम्बिनी' पत्रिका का सम्पादन करते थे। उनकी भाषा संस्कृतनिष्ठ तथा शैली काव्यात्मक है। श्री राधाचरण गोस्वामी, ठाकुर, जगमोहन सिंह आदि ने सामयिक समस्याओं पर निबन्ध लिखे।

द्विवेदी युग (1900 से 1922 ई. तक) – भारतेन्दु युग में हिन्दी गद्य का स्वरूप काफ़ी हद तक निखरा किन्तु अभी–भी उसमें परिष्कार और परिमार्जन की आवश्यकता थी। यह कार्य द्विवेदी युग में पूरा हुआ। इस काल का नामकरण पं. महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर किया गया। द्विवेदी जी ने 'सरस्वती' के माध्यम से व्याकरणनिष्ठ, स्पष्ट एवं विचारपूर्ण गद्य के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया। प्रतिष्ठित 'सरस्वती' पत्रिका के सम्पादक के रूप में द्विवेदी जी ने भाषा के परिमार्जन–परिष्करण का जो कार्य शेष रह गया था, वह भी सम्पन्न हुआ। भारतेन्दु–युग में गद्य का जो विकास हुआ था, वह अब शतधा होकर प्रस्फुटित हुआ।

इस काल में हिन्दी प्रचार का कार्य बीसवीं शताब्दी में अधिकाधिक बढ़ता गया। स्थान–स्थान से पत्र निकले, सभा–सोसायटियाँ स्थापित हुईं, सरकार के पास शिष्ट मण्डल भेजे गये और लेखकों ने मौलिक एवं अनूदित रचनाओं द्वारा भाषा को समृद्ध बनाने की चेष्टा की।

द्विवेदी युग में भावों, विचारों और विषयों के साथ–साथ अनेक शासन सम्बन्धी, न्याय पद्यति सम्बन्धी, शिक्षा सम्बन्धी, ज्ञान–विज्ञान सम्बन्धी, अंग्रेज़ी, बंगला, मराठी, संस्कृत आदि के शब्द–ग्रहण कर भाषा की अभिव्यन्जना शक्ति बढ़ाई गयी।

द्विवेदी युग शब्द भण्डार की वृद्धि के अतिरिक्त गद्य की विविध शैलियों के लिए भी स्मरण रहेगा। इस समय अंग्रेज़ी की लाक्षणिकता, बंगला की कोमलकान्त पदावली, अलंकारों, उर्दू की मुहावरेदानी से समन्वित शैलियों के साथ–साथ प्रेमचन्द और 'प्रसाद' जैसे लेखकों की कृतियों में हिन्दी की निजी शैलियों का विकास हुआ। इसके अतिरिक्त अन्य अनेक लेखकों ने अपने–अपने व्यक्तित्व के अनुरूप शैलियों को जन्म दिया। इस युग में बालमुकुन्द गुप्त, माधव मिश्र, पद्मसिंह शर्मा, गोविन्द नारायण मिश्र, पूर्ण सिंह, प्रेमचन्द, प्रसाद, रामचन्द्र शुक्ल, श्यामसुन्दर दास ने व्यंग्यात्मक, वर्णनात्मक, विचारात्मक, आलोचनात्मक, भावात्मक, तर्क प्रधान, कवित्वपूर्ण, रूपकात्मक, संवादात्मक आदि–अनेक प्रकार की शैलियों को जन्म दिया। इन शैलियों के माध्यम से वे मानव–मन की अनेक स्थूल तथा सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक बातों का विश्लेषण करने लगते। उदाहरणार्थ, 'शिवशंभु के चिट्ठे और ख़त' में बालमुकुन्द गुप्त व्यंग्यपूर्ण शैली का सुन्दर रूप प्रस्तुत करते थे। रामचन्द्र शुक्ल की विचारात्मक शैली के दर्शन 'विचार वीथी' और 'चिन्तामणी' में होते हैं। 'रसज्ञ–रंजन', 'साहित्य–सीकर' आदि में महावीर प्रसाद द्विवेदी की आलोचनात्मक, व्यंग्यात्मक, तर्क प्रधान आदि शैलियों का निर्वाह हुआ है।

भारतेन्दु युग में जिस गद्य साहित्य के विविध रूपों की सर्जना हुई थी, द्विवेदी युग में उनकी कला, रचना–पद्धति, प्रकार आदि की दृष्टि से और भी अधिक विकास हुआ।

छायावादी युग (1919 से 1938 ई.तक)– द्विवेदी युग नैतिक मूल्यों के आग्रह का युग था। जबकि इस युग में द्विवेदी युग की प्रतिक्रिया–स्वरूप साहित्य में भाव तरलता, कल्पना प्रधानता और स्वच्छन्द चेतना आदि भावनाओं का समावेश हुआ। परिणाम यह हुआ कि इस युग में रचित गद्य साहित्य अधिक कलात्मक, लाक्षणिक, कवित्वपूर्ण और अन्तर्मुखी हो गया।

दूसरे शब्दों में द्विवेदी युग के परिमार्जन एवं प्रौढ़ता के साथ–साथ प्रथम महायुद्ध के बाद छायावादी कवियों के हाथ में पड़कर हिन्दी गद्य में हृदय की निगूढ़ सूक्ष्म वृत्तियों को व्यक्त करने की क्षमता आयी और भाषा ने लाक्षणिक, अलंकृत, प्रतीकात्मक, वक्रतापूर्ण और कोमलतापूर्ण रूप ग्रहण किया। डॉ. लक्ष्मीसागर वार्ष्णेय के शब्दों में ''सुमित्रानन्दन पन्त, जयशंकर प्रसाद, निराला, महादेवी वर्मा आदि ने अपने–अपने काव्य–ग्रन्थों की भूमिकाओं तथा स्वतन्त्र रचनाओं के रूप में स्वच्छन्द रोमानी एवं भावपूर्ण प्रवृत्ति द्वारा गद्य को कविता के निकट ला दिया।'' वियोगीहरि, चतुरसेन शास्त्री, रायकृष्णदास, माखनलाल चतुर्वेदी आदि ने अपनी अत्यधिक भावुकता, कलात्मक शब्द चयन, अनुभूति, तन्मयता के माध्यम द्वारा सुन्दर गद्य काव्यों एवं गद्य गीतों की रचना कर गद्य की कवित्वपूर्ण शैली को जन्म दिया। इस युग के प्रमुख गद्यकारों में आचार्य रामचन्द्र शुक्ल, बाबू गुलाब राय, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, नन्ददुलारे वाजपेयी ने चिन्तन–प्रधान गद्य लिखे।

आचार्य रामचन्द्र शुक्ल जी को इस युग का युगान्तकारी निबन्धकार कहा जा सकता है। उन्होंने दो प्रकार के निबन्ध लिखे–साहित्यिक एवं मनोविकार सम्बन्धी। इनके साहित्यिक निबन्ध भी सैद्धान्तिक और व्यावहारिक दो वर्ग के हैं। गुलाबराय जी के कुछ निबन्ध साहित्यिक और कुछ सामान्य विषयों पर लिखे गये हैं। उनकी शैली विचारात्मक, समीक्षात्मक तथा विवरणात्मक रही है।

छायावादोत्तर युग (सन् 1938 के बाद)– इस युग में गद्य बौद्धिक चिन्तन, मानसिक उलझनों एवं विचारों की सूक्ष्म गहराई को व्यक्त करने वाला रहा है। इस युग में मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित होकर लेखकों ने यथार्थवादी जीवन दर्शन को महत्व देना प्रारम्भ किया।

इस युग में वे साहित्यकार भी थे–स्वतन्त्रता पूर्व की परिस्थितियों से प्रभावित और पूर्व से लिखते चले आ रहे थे। इसी पीढ़ी में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, शान्तिप्रिय द्विवेदी, रामधारी सिंह 'दिनकर', जैनेन्द्र, अज्ञेय, यशपाल, वासुदेवशरण अग्रवाल तथा भगवतशरण उपाध्याय आदि प्रमुख हैं।

दूसरी पीढ़ी उन लेखकों की रही जो स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् साहित्य सृजन में प्रवृत्त हुई। इनमें श्री विद्यानिवास मिश्र, हरिशंकर परसाई, कुबेरनाथ राय, फणीश्वरनाथ 'रेणु', शिवप्रसाद सिंह आदि। इस युग में हिन्दी गद्य साहित्य में नवीन कलात्मक गद्य विधाओं का विकास हुआ। इसके साथ ही अनेक व्यक्तिगत शैलियों से सुसज्जित निबन्ध, नाटक, उपन्यास, लघु उपन्यास, कहानी, रिपोर्ताज, एकांकी, फ़ैण्टेसी, उपयोगी तथा विज्ञानिक विषयों से सम्बन्धित लेख आदि। आज हिन्दी की यह स्थिति है कि नवीन साहित्यिक रूपों के सर्जन द्वारा गद्य–साहित्य समृद्ध हो रहा है। उसे अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित मान्यता मिलने लगी है।

गद्य की प्रमुख एवं प्रकीर्ण विधाएँ

हिन्दी के गद्य–साहित्य की विधाओं को दो वर्गों में बाँटा जा सकता है– एक वर्ग प्रमुख विधाओं का है और दूसरा वर्ग गौण या प्रकीर्ण विधाओं का।

गद्य की प्रमुख विधाएँ–

निबन्ध, नाटक, एकांकी, उपन्यास, कहानी

गद्य की प्रकीर्ण या गौण विधाएँ–

1– जीवनी 2– आत्मकथा 3– संस्करण 4– रेखाचित्र
5– रिपोर्ताज 6– यात्रावृत्त 7– डायरी एवं पत्र साहित्य लेखन
8– गद्य काव्य 9– भेंटवार्ता 10– आलोचना

गद्य की विधाओं का संक्षिप्त परिचय

1– निबन्ध– निबन्ध गद्य लेखन की एक उत्कृष्ट विधा है। आचार्य रामचन्द्र शुक्ल के अनुसार ''यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबन्ध गद्य की कसौटी।'' भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास निबन्ध में ही सबसे अधिक सम्भव है। वास्तव में मनुष्य अपने अन्तःकरण की जितनी भी वृत्तियाँ हैं, उन्हें दूसरों के साथ बाँटकर उनसे रागात्मक तादाम्य स्थापित करना चाहता है। मनुष्य की चेतना मन की तहों में, तलघरों में बन्द न रहकर अधिक से अधिक प्रचार व प्रसार चाहती है। अपने कर्मजगत के साथ भावजगत को प्रकाशित करते रहना मनुष्य का उद्देश्य बन जाता है। मन का यही सतत् प्रवाहमान भावजगत जब प्रकट होता है तो साहित्यबद्ध होकर हमारे सामने आता है। अतः साहित्य के माध्यम से अपने आपको प्रकट करना मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। भाव प्रकटन का माध्यम होती है–भाषा।

किसी भी साहित्य के इतिहास में निबन्ध रचना उसी समय सम्भव होती है, जब भाषा में पूर्णता हो। निबन्ध का एक प्रधान लक्षण यह है कि वह इतिहास, भूगोल आदि ज्ञानवर्धक साहित्य के अन्तर्गत नहीं आता। उसे हम उस साहित्य के अन्तर्गत रखते हैं, जिसमें मानसिक उल्लास या

उत्साह हो, जिस साहित्य के अन्तर्गत काव्य, नाटक आदि रखे जाते हैं। डॉ. लक्ष्मीसागर वार्ष्णेय ने इसीलिए कहा है कि– ''निबन्ध–रचना में हम लेखक के मनोनीत विषय की ओर उतना ध्यान नहीं देते, जितना स्वयं लेखक और उसके व्यक्तित्व की ओर। निबन्ध रचना छोटे से छोटे और बड़े–बड़े किसी भी विषय पर हो सकती है। उसमें प्रतिपादित विषय का सांगोपांग निरूपण नहीं होता, वह केवल प्रयास मात्र है। निबन्ध–रचना का प्रधान उद्देश्य लेखक के व्यक्तित्व को प्रकट करना है।'' इसी कारण से आचार्य शुक्ल ने भी निबन्धों को न केवल व्यक्तित्व निरूपण का साधन बल्कि लेखन की कसौटी भी माना। निबन्ध रचना के जन्मदाता प्रसिद्ध फ्रांसीसी लेखक मॉन्तेन का कहना है कि " It is my self I Portray". एक अन्य विद्वान– हडसन ने निबन्ध को ''लेखक के व्यक्तित्व की अभिव्यंजना का नित्यार्थ निखरता हुआ स्वरूप'' स्वीकार किया है। प्रसिद्ध निबन्धकार गुलाबराय के अनुसार– ''निबन्ध उस गद्य रचना को कहते हैं, जिसमें एक सीमित आकार के भीतर किसी विषय का वर्णन या प्रतिपादन एक विशेष निजीपन, स्वच्छन्दता एवं सौष्ठव और सजीवता तथा आवश्यक संगीत तथा सम्बद्धता के साथ किया गया हो।'' वास्तव में निबन्ध सुव्यवस्थित बँधे हुए विचार हैं। नि + बन्ध इन दोनों शब्दों से बने शब्द निबन्ध का तात्पर्य ही भली प्रकार से बँधी हुई परिमार्जित और प्रौढ़ रचना से है।

अन्त में निबन्ध के विषय में, विभिन्न परिभाषाओं को दृष्टिगत रखते हुए हम निम्नलिखित निष्कर्ष निकाल सकते हैं :

1– निबन्ध में आकृति एवं शब्द योजना का उचित सामन्जस्य होना चाहिए।

2– निबन्धों के विषय की कोई सीमा नहीं है।

3– लेखक पूर्ण स्वतन्त्रता के साथ भावों, विचारों एव अनुभूतियों को व्यक्त कर सकता है।

4– निबन्ध व्यक्तित्व का प्रकाशन है अतः भाषा की शुद्धता, भावों–विचारों की तारतम्यता, आवश्यक प्रभाव का ध्यान रखना चाहिए।

निबन्ध के प्रकार

बाहरी तथा आन्तरिक विविधता के आधार पर निबन्ध के अनेक प्रकार निश्चित किये गये हैं। शैली के आधार पर निबन्धों को सामान्यतः इस प्रकार विभाजित किया जा सकता है–

1– कथात्मक निबन्ध 2– विचारात्मक निबन्ध

3– वर्णनात्मक निबन्ध 4– भावात्मक निबन्ध

(1) **कथात्मक निबन्ध–** इन निबन्धों में किसी काल्पनिक वृत्त, आत्मचरितात्मक प्रसंग, पौराणिक आख्यान आदि का प्रयोग होता है। इन निबन्धों में कथात्मकता होती है। किन्तु कुछ विद्वान कथात्मक शब्द के स्थान पर 'विवरणात्मक' शब्द सटीक समझते हैं। दिनकर का 'कबीर साहब से भेंट' इसी श्रेणी का निबन्ध है।

(2) **विचारात्मक निबन्ध–** इस प्रकार के निबन्धों में रचनाकार किसी विषय पर अपने विचार सुसम्बद्ध ढंग से प्रस्तुत करता है। उस विषय पर लेखक का अपना निजी दृष्टिकोण होता है तथा लेखक अपने चिन्तन–मनन, अध्ययन, तर्क–वितर्क तथा खण्डन–मण्डन का सहारा

लेकर विषय का प्रभावशाली ढंग से प्रतिपादन करता है। इस प्रकार के निबन्धों में भावना–कल्पना के स्थान पर बुद्धि तत्व की प्रधानता होती है। गुलाबराय जी का 'भारत की सांस्कृतिक एकता' इसी प्रकार का निबन्ध है।

(3) **वर्णनात्मक निबन्ध–** इन निबन्धों में प्रायः किसी दृश्य, दर्शनीय स्थल, स्थान, भवन, मेला, तीर्थस्थान, ऐतिहासिक इमारत, सभा–सम्मेलन आदि का वर्णन होता है। कल्पना, सूक्ष्म–दृष्टि, सजीवता, रोचकता इन निबन्धों के आवश्यक गुण होते हैं। डॉ. विद्यानिवास मिश्र का 'रुपहला धुँआ' इसी प्रकार का निबन्ध है।

(4) **भावात्मक निबन्ध–** इन निबन्धों में भावना की प्रधानता रहती है। रागात्मकता तथा भाव व्यन्जना इन निबन्धों का विशेष गुण होता है। गहनतम अनुभूतियों का प्रकाशन इन निबन्धों के माध्यम से होता है। भगवतशरण उपाध्याय का 'मैं मज़दूर हूँ' तथा रघुवीर सिंह का 'फतेहपुर–सीकरी' ऐसे ही निबन्ध हैं।

इसके अतिरिक्त कुछ समीक्षक आत्मपरक, हास्य–व्यंग्यपरक निबन्धों की एक श्रेणी स्वीकार करते हैं।

निबन्ध की शैली

शैली से तात्पर्य निबन्ध रचना की भाषागत शैली तथा रूप–विधान की शैली है। वास्तव में विचाराभिव्यक्ति के विशेष प्रकार को शैली का नाम दिया गया है।

डॉ. लक्ष्मीसागर वार्ष्णेय के अनुसार– *''लेखक यदि पुष्प है तो शैली उसकी सुगन्ध।''*

संक्षेप में निबन्ध की शैलियाँ निम्न हैं :

(1) **व्यास शैली**– इस शैली में विवरणात्मक या वर्णनात्मक निबन्ध लिखे जाते हैं। इसे प्रसाद शैली भी कहा जाता है। इस शैली में किसी भी भाव या विचार को स्पष्ट एवं रोचक ढंग से विस्तार दिया जाता है।

(2) **समास शैली**– इस शैली में भाव या विचार कम से कम शब्दों में व्यक्त किया जाता है। इसका उपयोग विचारात्मक निबन्धों में होता है। जैसे– रामचन्द्र शुक्ल जी के निबन्ध।

(3) **विवेचन शैली**– अपने विषय का तर्कसम्मत प्रतिपादन करने के लिए इस शैली का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार के निबन्धों में गम्भीरता होती है।

(4) **व्यंग्य शैली–** शब्द चयन और अर्थ चमत्कार पर विशेष ध्यान देते हुए लेखक इस शैली में अपने कथन में व्यंग्य लाने का प्रयास करता है। हास्य–व्यंग्य निबन्ध को रोचक भी बनाते हैं और कमियों, समस्याओं तथा जीवन व्यवहार पर कटाक्ष भी करते हैं।

(5) **आवेग शैली–** इस शैली में अपने मन के प्रवाहपूर्ण भावों को लेखक उत्साहपूर्वक व्यक्त करता है। कहीं–कहीं तो भावों के आवेग को रोकने तथा वहन करने में भाषा असमर्थ हो जाती है।

(6) **संलाप शैली–** इस शैली में दो प्राणियों के बीच संवादों के माध्यम से निबन्ध को गति दी जाती है।

(7) **प्रलाप शैली–** इस शैली में लेखक आन्तरिक आवेश के कारण अपने भावों पर नियन्त्रण नहीं रख सकता। इस कारण कभी–कभी विचारों की तारतम्यता भी टूट जाती है।

(8) आगमन शैली– इसमें विचारों को पहले विस्तारपूर्वक कहा जाता है। इसके पश्चात् सारे वर्णन को सूक्ष्म रूप में कह दिया जाता है।

(9) निगमन शैली– इस शैली में पहले अपने विचारों को सूत्र रूप में प्रस्तुत किया जाता है, तत्पश्चात् उन भावों को समझाने के लिए विस्तार से सरल शब्दों में व्याख्या कर दी जाती है।

निबन्ध का विकास–क्रम

हिन्दी निबन्ध विधा का विकास आधुनिक काल में हुआ। इसके विकास को चार युगों में विभाजित किया जाता है–

1– भारतेन्दु युग (1850–1900)– प्रसिद्ध गद्य–लेखक, कवि, नाटकार, संपादक के रूप में साहित्य में स्थापित भारतेन्दु हरिश्चन्द्र के नाम से इस युग का नामकरण किया गया है। भारतेन्दु और उनके सहयोगियों ने निबन्ध रचना के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

विशेषताएँ– भारतेन्दु युग की विशेषताए संक्षिप्त में इस प्रकार हैं:

1) इस युग के अधिकांश लेखक किसी न किसी पत्र–पत्रिका से जुड़े थे।
2) निबन्धकारों में समाज–सुधार की भावना थी।
3) निबन्धों की शैली में मनमौजीपन झलकता है। इस युग के निबन्धकारों ने सरल भाषा, मुहावरे–लोकोक्तियों का प्रयोग, रोचक विषय, हास्य–व्यंग्य के द्वारा निबन्धों को लोकप्रियता प्रदान की।
4) गद्य की प्रारम्भिक अवस्था होने के कारण कहीं–कहीं भाषा में शिथिलता आ गयी है।
5) इस काल के निबन्धों में विषयों में विविधता को अपनाया गया।

प्रमुख निबन्धकार– भारतेन्दु हरिश्चन्द्र, प्रतापनारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, बद्रीनारायण आदि।

2– द्विवेदी युग (सन् 1900 से 1920 तक) :

1) इस युग में निबन्धकारों के व्यक्तित्व के अनुरूप नयी–नयी शैलियों को अपनाया गया।
2– इस युग के लेखकों की शैली में बौद्धिकता तथा विवेचन–विश्लेषण के प्रति विशेष आग्रह दिखाई देता है।
3) भाषा की संरचना में व्याकरणबद्धता तथा सुव्यवस्थित रूप देखने को मिलता है।
4) द्विवेदी युगीन लेखकों ने शिक्षा, ज्ञान, विज्ञान जैसे विषयों पर उच्चस्तरीय और गम्भीर निबन्ध लिखे।
5) निबन्धों में विदेशी विचारकों तथा सिद्धान्तों का भी प्रभाव देखने को मिलता है।
6) समीक्षात्मक निबन्धों में पाश्चात्य समीक्षा सिद्धान्तों का प्रभाव पड़ा।

प्रमुख लेखक– महावीर प्रसाद द्विवेदी, बाबू श्यामसुन्दर दास, अध्यापक पूर्ण सिंह, चन्द्रधर शर्मा 'गुलेरी'।

3– शुक्ल युग (1920 से 1945 तक) : आचार्य रामचन्द्र शुक्ल के नाम पर इस युग का नामकरण किया गया। शुक्ल जी ने गहन चिन्तन, मनन तथा अभिव्यक्ति की विशिष्टता के कारण अपना स्थान बनाया। उन्होंने हिन्दी निबन्ध तथा समीक्षा को एक नयी दिशा प्रदान की।

विशेषताएँ :

1– इस युग के निबन्धों पर कार्लमार्क्स के विचारों का प्रभाव पड़ा।

2– राष्ट्रीय समस्याओं को निबन्ध के माध्यम से उठाया गया और उसके समाधानों से लेकर प्रत्येक पहलू पर विमर्श किया गया।

3– छायावाद के पक्ष–विपक्ष में भी निबन्धों में चर्चा की गयी।

4– चिन्तन–मनन का प्राधान्य इस युग में देखने को मिला।

प्रमुख लेखक– रामचन्द्र शुक्ल, डॉ. रघुवीर सिंह, बाबू गुलाबराय, पदुमलाल–पुन्नालाल बख्शी।

4– शुक्लोत्तर युग (1945 से वर्तमान तक) :

1– इस काल में निबन्धों में बहुआयामी विकास हुआ। यह युग विविध विषयों एवं विविध शैलियों से सम्पन्न रहा।

2– ललित निबन्धों की सरसता से सभी रस–रिक्त हुए, वहीं दार्शनिक तथा सैद्धान्तिक स्तर पर विचारात्मक निबन्धों का प्रणयन हुआ।

3– डॉ. रामविलास शर्मा, शिवदान सिंह चौहान आदि ने प्रगतिवादी निबन्ध लिखे। महादेवी वर्मा ने संस्मरणात्मक निबन्धों से हिन्दी का भण्डार भरा।

4– लोक–साहित्य, हास्य–व्यंग्य, गाँधीवाद आदि विषयों और शैलियों में अनेक लेखक प्रवृत्त हुए तथा विविधता के दर्शन इस युग के निबन्धों में होते हैं।

नाटक

नाटक को दृश्य काव्य के अन्तर्गत रखा जाता है। नाटक नट् धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है–अवस्कन्दन अर्थात् शारीरिक और मानसिक क्रियाओं का परिचालन। यह परिचालनकर्त्ता नट तथा उसका कार्य नाटक कहलाता है। मनुष्य में अनुकरण की प्रवृत्ति जन्मजात होती है, जो स्वाभाविक है। इसी कारण हमारे विद्वानों ने अनुकरण को ही नाटक कहा है। धनंजय ने दश–रूपक में अनुकरण को ही नाट्य का मूलाधार कहा है। इसी अनुकरण को आपसी वार्तालाप, संगीत, नृत्य, वेशभूषा एवं भाव–भंगिमा से समन्वित कर देने पर वह नाटक बन जाता है।

संस्कृत साहित्य में नाट्य साहित्य का गौरवपूर्ण स्थान रहा है। हिन्दी नाट्य परम्परा संस्कृत, संस्कृत नाट्य परम्परा से अत्यधिक प्रभावित रही है। अंग्रेज़ों के शासनकाल में थियेटर तथा थियोसोफिकल सोसायटीज़ का हिन्दी रंगमंच पर अत्यधिक गहरा प्रभाव पड़ा।

भारतेन्दु युग में हिन्दी नाटक का बहुत विकास हुआ। द्विवेदी युग में आकर उसकी प्रगति रुक गयी और उससे आगे प्रसाद युग में हिन्दी साहित्य के श्रेष्ठतम नाटक लिखे गये।

हिन्दी नाट्य परम्परा का विकास

अध्ययन की दृष्टि से नाटक के विकास युग को निम्नलिखित शीर्षकों में बाँटा जा सकता है–

1– भारतेन्दु युगीन नाटक

2– प्रसाद युगीन नाटक

3– प्रसादोत्तर नाटक

1) भारतेन्दु युगीन नाटकः

भारतेन्दु जी ने देश–प्रेम की भावना से ओत–प्रोत होकर कुछ मौलिक नाटक लिखे– 'वैदिक हिंसा', 'हिंसा न भवति', 'विषस्य विषमौषधम्', 'अंधेर नगरी', 'भारत दुर्दशा' आदि ।

ऐतिहासिक नाटक– जगन्नाथ चतुर्वेदी का 'तुलसीदास', मिश्र बन्धुओं का 'शिवाजी', वियोगी हरि का 'प्रबुद्ध यामने' आदि नाटक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में लिखे गये।

इस युग में पारसी नाट्य शैली का भी पर्याप्त प्रभाव पड़ा। राधेश्याम कथावाचक, हरिकृष्ण प्रेमी की रचनाओं पर यह प्रभाव स्पष्ट देखा जा सकता है।

प्रसाद युग– नाटकों में उल्लेखनीय परिवर्तन इस युग में देखा जा सकता है। इस युग के नाटकों में हमारी भारतीय संस्कृति की झलक तथा साथ–साथ प्रबल राष्ट्रीयभाव भी देखने को मिलता है।

प्रसाद के नाटकों में काव्यमय वार्तालाप, भाषा का प्रवाह, ओजपूर्ण शैली, अद्‌भुत शिल्प विधान ने इन्हें अन्य विधाओं की श्रेणी में समृद्ध तथा उल्लेखनीय स्थान दिलाया।

इस युग के अन्य नाटककारों में बदरीनारायण 'भट्ट', आचार्य विश्म्भरनाथ शर्मा 'कौशिक'', चतुरसेन शास्त्री ने प्रशंसनीय कार्य किया। जी.पी.श्रीवास्तव ने 'उलटफेर' तथा 'गड़बड़झाला' नाटक लिखकर हास्य रुचि का परिष्कार किया। गोविन्दवल्लभ पन्त ने ऐतिहासिक, सामाजिक एवं पौराणिक क्षेत्र में 'कन्जूस की झोंपड़ी', 'वर–माला', 'राजमुकुट', 'अंगूर की बेटी', 'ययाति' आदि नाटक लिखे।

प्रसादोत्तर युग– यह युग विषयवस्तु, शैली, प्रस्तुतीकरण की दृष्टि से नवीनता से भरा हुआ है। नाटक को अन्य विधाओं के रूप में प्रस्तुत करना, साथ ही युगीन चेतना एवं विचारधारा का प्रभाव विशेष रूप से नाट्य साहित्य में देखा जा सकता है। इस युग में एकांकी, गीत–नाट्य, रेडियो–रूपक, प्रहसन, काव्य–रूपक आदि पर्याप्त मात्रा में लिखे जाने लगे। विषयों की विविधता के रूप में रूढ़ियों–परम्पराओं का खण्डन, सामाजिक और राजनैतिक समस्याएँ, व्यक्तिगत समस्याओं का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत किया गया।

प्रमुख नाटककारों में–

सेठ गोविन्ददासः– बड़ा पापी कौन?, हर्ष, प्रकाश, दलित कुसुम आदि ।

वृन्दावनलाल वर्माः– राखी की लाज, बाँस की फाँस, झाँसी की रानी आदि।

मोहन राकेशः– आषाढ़ का एक दिन, लहरों का राजहंस।

उपेन्द्रनाथ अश्क़ः– जय–पराजय, स्वर्ग की मलिका, छटा बेटा आदि।

एकांकी

परिचय– एकांकी, नाटक का एक प्रकार है। नाटक और एकांकी के तत्व समान हैं। एकांकी में एक ही अंक, एक घटना, एक कार्य और एक ही समस्या होती है। किन्तु एकांकी एक ही अंक का नाटक होता है।

परिभाषा– एकांकी नाटक में कथानक कथाओं का जाल नहीं अपितु एककथा का संगठित रूप होता है। एकांकी नाटक का प्रणयन वर्तमान काल के व्यस्त जीवन का प्रतिफल है। हिन्दी भाषा में एकांकी रचना का आगमन पाश्चात्य One Act Play से हुआ है। सन् 1930 ई. के लगभग श्री जयशंकर प्रसाद के 'एकघूँट' एकांकी को हिन्दी का प्रथम एकांकी स्वीकार किया गया है। एकांकीकार अपनी रचना द्वारा एक ही उद्‌देश्य को व्यक्त करता है। एकांकी की शैली में संक्षिप्तता एवं गतिशीलता होती है। इसमें जीवन का यथार्थ स्वरूप रहता है।

एकांकी के प्रकार– शैली, विषयवस्तु, रचना–प्रकार तथा मूल प्रवृत्ति के आधार पर एकांकियों के अनेक प्रकार किए जाते हैं–

1– **तकनीक या रचना के आधार पर:**

(1) मोनोप्ले (2) स्क्रिप्ट (3) फ़ैण्टेसी (4) रेडियो प्ले (5) फ़ीचर
(6) गीतनाट्य (7) ऑपेरा (8) झाँकी (9) सम्भाषण

2– **मूल प्रवृत्ति के आधार पर**– इनके आठ भेद हैं :

(1) आलोचना एकांकी (2) विवेकवान एकांकी (3) भावुक
(4) समस्या एकांकी (5) अनुभूतिमय एकांकी (6) व्याख्यामूलक एकांकी
(7) आदर्श मूलक एकांकी (8) प्रगतिवादी एकांकी

3– **विषयवस्तु के आधार पर**– (1) सामाजिक (2) राजनैतिक (3) ऐतिहासिक
(4) पौराणिक (5) साहित्यिक

एकांकी युग विभाजन– हिन्दी गद्य साहित्य की अन्य विधाओं के समान हिन्दी में एकांकी का प्रादुर्भाव पाश्चात्य प्रभाव से हुआ है। यद्यपि संस्कृत में भी महाकवि भास विरचित एकांकी नाटक ईसा के पूर्व समय में लिखे गये थे, परन्तु हिन्दी एकांकीकार अंग्रेज़ी साहित्य के 'वन एक्ट प्ले' से ही प्रभावित है।

भारतेन्दु ने (1) विषस्य विषमौषधम् (2) भारत दुर्दशा (3) अन्धेरी नगरी (4) धनंजय विजय आदि एकांकी लिखे हैं। इनका शिल्प संस्कृत एकांकी से प्रभावित है। ये आधुनिक एकांकी के शिल्प से बहुत दूर हैं।

हिन्दी का पहला एकांकी किसे स्वीकार किया जाय, इस विषय में पर्याप्त मतभेद हैं। कुछ समीक्षक जयशंकर प्रसाद के 'एकघूँट' एकांकी को, कुछ डॉ. रामकुमार वर्मा के 'बादल की मृत्यु' एकांकी को, कुछ भुवनेश्वर प्रसाद के 'कारवाँ' को प्रथम एकांकी मानते हैं।

प्रमुख एकांकीकार–

डॉ. रामकुमार वर्मा– पृथ्वीराज की आँखें, रेशमी टाई, दीपदान
उदयशंकर भट्ट– नकली और असली, नये मेहमान
उपेन्द्रनाथ अश्क़– सूखी डाली, पापी, अधिकार का रक्षक
जगदीशचन्द्र माथुर– भोर का तारा, रीढ़ की हड्डी
विष्णु प्रभाकर– हवा के बाद, वापसी

नाटक और एकांकी में अन्तर

1– नाटक में अनेक अंक होते हैं, जबकि एकांकी में केवल एक ही अंक होता है।
2– नाटक में मुख्य कथा के साथ–साथ अन्य गौण कथाएँ भी होती हैं, जबकि एकांकी में केवल मुख्य कथा ही होती है।

3– नाटक में स्थान, घटना और समय की एकता पर बल नहीं दिया जाता, किन्तु एकांकी संकलन तथ्य पर विशेष ध्यान दिया जाता है।

4– नाटक, दृश्य काव्य का एक वृहद् रूप है, जबकि एकांकी दृश्य काव्य का लघु रूप है।

5– नाटक एक बगीचा है, तो एकांकी सजा हुआ रंग–बिरंगे फूलों का गुलदस्ता।

नाटक / एकांकी के तत्व

एकांकी / नाटक के समीक्षकों ने निम्नलिखित तत्व स्वीकार किये हैं–

1– कथावस्तु
2– पात्र एवं चरित्र–चित्रण
3– संवाद या कथोपकथन
4– देशकाल तथा वातावरण
5– भाषा शैली
6– उद्देश्य

1– कथावस्तु– नाटक / एकांकी का कथानक ही कथावस्तु कहलाता है। कथानक का वह अंश जो नायक–नायिका से सम्बद्ध होता है, अधिकारिक तथा वह अंश जो अन्य पात्रों से सम्बन्धित होता है, प्रासंगिक कथावस्तु माना जाता है। लेखक के मन में कोई भाव आता है, जिससे कथा बनती है। लेखक कथा के क्रम में आवश्यक परिवर्तन करता है। घटनाओं को जोड़ता है। पात्रों की संरचना में उन घटनाओं को जोड़ता चलता है। एकांकी की कथावस्तु के तीन भाग होते हैं :

प्रारम्भ– इसमें पात्र परिचय, सम्बन्ध, कार्य व्यापार से संघर्ष प्रारम्भ होता है।
विकास– दो विरोधी स्थितियों, सिद्धान्तों, आदर्शों का विकास तथा पाठक की उत्सुकता बढ़ती है।

चरमोत्कर्ष– जब पाठक का कौतूहल चरम पर पहुँच जाए– इसे चर्मोत्कर्ष की स्थिति कहते हैं।

2– पात्र– एकांकी में पात्रों की संख्या कम अच्छी मानी जाती है। घटना के उतार–चढ़ाव तथा संघर्षों में चरित्र ठीक से उभर कर आता है। पात्र कथानक को सजीव बनाते हैं। प्रत्येक पात्र की उपस्थिति विशिष्ठ उद्देश्य के लिए होती है।

3– संवाद– संवाद एकांकी के प्राण होते हैं। इससे कथानक आगे बढ़ता है। पात्रों का चरित्र–चित्रण संवादों के द्वारा ही होता है तथा संवाद एकांकी की प्रस्तुति को रोचक बनाते हैं। संवाद पैने, चुस्त, लाक्षणिक, भावपूर्ण, संक्षिप्त, प्रसंगानुकूल तथा पात्रानुकूल होने चाहिए।

4– देशकाल एवं वातावरण– एकांकी में देशकाल का वातावरण निर्मित किया जाता है। इसी के आधार पर वेशभूषा तथा संवाद पात्रों के कार्य–व्यापार की रचना की जाती है। इससे अभिनय में स्वाभाविकता आती है।

5– भाषा शैली– भाषा के समुचित प्रयोग से लेखक अपने कथ्य को अधिक प्रभावशाली बनाते हैं। मनोभावों को अभिव्यक्त करने का सशक्त साधन भाषा है। भाषा का प्रयोग पात्र, संस्कृति, वातावरण तथा परिस्थिति के अनुकूल होना चाहिए।

6– **उद्देश्य–** नाटक / एकांकी की रचना विशिष्ठ उद्देश्य को लेकर की जाती है।

7– **अभिनेता**– रंगमंच की आवश्यकताओं के अनुरूप, पात्रों के अनुरूप अभिनेयता एकांकी को प्राणवान बनाती है।

उपन्यास

''उपन्यस्येत इति उपन्यास'' : उपन्यास का अर्थ है–सामने रखना।

''उपन्यास प्रसादनम्'' उपन्यास का अर्थ है–किसी वस्तु को इस प्रकार संजोकर रखना, जिससे दूसरे प्रसन्न हों। किन्तु आज का उपन्यास अंग्रेज़ी के नॉवेल (Novel) शब्द का पर्यायवाची हो गया है। डॉ. भागीरथ मिश्र के अनुसार– ''युग की गतिशील पृष्ठभूमि पर, सहज शैली में स्वाभाविक जीवन की एक पूर्ण झाँकी प्रस्तुत करने वाला गद्य काव्य उपन्यास है।'' डॉ. श्यामसुन्दर दास ने इसे ''वास्तविक जीवन की काल्पनिक कथा'' माना।

उपन्यास के तत्वः

1– **कथावस्तु :** उपन्यास की मूल कहानी को कथावस्तु कहते हैं। इसमें अनेक घटनाओं का समायोजन होता है। मूल कथा के साथ अन्य प्रासंगिक घटनाएँ भी होती हैं।

2– **पात्र या चरित्र–चित्रणः** उपन्यास मानव जीवन का चित्र है। इसमें मानव–चरित्र के विविध रूप प्रस्तुत किये जाते हैं। पात्रों का विकास, ह्रास, उतार–चढ़ाव, अच्छाई–बुराई सभी का विवरण चित्रवत् होता है।

3– **कथोपकथन** : कथोपकथन से कथावस्तु को गतिशीलता मिलती है। कथोपकथन की भाषा सरल, चुटीली, प्रवाहमयी तथा पात्रानुकूल होती है।

4– **देशकाल और परिस्थिति** : देशकाल का सजीव समावेश पात्रों के चरित्र को सजीव व स्वाभाविक बनाता है। युगीन परिस्थितियों, खान–पान, रीति–रिवाज़, रहन–सहन में आये परिवर्तनों के आधार पर देशकाल का सामन्जस्य होना आवश्यक है।

5– **भाषा शैली–** कथावस्तु को रोचक बनाने के लिए प्रभावोत्पादक भाषा और आकर्षक शैली आवश्यक है। उपन्यास के लिए चार प्रकार की शैलियों को उत्तम माना गया है–
1) कथा शैली, 2) आत्मकथा शैली, 3) डायरी एवं 4) पत्र शैली

6– **उद्देश्य–** उपन्यास की पृष्ठभूमि विशाल होती है अतः अपने कथ्य में लेखक अपने उद्देश्य की पूर्ति करता चलता है। चाहे किसी का चरित्र–उजागर करना हो, युगीन परिस्थिति के अनुरूप आदर्श स्थापित करना हो या पात्रों के मनोजगत का सजीव दृश्य उपस्थित करना हो। रचनाएँ सउद्देश्य होती हैं।

उपन्यास के प्रकार :

उपन्यास के क्षेत्र में 1877 में देवकीनन्दन खत्री जी ने 'तिलस्म एवं ऐयारी' की अभूतपूर्व सामग्री अपने उपन्यासों में दी। उन्होंने–'चन्द्रकान्ता', 'शैतान', 'नरेन्द्र मोहिनी' उपन्यास लिखे। गोपालदास गहमरी ने भी 'जासूसी' विषय को लेकर 'भानुमति', 'घटाटोप', 'ख़ूनी कौन' आदि उपन्यास लिखे।

तिलस्म तथा ऐयारी की दुनिया से हटकर 'प्रेमचन्द ने आदर्शोन्मुख, यथार्थवादी उपन्यास सामाजिक पृष्ठभूमि में लिखे–'ग़बन', 'गोदान', 'रंगभूमि', 'कर्मभूमि' उनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं।

अन्य सामाजिक चेतना वाले उपन्यासकार निम्न हैं–

श्री भगवतीशरण वर्मा– चित्रलेखा, टेढ़े–मेढ़े रास्ते, भूले–बिसरे चित्र।

श्री अमृतलाल नागर– सुहाग के नूपुर, ये कोठेवालियाँ आदि।

श्री नरेश मेहता– धूमकेतु, एकश्रुति, नदी यशस्वी है, प्रथम फाल्गुन आदि।

मनोविज्ञान विषय को लेकर भी निम्नलिखत लेखकों ने अपनी क़लम चलाई–

श्री जैनेन्द्र– कल्याणी, परख, त्याग–पत्र, सुनीता, सुखदा आदि।

श्री इलाचन्द्र जोशी– कृष्णमयी, संन्यासी, पर्दे की रानी, मुक्ति पथ।

श्री अज्ञेय– शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप, अपने–अपने अज़नबी

आंचलिक शैली– इस शैली में लिखने वाले लेखकों में–

फणीश्वरनाथ रेणु– मैला आँचल, परती परीकथा, जुलूस।

नागार्जुन– नई पौध, दुःख मोचन, रतिनाथ की चाची, इमरतिया आदि।

समाजवादी– इस शैली के उपन्यासकारों में यशपाल– झूठा सच, दिव्या, दादा कॉमरेड।

ऐतिहासिक उपन्यासकारों में– इस शैली में डॉ. हजारी प्रसाद द्विवेदी 'अनामदास का पोथा', 'बाणभट्ट की आत्मकथा' आदि उल्लेखनीय हैं।

कहानी

कहानी साहित्य की एक ऐसी विधा है, जिसका प्रारम्भ हम मानव सभ्यता के प्रारम्भिक विकास के साथ ही मान सकते हैं। मानव अपने भावों को दूसरों के सम्मुख व्यक्त करना चाहता है। उसकी इसी प्रवृत्ति ने कहानी को जन्म दिया होगा।

भारतवर्ष में सम्पूर्ण पौराणिक आख्यान साहित्य की श्रेणी में आता है। पंचतन्त्र, हितोपदेश, बैताल पच्चीसी, सिंहासन बत्तीसी आदि प्रारम्भिक काल से ही लोकप्रिय हैं।

यद्यपि कहानी आधुनिक साहित्य की देन है, परन्तु अत्यन्त प्राचीन काल से यह कथा–गल्प, आख्यायिका और आख्यान आदि के रूप में प्रचलित है। इसलिए कहा जाता है ''जो कहा जाए वह कहानी है।'''

मुन्शी प्रेमचन्द के अनुसार– ''ग़ल्प एक ऐसी रचना है, जिसमें जीवन के किसी एक अंग या किसी एक मनोभाव को प्रदर्शित करना ही कहानीकार का उद्देश्य होता है। उसके चरित्र, उसकी शैली, उसका स्वरूप विन्यास, उसी एक भाव को प्रकट करते हैं। वह एक रमणीक उद्यान नहीं, जिसमें भाँति–भाँति के फूल, बेल–बूटे सजे हों, बल्कि एक गमला है, जिसमें एक ही पौधे का माधुर्य अपने समुचित रूप में दृष्टिगोचर होता है।''

बाबू गुलाबराय के अनुसार– ''छोटी कहानी एक स्वतः पूर्ण रचना है, जिसमें एक तथ्य या प्रभाव को अग्रसर करने वाली व्यक्ति पर केन्द्रित घटना या घटनाओं के आवश्यक परन्तु कुछ–कुछ अप्रत्याशित ढंग से उत्थान–पतन और मोड़ के साथ पात्रों के चरित्र पर प्रकाश डालने वाला कुतूहलपूर्ण वर्णन हो।''

हिन्दी कहानी का विकास

आधुनिक हिन्दी कहानी विधा के विकास को निम्नलिखित चार कालों में विभाजित किया गया है–

1– 1900–1910 प्रारम्भिक या प्रयोगकाल

2– 1910–1936 विकास काल पूर्वार्द्ध

3– 1936–1947 विकास काल उत्तरार्द्ध

4– 1947 से वर्तमान समय तक

1– प्रारम्भिक या प्रयोगकाल– इस युग की कहानियों में प्रथमबार कहानी के शिल्प की ओर ध्यान दिया गया। कथावस्तु एवं चरित्र–चित्रण, वातावरण आदि तत्वों का समुचित समावेश करने का प्रयत्न किया गया।

प्रमुख कहानीकार– श्री किशोरीलाल गोस्वामी (इन्दुमति), आचार्य रामचन्द्र शुक्ल (ग्यारह वर्ष का समय), बंग महिला (दुलाई वाली), माधवराव सप्रे (टोकरी भर मिट्टी), जयशंकर प्रसाद (ग्राम), गिरिजादत्त वाजपेयी (पण्डित और पण्डिताइन) आदि। इनमें से किसी एक को हिन्दी की प्रथम मौलिक कहानी सिद्ध करने का प्रयास समीक्षकों ने किया है।

2– विकासकाल पूर्वार्द्ध– इस काल की कहानियों में कथानक संगठन तथा चरित्र–चित्रण की ओर विशेष ध्यान दिया गया। कहानियों में इतिहास और कल्पना, आदर्श और यथार्थ का सहज सामन्जस्य प्राप्त होता है। यह हिन्दी कहानी का स्वर्णिम युग कहा जा सकता है।

प्रमुख कथाकार–

1– चन्द्रधर शर्मा 'गुलेरी'– उसने कहा था, सुखमय जीवन, बुद्ध का काँटा।

2– जयशंकर प्रसाद– पुरस्कार, आकाशदीप, गुण्डा, ममता।

3– प्रेमचन्द– पंच परमेश्वर, पूस की रात, कफ़न, बूढ़ी काकी।

4– विश्वम्भरनाथ शर्मा 'कौशिक'– रक्षाबन्धन, ताई, चित्रशाला।

इनके अतिरिक्त सुदर्शन (हार की जीत), निराला (सुकुल की बेटी) उल्लेखनीय हैं।

3– विकास काल उत्तरार्द्ध– इस युग की कथाओं पर मनोविश्लेषणात्मक शैली का प्रभाव पड़ा। इस काल में सामाजिकता की अपेक्षा संवेदनाओं को अधिक महत्व दिया गया।

प्रमुख कहानीकार–

1– श्री जैनेन्द्र कुमार– पाज़ेब, अपना–अपना भाग्य

2– श्री अज्ञेय– रोज़, अमर वल्लरी, कोठरी की रात

3– श्री यशपाल– दुःख का अधिकार, परदा

4– स्वातन्त्र्योत्तर काल– इस काल की कहानियों में शिल्प और परिवेश में नवीनता मिलती है। 'नई कहानी', 'अकहानी', 'सचेतन कहानी' आदि नामों से अनेक आन्दोलन भी हुए।

प्रमुख कहानीकार–

1– श्री फणीश्वरनाथ रेणु– ठेस, संवदिया, लाल पान की बेग़म

2– श्री कमलेश्वर– खोई हुई दिशाएँ, साँप आदि

3– श्री मोहन राकेश– एक और ज़िन्दगी, सौदा

4– श्री राजेन्द्र यादव– छोटे–छोटे ताज़महल, किनारे से किनारे तक तथा अन्य कथाकारों में सर्वश्री निर्मल वर्मा, भीष्म साहनी, शिवानी, मन्नू भण्डारी एवं मार्कण्डेय आदि।

कहानी–उपन्यास में अन्तर

यद्यपि कहानी व उपन्यास के तत्व एक समान हैं, फिर भी स्वरूप व प्रभाव की दृष्टि से निम्नलिखित अन्तर किये जा सकते हैं–

1– कहानी में केवल एक कथावस्तु होती है, जबकि उपन्यास में मुख्य कथावस्तु के साथ कई प्रासंगिक कथाएँ भी होती हैं।

2– कहानी में पात्रों की संख्या सीमित होती है, उपन्यास में पात्र अधिक होते है।

3– कहानी में सीमित आकार के कारण विश्लेषण सम्भव नहीं, पर उपन्यास में सम्भव है।

4– उपन्यास में नायक के सम्पूर्ण जीवन का चित्रण सम्भव होता है व कहानी में एक ही प्रसंग का।

श्रेष्ठ कहानी की विशेषताएँ

1– कहानी के तत्वों का उचित समायोजन

2– श्रेष्ठ संवाद

3– निरन्तर जिज्ञासा

4– कथन का विशिष्ठ ढंग

गद्य की प्रकीर्ण विधाएँ

1– जीवनी– किसी महान् व्यक्ति के जीवन का समग्र चित्रण जीवन की घटनाओं को कालक्रम से प्रस्तुत करना, जिससे उसके व्यक्तित्व के सभी पक्ष उद्घाटित हो सकें–जीवनी कहलाती है। जीवनीकार, जीवनी में प्रायः उन स्थलों का चयन करता है, जिनके द्वारा पाठक प्रेरणा ग्रहण कर सके। जीवनी का प्रामाणिक होना आवश्यक है। जीवनी लेखक तटस्थ रहता है।

प्रमुख जीवनी लेखक–

1. अमृतराय– 'कलम का सिपाही'
2. शान्ति जोशी– 'सुमित्रानन्दन पन्त
3. डॉ. रामविलाश शर्मा– 'निराला की साहित्य साधना'
4. विष्णु प्रभाकर– 'आवारा मसीहा'

आत्मकथा– भाषा के माध्यम से स्वयं अपने जीवन को प्रस्तुत करना ही आत्मकथा लेखन कहलाता है। यह संस्मरणात्मक होती है। पाठकों के साथ आत्मीयता इसका प्रधान गुण है।

प्रमुख आत्मकथाकार–

1. महात्मा गाँधी– 'सत्य के प्रयोग'
2. जवाहरलाल नेहरू– 'मेरी कहानी'
3. भारतेन्दु हरिश्चन्द्र– 'कुछ आप बीती कुछ जगबीती'
4. हरिवंशराय बच्चन– 'नीड़ का निर्माण फिर'

संस्मरण– संस्मरण आत्मकथा से प्रस्फुटित हुई विधा है। लेखक के स्मृति–पटल पर अंकित किसी व्यक्ति विशेष के जीवन की घटनाओं का विवरण संस्मरण है। यह वास्तविक किन्तु संक्षिप्त होता है। इसका पात्र प्रायः महापुरुष या किसी घटना जो विशिष्ट हो, से प्रभावित होता है। संस्मरण का क्षेत्र अन्तर्जगत न होकर बाह्य होता है।

प्रमुख लेखक–

1. पद्म सिंह 'कमलेश'– ' '
2. शिवरानी जी– 'प्रेमचन्द घर में'
3. महादेवी वर्मा– 'पथ के साथी'
4. उपेन्द्रनाथ अश्क़– 'मण्टो मेरा दुश्मन'

रेखाचित्र– ''रेखाचित्र'' शब्द अंग्रेज़ी के 'स्केच' शब्द का अनुवाद है। इसमें शब्दों की कलात्मक रेखाओं के द्वारा किसी वस्तु, व्यक्ति अथवा घटना के बाह्य तथा आन्तरिक स्वरूप का चित्र इस प्रकार प्रस्तुत किया जाता है कि मानों पाठक के हृदय में उसकी सजीव तथा यथार्थ मूर्ति अंकित हो जाती है। रेखाचित्र में चित्रकला तथा साहित्य का सुन्दर सामन्जस्य दिखाई पड़ता है। रेखाचित्र में सांकेतिकता, कम शब्दों का प्रयोग, तटस्थता तथा संवेदना प्रमुख होती है। रेखा चित्रकार वास्तव में शब्द शिल्पी होता है।

प्रमुख रेखा चित्रकार–

1– महादेवी वर्मा– 'अतीत के चलचित्र', 'स्मृति की रेखाए'

2– रामवृक्ष बेनीपुरी– 'माटी की मूरत', 'मील के पत्थर'

रिपोर्ताज– यह हिन्दी गद्य की नवीन विधा है। मूलतः यह (रिपोर्ताज) फ्रान्सीसी शब्द है, जो अंग्रेज़ी के रिपोर्ट के समानार्थी रूप में ग्रहण किया गया है। हिन्दी में इनके लिए प्रारम्भ में सूचनांकन, सूचनिका या सूचनांक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। परन्तु आजकल रिपोर्ताज के रूप में ही अपना लिया गया है और एक मान्य विधा के रूप में प्रतिष्ठा मिल गयी है। इसमें किसी सत्य घटना, युद्ध, भूचाल, बाढ़, मेला, महामारी, प्रदर्शनी, समारोह या विशिष्ट सम्मेलन आदि का कलात्मक विवरण होता है। इसमें अभिव्यक्ति में कलात्मकता, शैली में प्रभावपूर्णता तथा रोचकता होनी चाहिए। रिपोर्ताज में रेखाचित्र, कहानी तथा निबन्धों की विशेषताएँ भी पायी जाती हैं।

प्रमुख लेखकों में– रांगेय राघव, शिवदान सिंह चौहान, कमलेश्वर।

आलोचना– आलोचना साहित्य का इतिहास आधुनिक काल से प्रारम्भ हुआ। श्यामसुन्दर दास के अनुसार– ''आलोचना किसी भी साहित्यिक रचना को पढ़कर उसका मूल्यांकन करना हैं।'' भारतेन्दु युग में इस विधा का प्रारम्भ हो गया था। आलोचना साहित्य की दृष्टि से द्विवेदी युग महत्वपूर्ण है। इस युग में भाषा को शुद्ध तथा विचारों को व्यवस्थित रूप से अभिव्यक्ति करने की प्रेरणा दी गयी।

प्रमुख आलोचक–

रामचन्द्र शुक्ल – चिन्तामणि

नन्ददुलारे वाजपेयी– बीसवीं शताब्दी का साहित्य

गद्य काव्य– गद्य काव्य में गद्य के माध्यम से किसी भावपूर्ण विषय की काव्यात्मक अभिव्यक्ति होती है। इसमें केवल एक ही भाव की प्रधानता होती है। इसकी भाषाशैली अलंकृत, संवेदनात्मक,

चमत्कारपूर्ण एवं कवित्तपूर्ण होती है। अनुभूति की प्रधानता, भावनुकूलता, संक्षिप्ता, रहस्यात्मकता तथा सांकेतिकता श्रेष्ठ गद्य काव्य की विशेषताएँ हैं।

प्रमुख गद्य काव्य– 1. रायकृष्ण दास – साधना
2. माखनलाल चतुर्वेदी – साहित्य देवता

डायरी विधा– अपने जीवन की दैनिक बातों को यथावत्, यथाक्रम लेखन की विधा डायरी कहलाती है। इसमें जीवन की यथार्थ घटनाओं का चित्रण होता है। भाषा में व्यन्जना तथा व्यंग्य निहित होता है।

पत्र विधा– पत्र साहित्य भी गद्य की सशक्त विधा है। पत्र के द्वारा आत्मप्रदर्शन तथा विचारों की अभिव्यक्ति को अच्छी दिशा प्राप्त होती है। हिन्दी में द्विवेदी पत्रावली, द्विवेदी युग के साहित्यकारों के पत्र, 'पिता के पत्र पुत्री के नाम' आदि रचनाएँ उल्लेखनीय हैं।

गद्य शिक्षण की प्रणालियाँ

पाठ्य–पुस्तकों में गद्य विभिन्न रूपों में मिलता है। इनमें निबन्ध की विविध शैलियों से छात्र भाषा, ज्ञान प्राप्त करते हैं। निबन्ध पाठन से वह विषयानुरूप–ज्ञान, चिन्तन, स्वतन्त्र विचार एवं निर्णय जैसी प्रक्रियाओं से गुज़रता है, उसका भाषिक और वैचारिक पक्ष सुदृढ़ होता है। कहानी पाठन से उसकी चारित्रिक कल्पनाशीलता जाग्रत होती है, साथ ही घटना वैचित्र्य और चरित्र वैचित्र्य के माध्यम से वह जीवन के सत्य से परिचित होता है। एकांकी, नाट्यांशों के माध्यम से इतिहास, पुराण की घटनाओं के साथ युगीन समस्याओं, जीवन की जटिलताओं से साक्षात् परिचित होता है।' अभिव्यक्ति की विभिन्न गतिशील प्रक्रियाओं जैसे संवाद, भाव–भंगिमा, मंचसज्जा उसे प्रभावित करती है। इस प्रकार गद्य उसकी विचार क्षमता के साथ–साथ अभिव्यक्ति पक्ष को भी प्रभावित करता है।

विद्यालय में गद्य शिक्षण सामान्यतः निम्नलिखित चरणों में सम्पन्न होता है–

1– **पूर्वज्ञानः** पूर्वज्ञान के आधार पर ही मूल पाठ को प्रस्तुत किया जा सकता है। इसके आधार पर शिक्षक नवीन ज्ञान को प्रस्तुत करता है। शिक्षक इस बात का विशेष ध्यान रखता है कि पूर्वज्ञान की पृष्ठभूमि ही छात्रों के बौद्धिक स्तर को स्पष्ट करती है।

2– **प्रस्तावनाः** शिक्षक मूल पाठ तक आने और विषय से परिचित कराने के लिए प्रस्तावना तैयार करता है। प्रस्तावना विषय को नीरस एवं प्रभावशून्य नहीं होने देती है। छात्र प्रस्तुत पाठ्य सामग्री के प्रति उत्सुक हो उठता है, उसमें रुचि उत्पन्न हो जाती है। प्रस्ताव के लिए शिक्षक विभिन्न विधियों का प्रयोग कर सकता है, जैसे–

(i) **प्रश्नोत्तर द्वारा**– विषय से सम्बन्धित रोचक प्रश्न पूछकर शिक्षक पाठ की ओर ध्यान आकृष्ट कर सकता है।

(ii) **पूर्व कक्षा के द्वारा**– नवीन पाठ्य सामग्री को विषयवस्तु से सम्बन्धित या मिलती–जुलती रोचक कथा के द्वारा शिक्षक छात्रों की रुचि नवीन पाठ में उत्पन्न कर सकता है।

(iii) **काव्य पाठ द्वारा**– यदि सम्भव हो तो समभाव काव्य पंक्तियाँ जो रोचक और प्रसंगानुकूल हों, शिक्षक उनका प्रयोग कर सकता है। काव्य के प्रति छात्रों की सहज रुचि होती है।

(iv) **सहायक सामग्री द्वारा**– सम्बन्धित विषय पर चित्र, मॉडल, प्रतिमूर्ति आदि का प्रयोग सहज ही छात्रों का ध्यान आकृष्ट करता है। सहायक सामग्री शिक्षण में अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान रखती है।

(v) **लेखक परिचय–** शिक्षक लेखक के जीवन से सम्बन्धित किसी महत्वपूर्ण घटना या उनके योगदान की चर्चा द्वारा भी भूमिका बना सकता है।

उपर्युक्त किसी भी विरोध का प्रयोग शिक्षक आवश्यकतानुसार तथा छात्रों के मानसिक स्तर को ध्यान में रखकर कर सकते हैं।

3– **प्रस्तुतीकरणः** 'उद्देश्य कथन' के पश्चात् पाठ को छात्रों के सम्मुख प्रस्तुत करना होता है। प्रायः गद्य के पाठ बड़े होने के कारण एक कालखण्ड में पूर्ण करना कठिन होता है, अतः सबसे पहले पाठ्यवस्तु को अन्विति में विभाजित करना आवश्यक है तथा कम अंशों को भलीभाँति छात्रों के ग्रहण करने योग्य बनाया जा सके।

प्रस्तुतीकरण का अगला सोपान वाचन होता है–

1– आदर्श वाचन
2– अनुकरण वाचन
3– मौन वाचन

1) **आदर्श वाचन**– शिक्षक द्वारा पाठ्यवस्तु का वाचन किया जाता है। यह वाचन प्रभावशाली, रोचक, उचित बलाघात एवं स्वरों के उचित उतार–चढ़ाव के साथ, स्पष्ट उच्चारण में होना चाहिए। आदर्श वाचन के समय छात्रों को यह चाहिए कि वे शिक्षक के मुख, उनके उच्चारण, उनके हाव–भाव की ओर ध्यान दें, पुस्तक की ओर नहीं। शिक्षक भी प्रसन्न मुद्रा में, आवश्यकतानुसार अंग संचालन का, संकेतों का सहारा लें ताकि नीरसता या भाव ग्रहण में गतिरोध न हो।

2) **अनुकरण वाचन**– छात्रों द्वारा किये गये अनुकरण वाचन में शिक्षक उच्चारण सम्बन्धी त्रुटियों में आवश्यक सुधार करवाए। वाचन करने वाले छात्र के अतिरिक्त सभी छात्र भावों को आत्मसात कर रहे हैं या नहीं, इसका परीक्षण छोटे–छोटे प्रश्नों को पूछकर शिक्षक कर सकते हैं ताकि कक्षा में विषयवस्तु के प्रति छात्र सजग रहें।

3) **मौन वाचन–** मौन वाचन उच्च कक्षाओं के लिए आवश्यक है ताकि विद्यार्थी मौन वाचन ठीक से बैठकर शान्तिपूर्ण वातावरण में अध्ययन कर सकें और अपने विचारों को केन्द्रित भी कर सकें।

बोध प्रश्न– छात्र पठित अंश को कितना समझ पाये, इसके ज्ञान के लिए बोध प्रश्न आवश्यक है।

व्याख्या एवं शब्द शिक्षण– गद्यांश में प्रयुक्त मुहावरों, सूक्तियों, कठिन शब्दों एवं प्रसंगों की व्याख्या अत्यन्त आवश्यक है। शिक्षक इसके लिए चित्रों, संकेतों, वास्तविक वस्तु का प्रदर्शन करके, वाक्य प्रयोग करके, सन्धि–समास करके, प्रसंगानुकूल पर्यायवाची या विलोम शब्द प्रगट करके और साधारण व्याख्या के द्वारा व्याख्या एवं शब्द–शिक्षण कर सकते हैं।

पुनरावृत्ति– पठित अंश की पुनरावृत्ति सहज और सामान्य हो। छात्रों को ही प्रोत्साहित करके व्याख्या या प्रश्नों के सटीक उत्तर देकर निकलवाए जाएँ। शिक्षक छात्रों के द्वारा पूछे गये प्रश्नों का सहज उत्तर देकर भ्रम निवारण करें।

निरीक्षण– बोध प्रश्न के पश्चात् विद्यार्थियों को श्यामपट पर कुछ शब्दों के अर्थ, प्रयोग आदि लिखने का अभ्यास करवाया जाएगा। उत्तर पुस्तिकाओं में शब्द शिक्षण श्यामपट से विद्यार्थी उतार पायें हैं या नहीं, निरीक्षण करना उचित होगा।

गृहकार्य– सामान्य गृह कार्य, जिससे विद्यार्थियों के अवबोध की परख हो सके, दिया जायेगा।

हिन्दी साहित्य का इतिहास

उद्देश्य–

1) हिन्दी साहित्य की परम्परा का ज्ञान
2) रचनाकारों के योगदान से परिचय कराना
3) हिन्दी की समृद्धि एवं विकासधारा की जानकारी
4) विभिन्न युगों की प्रवृत्तियों को जानना
5) इतिहास और संस्कृति के समन्वय से परिचय प्राप्त करना

आवश्यक सामग्री– कार्डशीट पर द्वारा साहित्य के इतिहास का प्रदर्शन

शिक्षण के बिन्दु–

- काल–विभाजन
- युगीन प्रवृत्तियों का ज्ञान
- आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल एवं आधुनिक काल का सामान्य–परिचय
- भारतेन्दु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद तथा नई कविता का ज्ञान
- प्रमुख रचनाकार एवं उनकी रचनाओं की पड़ताल

प्रस्तावन–प्रत्येक वस्तु का अपना इतिहास होता है, यहाँ तक कि इतिहास का भी एक इतिहास होता है। कोई भी इतिहास एकाएक अपने विकास की चरम स्थिति तक नहीं पहुँच पाता– इसके लिए एक या अनेक इतिहासकारों को क्रमशः सामग्री संकलन, वर्गीकरण, विश्लेषण, संश्लेषण आदि की विभिन्न प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। हिन्दी साहित्य के इतिहास लेखन में प्रमुखतः गार्सा द तासी, शिवसिंह सेंगर, जॉर्ज़ ग्रियर्सन, आचार्य रामचन्द्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉ. रामकुमार वर्मा, डॉ. नगेन्द्र, डॉ. भगीरथ प्रसाद, डॉ. लक्ष्मीनारायण वार्ष्णेय, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जैसे अनेक विद्वानों ने अपना सहयोग प्रदान किया। आचार्य रामचन्द्र शुक्ल के इतिहास लेखन के पश्चात् परवर्ती इतिहासकारों ने आचार्य शुक्ल के इतिहास को ही अपना आधार बनाया है।

हिन्दी साहित्य का इतिहास लगभग 1000 वर्ष पहले से प्रारम्भ होता है। काल विभाजन की दृष्टि से हिन्दी साहित्य के इतिहास को चार कालों में विभाजित किया गया है। यह विभाजन उस काल की समय–सीमा में मिलने वाले साहित्य की विशेषताओं पर आधारित है। काल विभाजन के नामकरण का मुख्य आधार उस काल की प्रवृत्तियों, परिस्थितियों और उस काल की विशेषताओं को बनाया गया है।

गतिविधि– शिक्षक हिन्दी साहित्य के इहिसास का काल विभाजन चार्ट में प्रदर्शित करेंगे। यथा–

1– आदि काल (वीरगाथा काल) – संवत् 1050 से 1375 तक
2– पूर्व–मध्य काल (भक्तिकाल) – संवत् 1375 से 1700 तक
3– उत्तर–मध्यकाल (रीतिकाल) – संवत् 1700 से 1900 तक
4– आधुनिक काल (वर्तमान काल)– संवत् 1900 से अद्यतन

अब शिक्षक प्रत्येक काल को विस्तार देंगे। प्रवृत्तियों की चर्चा करेंगे।

1– आदिकाल (वीरगाथा काल)– आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने आदिकाल को ही वीरगाथा काल नाम दिया, क्योंकि वे इस काल में वीरगाथाओं की रचना–प्रवृत्ति को प्रधान मानते थे। देशकाल और परिस्थितियों का प्रभाव जन–जीवन, शिक्षा तथा समाज पर भी पड़ता है। आदिकालीन हिन्दी साहित्य जिस रूप में हमें मिलता है, वह तत्कालीन परिस्थितियों की देन है। आदिकालीन समाज अव्यवस्थित, असंगठित और जाति, धर्म, सम्प्रदाय में विभाजित था। सामन्तों की निरंकुशता, विलासिता और अविवेक समाज को गति देने में सक्षम नहीं थे।

हिन्दी साहित्य के आरम्भिक काल में रची गयी जिस सामग्री की चर्चा हुई है, उसे निम्नांकित वर्गों में रखा जा सकता है :

(1) सिद्ध साहित्य (2) जैन साहित्य (3) नाथ साहित्य
(4) रासो–साहित्य (5) लौकिक साहित्य (6) गद्य रचनाएँ

आदिकाल की प्रमुख विशेषताएँ–

1) बौद्ध और जैन ग्रन्थों में आडम्बरों का विरोध
2) राजाओं के शौर्य और पराक्रम का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन
3) वीर और शृंगार रसयुक्त रचनाओं का निर्माण
4) डिंगल और पिंगल भाषा का काव्य में प्रयोग
5) मुक्तक काव्यों में अधिकांशतः अपभ्रंश छन्दों का उपयोग
6) प्रबन्ध काव्यों में कथानक–रूढ़ियों और काव्य–रूढ़ियों का प्रयोग

प्रमुख कविः चन्दबरदायी (पृथ्वीराज रासो), दलपति विजय (खुमान रासो), नरपति नाल्ह (बीरसलदेव रासो), नल्ल सिंह, अब्दुर्रहमान, जगनिक (परमाल रासो), विद्यापति (पदावली, कीर्तिस्तता, कीर्ति पताका), अमीर खुसरो (पहेलिया), आचार्य हेमचन्द गोरखनाथ, मत्स्येन्द्रनाथ आदि।

सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य तथा जैन साहित्य भी इस युग की अमूल्य देन हैं। आदिकाल यह सन्देश भी देता है कि युद्ध लोकहित के लिए तथा लोक रक्षा के लिए ही उचित है।

पूर्व–मध्यकाल (भक्तिकाल) :

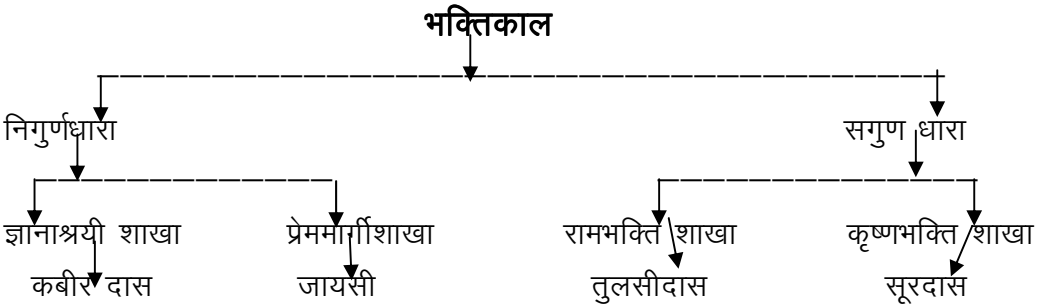
भक्ति आन्दोलन भारतीय साहित्य के इतिहास का अत्यन्त गौरवपूर्ण कालखण्ड है। हिन्दी का भक्ति साहित्य, भक्ति आन्दोलन की उपज़ है। भक्ति आन्दोलन की विशेषता यह बतायी गयी है कि इसमें धर्म साधना का नहीं, भावना का विषय बन गया है। भक्त कवियों ने हिन्दूजन जीवन को भक्ति का अमृत पिलाने के लिए भक्तिकाल की धारा प्रवाहित की। भक्त कवियों को धन, यश और राजाश्रय आदि की चाह नहीं थी। इनकी रचनाओं में समाज, व्यक्ति तथा राष्ट्र को आगे बढ़ाने की भावना थी। इस काल के कवियों में आत्मसमपर्ण की भावना थी। वे नाम की महत्ता पर विशेष बल देते थे और गुरु को भगवान से भी बढ़कर सम्मान देते थे।

भक्ति आन्दोलन अखिल भारतीय था। इसका परिणाम यह हुआ कि लगभग पूरे देश में मध्य देश की काव्यभाषा हिन्दी (ब्रजभाषा) का प्रचार–प्रसार हुआ। भक्ति आन्दोलन का उदय और विकास

किसी सुसंगत विचारधारा या दर्शन के बिना नहीं हो सकता था। इस दृष्टि से रामानुज और रामानन्द की महत्वपूर्ण भूमिका थी। रामानुज के अनुसार जगत मिथ्या नहीं, वास्तविक है। रामानुज की ही परम्परा में रामानन्द (1400–1470 ई.) हुए, जिसके बारे में कहा जाता है कि वे भक्ति को दक्षिण से उत्तर में लाए।

भक्तिकाल की काव्यधाराः

भक्तिकाल में दो प्रकार की काव्यधाराएँ थीं :–



1) निर्गुणधारा 2) सगुणधारा

1) निगुर्णधारा– निगुर्णपन्थी कवियों का ध्येय निराकार की साधना से मुक्ति प्राप्त करना था। उन्होंने योग–साधना और ब्रह्म–ज्ञान को अपनी कृतियों में प्रधानता दी। धार्मिक उन्माद और आडम्बर का विरोध कर उन्होंने मन की पवित्रता, सदाचार और समता पर बल दिया था। निर्गुण काव्यधारा की दो शाखाएँ हैं–

क) ज्ञानाश्रयी शाखा 2) प्रेममार्गी शाखा

क) ज्ञानाश्रयी शाखा– इस शाखा को सभी कवि सन्त कहलाए। सभी ने ज्ञान की चर्चा की। सन्तों ने जाति–पाँति को तिलांजलि देकर सबके लिए भक्ति का मार्ग खोल दिया। इन ज्ञानमार्गी भक्त कवियों पर नाथपन्थी, हठयोगियों एवं सूफियों को विशेष प्रभाव पड़ा था।

विशेषताएँ :

1) सभी कवि निर्गुणोपासक होने के कारण नाम की उपासना पर अधिक जोर देते थे।
2) गुरु को भगवान से भी अधिक मानते थे।
3) धर्म के आडम्बरों का खण्डन करते थे।
4) अहिंसा, सदाचार और साधना के अनुयायी थे।
5) जाति–पाँति के बन्धन को नहीं मानते थे।
6) भाषा साहित्यिक न होकर, सधुक्कड़ी थी।

प्रमुख कवि : इस शाखा के प्रमुख कवि कबीर, रैदास, धर्मदास, गुरु नानक, दादू दयाल, सुन्दरदास और मलूकदास हुए हैं।

ख) प्रेमाश्रयी शाखा– प्रेमाश्रयी शाखा के कवि सूफी थे। वे सफेद ऊन के वस्त्र धारण करते थे, इसलिए सूफी कहलाए। इस शाखा के कवियों के कथनानुसार भक्ति प्रेम द्वारा मिलती है। प्रेम की साधना के लिए गुरु का सहयोग अनिवार्य है।

विशेषताएँ–

1. सूफी प्रेमाश्रयी शाखा का काव्य प्रेम की पीर की व्यंजना का काव्य है।
2. प्रेमाश्रयी सूफी काव्य प्रबन्धात्मक है, मुक्त नहीं।
3. इनकी भाषा अवधी है। इन्होंने मनसब शैली का प्रयोग किया है।
4. यह काव्य दोहा, चौपाई में लिखा गया है।
5. इन कवियों ने भारतीय लोक–जीवन में प्रचलित कहानियों को अपनी रचनाओं का आधार बनाया है।

प्रमुख कवि– कुतुबन, मंझन, जायसी, उस्मान, कासिम, नूर मुहम्मद और फ़ाज़िल शाह आदि।

2) सगुण धारा– सगुण धारा के उपासकों का अवतार और लीला पर अधिक आग्रह रहा है। इस धारा के प्रमुख कवि तुलसी और सूर हुए हैं और उन्होंने अपनी रचनाओं द्वारा मध्ययुगीन साहित्य का चहुमुँखी विकास किया है। सगुण भक्ति धारा को दो उपशाखाओं में विभाजित किया गया है–

क) रामभक्ति शाखा– राम की भक्ति निर्गुण और सगुण दोनों धाराओं के भक्त करते रहे हैं। राम नाम की उपासना कबीर और तुलसी दोनों करते हैं। हिन्दी क्षेत्र के रामभक्त कवियों का सम्बन्ध रामानन्द से है। रामानन्द, राघवानन्द के शिष्य एवं रामानुजाचार्य की परम्परा के आचार्य थे। वे अत्यन्त उदार गुरु थे। सभी वर्गों के लोग उनके शिष्य थे।

विशेषताएँ–

1. यह काव्य प्रधानतः लोक–मंगल और सामाजिक–मर्यादा का काव्य है।
2. इस धारा के प्रमुख कवि तुलसी दास ने अपने काव्य में प्रचलित प्रायः सभी काव्य रूपों, छन्दों और लोकगीतों के रूपों का उपयोग किया है।
3. रामभक्ति काव्य में वैष्णव और शैव सम्प्रदायों में सामन्जस्य लाने का प्रयास मिलता है।
4. राम भक्तों के आराध्य देव राम, विष्णु के अवतार हैं और परम ब्रह्म हैं। राम में–शक्ति, भक्ति और सौन्दर्य का सुन्दर समन्वय है।
5. इस धारा के कवियों ने अवधी और ब्रज दोनों ही भाषाओं का प्रयोग किया है।

प्रमुख कवि– तुलसीदास, नाभादास, प्राणचन्द चौहान, हृदयराम, अग्रदास और बाव आली आदि।

ख) कृष्ण भक्ति शाखा– कृष्ण भक्ति शाखा के प्रवर्त्तक महाप्रभु बल्लभाचार्य थे। आचार्य बल्लभ ने कृष्ण को ही परब्रह्म पुरुषोत्तम कहा है। कृष्ण भक्त कवियों ने भगवान के लीलामय पुरुषोत्तम कहा है। कृष्णभक्त कवियों ने भगवान के लीलामय, मधुर–रूप का वर्णन किया है।

विशेषताएँ–

1. साकार ब्रह्म की उपासना।
2. ब्रह्म के लोक–रक्षक एवं लोक–रंजक रूप की स्थापना।
3. रहस्यवादी कविता का प्रारम्भ।
4. व्यक्तिगत साधना और लोक–साधना का महत्व।

5. प्रबन्ध, मुक्तक तथा खण्ड काव्य की रचना हई।

6. ब्रज और अवधी दोनों भाषा में काव्य रचना।

प्रमुख कवि– सूरदास, कुम्भनाथ, परमानन्द दास, कृष्णदास, गोविन्द स्वामी, छति स्वामी, चतुर्भुज दास, नन्ददास, मीरा एवं रसखान आदि।

3. उत्तर–मध्यकाल (रीतिकाल):

रीतिकाल के कवियों में प्रायः काव्यशास्त्र के लक्षणों काके समझाने के लिए काव्य रचना की। उन्होंने रस, छन्द, अलंकार आदि का विवेचन करने वाले जो ग्रन्थ लिखे, उन्हें रीति ग्रन्थ कहा जाता है। ऐसे रतिग्रन्थों की अधिकता के कारण ही रस युग को 'रीतिकाल' कहा गया है। आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रन्थ में इस काल को उत्तर–मध्यकाल अथवा 'रीतिकाल' नाम दिया है। उनके रस नामकरण के विकल्प में विद्वानों ने 'शृंगार काल' अलंकृल काल, काव्यकला काल और रीति शृंगार काल जैसे नाम प्रस्तावित किये, किन्तु इनमें से कोई भी नाम शुक्ल जी के 'रीतिकाल' नाम के समान अपनी सार्थकता सिद्ध न कर सकने के कारण विद्वानों में स्वीकार्य नहीं हो सका। रीतिकाल को मध्यप्रदेश की देन कहा जाता है। इस काल के प्रतिनिधित्व कवि मध्यप्रदेश के ही रहे हैं।

रीति इस युग का प्रधान लक्षण थी, अधिकांश कवियों ने काव्य रीतियों का पालन करते हुए अनेकानेक ग्रन्थों की रचना की। कवियों की यह धारा इसीलिए 'रीतिबद्ध धारा' कही गयी। इस धारा के कवियों में केशवदास (म.प्र.), सेनापति, देव भूषण, पदमाकर (म.प्र.), मतिराम आदि हैं। इस रीतिबद्ध काव्यधारा के समानान्तर इस कालखण्ड में प्रेम और सौन्दर्य वर्णन की एक ऐसी धारा भी प्रवाहित थी, जिसने रीति के पालन की प्रायः उपेक्षा की। इस धारा के कवियों में घनानन्द, बोधा और ठाकुर आदि का नाम उल्लेखनीय है। यह धारा 'रीतिमुक्त धारा' के नाम से जानी गयी। विद्वानों ने 'रीतिसिद्ध धारा' के नाम से एक अन्य धारा का भी उल्लेख किया है। बिहारी (म.प्र.) इस रीतिबद्ध धारा के कवि कहे गये हैं। इस प्रकार, रीतिकालीन काव्य की तीन धाराएँ–**(1)** रीतिबद्ध काव्य धारा **(2)** रीतिमुक्त काव्य धारा और **(3)** रीतिसिद्ध धारा–प्रधान हैं।

विशेषताएँ :

1. इस काल के काव्य में शृंगार रस की प्रधानता रही।
2. काव्य के साथ–साथ काव्यांगों जैसे– रस, छन्द और अलंकारों का पूर्ण रूप रूप से विवेचन हुआ।
3. मुक्तक कविता होने के कारण कवित्त, सवैया, दोहे आदि छन्दों को कवियों ने अधिक अपनाया।
4. कवि अधिकतर राजा के आश्रित होते थे। इसलिए उस काल में मौलिकता का अभाव रहा।
5. कविता की भाषा ब्रजभाषा के समीप अधिक थी।

प्रमुख कवि– केशवदास (म.प्र.), चिन्तामणि, मतिराम, देव, रसलीन प्रताप सिंह और पद्माकर (म.प्र.) जसवन्त सिंह, श्रीपति, भिखारीदास, रसिक गोविन्द, बिहारी (म.प्र.), घनानन्द, आलम, भूषण, ठाकुर (म.प्र.) और बोधा (म.प्र.) आदि।

4. आधुनिक काल (वर्तमान काल):

आधुनिक शब्द से सामान्यतः जो अर्थ ग्रहण किए जाते हैं। उनमें से एक है– मध्यकालीन, मूल्यों से भिन्नता और दूसरा है–इह लौकिक दृष्टिकोण की स्वीकारोक्ति। समय की गति के साथ–साथ जब मध्यकालीन–मूल्य और रचना–दृष्टि जड़ता और रूढ़िवादिता में फँसकर अपनी सर्जनात्मक सम्भावनाओं से रिक्त होने लगी, तब परिवर्तन का जो नया क्रम जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में आरम्भ हुआ, उसे 'आधुनिक काल' कहा गया।

वर्गीकरण–प्रमुख प्रवृत्तियों के आधार पर आधुनिक काल को इस तरह से विभाजित किया जा सकता है:–

1–	भारतेन्दु युग (पुनर्जागरण काल)	सन् 1854 से 1900
2–	द्विवेदी युग (जागरण सुधार काल)	सन् 1900 से 1918
3–	छायावादी युग	सन् 1918 से 1936
4–	छायावादोत्तर (प्रगतिवादी) युग	सन् 1938 से 1943
5–	प्रयोगवादी युग	सन् 1943 से 1950
6–	नयी कविता	सन् 1950 से अब तक

1. भारतेन्दु युग– भारत में अंग्रेज़ी राज्य की स्थापना हो जाने से हिन्दी– कविता ने नया मोड़ लिया। राजाराम मोहनराय और स्वामी दयानन्द सरस्वती के विचारों ने रूढ़िवाद को दूर किया। रीतिकालीन काव्य परम्पराएँ विलीन होने लगीं। सन् 1857 के विद्रोह ने राष्ट्रीयता की तीव्र लहर फैला दी। नये विचार, नई शैली और नई भाषा का आन्दोलन चल पड़ा। भारतेन्दु हरिश्चन्द्र नयी कविता के प्रवर्त्तक थे। उन्हीं से हिन्दी–कविता का वर्तमान युग प्रारम्भ होता है। भारतेन्दु तथा भारतेन्दु माडल के कवियों में राष्ट्रीयता और देश प्रेम का तीव्र स्वर सुनाई पड़ता है। भारतेन्दु युग के कवियों में अम्बिकादत्त व्यास, प्रतापनारायण मिश्र, राधाचरण गोस्वामी और बद्रीनारायण चौधरी प्रमुख हैं।

2. द्विवेदी युग– द्विवेदी युग के काव्य में राष्ट्रीय और सामाजिकता की प्रवृत्ति अधिक तीव्र थी। ब्रजभाषा के स्थान पर काव्य में खड़ी बोली सुशोभित हो गयी। खड़ी बोली के आदि आचार्य पण्डित महावीर प्रसाद द्विवेदी और श्रीधर पाठक हैं। द्विवेदी युग की कविता पर स्वतन्त्रता आन्दोलन और गाँधी विचारधारा का विशेष प्रभाव पड़ा। 'प्रिय प्रवास' और 'साकेत' इस युग के प्रमुख महाकाव्य हैं। इस युग के प्रथम कवि मैथिलीशरण गुप्त राष्ट्रीय कवि हैं।

गुप्त जी के अतिरिक्त, पं. श्रीधर पाठक, अयोध्या सिंह उपाध्याय 'हरियोध', लोचन प्रसाद पाण्डेय, डॉ. गोपालशरण सिंह, गयाप्रसाद शुक्ल 'सनेही' एवं रामनरेश त्रिपाठी आदि द्विवेदी युग के प्रमुख कवि हैं।

3. **वर्तमान युग–** द्विवेदी युग में इतिवृत्तात्मकता की प्रधानता रही। इसके परिणाम स्वरूप ही छायावाद और रहस्यवाद हिन्दी काव्य–क्षेत्र में आया। प्रसाद, पन्त, निराला और महादेवी का नाम इस क्षेत्र में विशेष उल्लेखनीय है। छायावादी युग में प्रकृति को आलम्बन के रूप में ग्रहण किया गया और गीत–काव्य अपने चरमोत्कर्ष पर पहुँच गया। छायावादी कवियों ने कविताओं को छन्द के नियमों से मुक्त किया। कामायनी–छायावादी काव्यधारा का प्रमुख काव्य हैं। आधुनिक काल में सत्यनारायण कविरत्न, जगन्नाथदास रत्नाकर और वियोगी हरि ने ब्रजभाषा से सरस काव्य की रचनाएँ कीं।

वर्तमान काव्य–धारा में प्रवृत्तियाँ, भाव धाराएँ और वाद देखने को मिलते हैं। राष्ट्रीयता, आन्तरिक मानव गौरव, समाज सुधार, समाजवादी व्यवस्था, छायावाद, रहस्यवाद, प्रयोगवाद और वर्तमान काव्यधारा की प्रमुख काव्य प्रवृत्तियाँ हैं। किसान और मज़दूरों की समस्याओं के समाधान में कविगण रूसी साहित्य से भी प्रभावित हैं। राजनीति का साम्यवाद ही साहित्य में प्रगतिवाद बन गया है। प्रमुख रूप से प्रगतिवादी कवियों में नागार्जुन, रामेश्वर शुक्ल 'अंचल' तथा शिवमंगल सिंह 'सुमन' आदि हैं। अज्ञेय के नेतृत्व में प्रयोगवाद की नवीनतम धारा भी काव्य क्षेत्र में प्रवाहित हुई। इसके प्रमुख कवि गिरिजा कुमार माथुरव, धर्मवीर भारती, भवानीप्रसाद मिश्र आदि हैं। राष्ट्रीय विचारधारा के कवियों में पण्डित माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा 'नवीन' और रामधारी सिंह 'दिनकर' आदि प्रमुख हैं। नयी कविता के कवियों में गिरिजा कुमार माथुर, डॉ. धर्मवीर भारती, डॉ. प्रभाकर माचवे, भवानी प्रसाद मिश्र, केदारनाथ सिंह, शम्भुनाथ सिंह, नागार्जुन, केदार अग्रवाल, ठाकुरप्रसाद सिंह आदि के नाम उल्लेखनीय हैं।

मूल्यांकन :

1. हिन्दी साहित्य के इतिहास को कितने रास्तों में विभाजित किया गया है?
2. हिन्दी साहित्य का सर्वाधिक प्रामाणिक इतिहास किस लेखक का माना गया है?
3. रीतिकाल के कोई चार रचनाकारों के नाम बताइये?
4. तार सप्तक किसे कहते हैं?

निर्दिष्ट कार्य :

1. हिन्दी साहित्य के इतिहास को एक चार्ट में प्रदर्शित कर उसका लेमिनेशन कराएँ।
2. विभिन्न विद्वानों द्वारा किये गये काल विभाजन को एक कार्डशीट पर लिखकर अपने अध्ययन कक्ष में टाँगकर रखें।

व्याकरण– शिक्षण

इकाई की रूपरेखा:

(1) प्रस्तावना
(2) उद्देश्य
(3) विषय प्रवेश :
 (1) व्याकरण शब्द की व्युत्पत्ति
 (2) व्याकरण की परिभाषाएँ
(4) व्याकरण शिक्षण के उद्देश्य
(5) व्याकरण शिक्षा का महत्व
(6) व्याकरण शिक्षण के विषय में विद्वानों के अभिमत
(7) व्यावहारिक व्याकरण के रूप, ध्वनि–विचार
(8) व्याकरण शिक्षण की विधियाँ
(9) निगमन या सिद्धान्त प्रणाली
(10) आगमन प्रणाली
(11) खेल विधि
(12) सारांश
(13) मूल्यांकन

प्रस्तावना:

भाषा एक–दूसरे से विचारों का आदान–प्रदान करने का साधन है। हम जिस साधन के द्वारा अपने हृदय के भावों व विचारों को व्यक्त करते हैं, उसी को भाषा के नाम से जाना जाता है। इस भाषा के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार की ध्वनियों को माध्यम बनाया जाता है, जो कि समाज द्वारा स्वीकृत होती हैं। इस प्रकार से समाज अपने भावों को व्यक्त करने के लिए जिन व्यक्त ध्वनि–संकेतों को प्रयोग में लाता है, वही भाषा है और भाषा को विश्लेषित करके जो नियम बनाये जाते हैं, वही व्याकरण है।

उद्देश्य:–

प्रस्तुत इकाई के अध्ययन करने के पश्चात् इन बिन्दुओं का ज्ञान प्राप्त हो सकेगा:

- व्याकरण का अर्थ व परिभाषाएँ
- व्याकरण शिक्षण की महत्ता का ज्ञान
- व्याकरण शिक्षा का ज्ञान
- व्यावहारिक व्याकरण का ज्ञान किस प्रकार दिया जाए एवं उसका अभ्यास किस प्रकार कराया जाय
- व्याकरण–शिक्षण की विधियाँ

विषय–प्रवेशः

मातृभाषा के रूप में भाषा सीखने वाला व्यक्ति प्रायः उस भाषा को अशुद्ध रूप में नहीं सीखता। परन्तु अन्य भाषा के रूप में किसी भाषा विशेष को सीखने वाले के लिए भाषा का शुद्ध रूप में प्रयोग करना यदि असम्भव नहीं, तो कठिन अवश्य होता है। इसका कारण है–'भाषा की तरल प्रवृत्ति'। भाषा बहते नीर के समान होती है और व्यक्तियों के संसर्ग से उसमें परिवर्तन होते रहते हैं। कहावत ही है– ''**पाँच कोस पर पानी बदले, बीस कोस पर बानी**''

भाषा की इस प्रवृत्ति के कारण वह अपने मूल रूप से हटने लगती है। उसके उच्चारण, उसके शब्द प्रयोग, उसके वाक्य–विन्यास में आयी भिन्नता 'भाषा की विकृति कहलाती है, भाषा दोष कहलाती है।'

भाषा को इस विकृति से बचने का कार्य जिसके द्वारा किया जाता है, उसे व्याकरण कहते हैं। प्रथमतः भाषा का निर्माण होता है। समाज में प्रचलित होने पर मानक भाषा के रूप में वह स्थापित होती है और तब उसके इस स्वरूप को स्थिर बनाये रखने के लिए अनेक निमयों, उपनियमों आदि की रचना होती है, जो समग्र रूप में व्याकरण कहलाता है।

व्याकरण भाषा का अनुगामी होता है। एक मित्र, एक सहचर की भाँति वह भाषा के स्वरूप को अस्त–व्यस्त होने से रोकता है, उसकी शुद्धता व पवित्रता की रक्षा करता है।

व्याकरण की शिक्षा कोई नवीन विषय नहीं है, अपतु यह उतना ही प्राचीन है, जितना मानव सभ्यता का विकास तथा साहित्य–सृजन का आरम्भ। भारत में वैदिक काल से ही व्याकरण का अध्ययन आरम्भ हो गया था। ई.पू. 1000 में महर्षि पाणिनी ने विश्वविख्यात व्याकरण ग्रन्थ 'अष्टाध्यायी' की रचना की थी। बररुचि कात्यायन का 'वार्तिक', पतंजलि का 'महाभाष्य', भट्टोत्रि दीक्षित की 'सिद्धान्त कौमुदी' संस्कृत साहित्य के उत्कृष्ट कोटि के व्याकरण ग्रन्थ हैं।

व्याकरण शब्द की व्युत्पत्तिः

व्याकरण शब्द की व्युत्पत्ति वि (शब्द) + आ (उपसर्ग) + कृ (धातु) + ल्युट प्रत्यय से हुई है। व्याकरण का शब्दार्थ है–'व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दोयेन' अर्थात् जिससे अर्थ–स्वरूप से शब्द–सिद्धि हो। पाणिनी तथा पतंजलि के अनुसार व्याकरण 'शब्दानुशासन' है, अर्थात् व्याकरण शब्द की व्याख्या करता है और वाक्य में इसका स्थान निर्धारित करता है।

व्याकरण की परिभाषाएँ :

लियेनार्ड ब्लूमफील्ड– भाषिक रूपों की सार्थक एवं क्रमयुक्त व्यवस्था ही उस भाषा का व्याकरण है।
डॉ. स्वीट– व्याकरण भाषा का व्यवहारिक विश्लेषण है।

द्वजालित– व्याकरण भाषा की विशेष प्रकार की रचना का वर्णन है।

सानशिन– हमें व्याकरण के द्वारा इस बात का पता चलता है कि वाक्यों के शब्द–समूहों में क्या–क्या अन्तर है।

प्रश्नः

1– व्याकरण शब्दानुशासन है या परिभाषा है ?
{सही उत्तर के सामने का निशान (√) लगाइए}

(I) पतंजलि की
(II) मम्मट की
(III) भामह की
(IV) कृष्ण कुमार की

2– व्याकरण क्या है?

व्याकरण–शिक्षण के उद्देश्यः

1– भाषा को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखने में निपुण बनाना।
2– भाषा का शुद्ध रूप पहचानने में छात्रों को सक्षम बनाना तथा उसका प्रयोग करना।
3– बोलने व लिखने के कौशल में निपुण बनाना।
4– भाषा की अशुद्धता समझने की योग्यता विकसित करना।
5– भाषा से सम्बन्धित नियमों का ज्ञान प्रदान करना।
6– कम से कम शब्दों में अपने भावों को प्रभावपूर्ण ढंग से व्यक्त करने की क्षमता का विकास करना।
7– सर्जनात्मकता की योग्यता विकसित करना।
8– भाषा की प्रकृति का परिचय प्राप्त करना तथा ध्वनि, रूप, अर्थ व वाक्य आदि अवयवों की जानकारी देना और उन्हें व्यवहार में लाने योग्य बनाना।

प्रश्नः व्याकरण शिक्षण के मुख्य उद्देश्य क्या हैं?

व्याकरण शिक्षा का महत्त्व

किसी भी भाषा को सही ढंग से लिखने और सीखने के लिए व्याकरण का ज्ञान आवश्यक है। बिना व्याकरण ज्ञान के मातृभाषा तो सीखी जा सकती है, किन्तु नवीन भाषा पर अधिकार प्राप्त नहीं किया जा सकता। व्याकरण की महत्ता के विषय में किसी विद्वान ने कहा है–''**व्याकरण के बिना अध्ययन फूटी नाव से नदी पार करने जैसा ही निरर्थक है।**''

इसके अतिरिक्त–

- व्याकरण शिक्षा से तर्क और विचार–शक्ति में वृद्धि होती है।
- व्याकरण भाषा के नियमों को ज्ञात कर सिद्धान्तों का प्रतिपादन करता है।
- व्याकरण से भाषा की रचना, शब्दों की व्युत्पत्ति, शब्दों का शुद्ध प्रयोग आदि की जानकारी मिलती है।
- भाषा के स्वरूप की सार्थक व्यवस्था व्याकरण द्वारा ही होती है।
- किसी भी भाषा के पूर्ण ज्ञान के लिए व्याकरण का ज्ञान परमावश्यक है।

- व्याकरण ही भाषा को परिष्कृत व परिमार्जित करता है। यदि व्याकरण न हो तो भाषा निराधार हो जाए; क्योंकि व्याकरण ही भाषा का संचालक होता है।
- वाचन तथा लेखन में कुशलता प्राप्त करने के लिए व्याकरण का ज्ञान आवश्यक है।
- व्याकरण शिक्षा के महत्त्व को विद्वान चैम्पियन ने इस प्रकार बताया है :

 ''व्याकरण के नियमों का ज्ञान विद्यार्थियों में मौलिक वाक्यों की रचना की योग्यता को उद्‌भावित करता है। भाषा की मितव्ययिता के लिए व्याकरण का ज्ञान आवश्यक है, यह विद्यार्थियों को शुद्ध वाचन तथा लेखन में सक्षम बनाता है। अतः इसका मौलिक महत्व है।''

प्रश्नः भाषा शिक्षण में व्याकरण शिक्षण का क्या महत्व है, स्पष्ट कीजिए?

व्याकरण–शिक्षण के विषय में विद्वानों के अभिमत

विद्वानों का एक वर्ग व्याकरण शिक्षण को पूर्णतः अनावश्यक मानता है। इसके अनुसार भाषा शिक्षण के लिए व्याकरण के ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भाषा तो अनुकरण द्वारा सीखी जाती है। अतः भाषा का ज्ञान कराने के लिए नियमों को सिखाने की आवश्यकता नहीं है।

दूसरा वर्ग व्याकरण शिक्षण का केवल समर्थक ही नहीं, अपितु वह व्याकरण शिक्षण को अनिवार्य मानता है। इसके अनुसार व्याकरण ही भाषा का संचालक तथा नियन्ता है। वाचन तथा लेखन में कुशलता व्याकरण के समुचित ज्ञान द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है। व्याकरण मानसिक अनुशासन का एक अच्छा साधन है। यदि भाषा का उचित रहस्य समझना है तो व्याकरण का ज्ञान होना आवश्यक है।

उपर्युक्त दोनों वर्गों के तर्कों के पश्चात् एक तीसरा ऐसा वर्ग बना, जिसके अनुसार व्याकरण का न तो पूर्ण रूप से बहिष्कार करना ही उचित है और नहीं व्याकरण के सिद्धान्तों पर अधिक बल देने की आवश्यकता है इसलिए व्याकरण की उतनी ही जानकारी दी जानी चाहिए, जितनी व्यावहारिक जीवन में आवश्यक हो।

भाषा शिक्षण में व्याकरण के स्थान और महत्व के प्रति जो विरोध उत्पन्न हुआ उसका मूल कारण व्याकरण की सैद्धान्तिक शिक्षा का प्रचलन था, जिसमें व्याकरण के जटिल नियमों के आधार पर भाषा ज्ञान दिया जाता था। इसके विपरीत आजकल व्यावहारिक व्याकरण में इस बात पर बल दिया जाता है कि संरचनाओं का वर्णन ही व्याकरण है। 'व्याकरण' विशेषतः विद्यालयों की दृष्टि से प्रचलित भाषा की संरचनाओं के प्रमुख नियमों का विवरण है। व्यावहारिक व्याकरण की विशेषताएँ निम्नलिखित हैं :

- व्यावहारिक व्याकरण में शुष्क नियमों को कण्ठस्थ करने की आवश्कता नहीं होती।
- इसमें भाषा–प्रयोग और अभ्यास पर ही बल दिया जाता है।
- इसमें प्रयोग के आधार पर ही आवश्यक नियम बता दिये जाते हैं।
- व्यावहारिक व्याकरण के द्वारा बालक स्वयं ही तत्सम्बन्धित विषय भी सीख लेते हैं।

व्यावहारिक व्याकरण की विशेषताओं के जानने के पश्चात् इसके आवश्यक रूपों को जानना आवश्यक है।

प्रश्न : भाषा शिक्षण में व्याकरण शिक्षण को अनिवार्य माना गया है या नहीं? विवेचना कीजिए?

व्यवहारिक व्याकरण के रूप , ध्वनि विचार

इसके अन्तर्गत शब्दों एवं वाक्यों के उदाहरणों द्वारा हिन्दी ध्वनियों के शुद्ध उच्चारण का अभ्यास कराया जाता है। विशेषतः *श, ष, स, क्ष, छ, ड़, ढ़, ज्ञ, सानुनासिक, संयुक्त व्यंजन, ह्रस्व एवं दीर्घ स्वर ए, ऐ, ओ, औ* आदि के शुद्ध उच्चारण का अभ्यास आवश्यक है।

वर्तनी:

इसके अन्तर्गत लिपि का शुद्ध ज्ञान कराया जाता है। लेखन के अभ्यास के साथ–साथ अक्षरों की सुन्दर व सुडौल रचना का भी अभ्यास कराया जाता है।

वचन विकार:

इसके अन्तर्गत एकवचन, बहुवचन का ज्ञान कराया जाता है। वचन के अनुसार क्रिया में किस प्रकार परिवर्तन आते हैं, उनका ज्ञान कराना। एकवचन से बहुवचन तथा बहुवचन से एकवचन में परिवर्तन करने पर मूल शब्द की वर्तनी पर किस प्रकार प्रभाव पड़ता है? उदाहरण– *स्त्री, स्त्रियाँ।*

लिंग विकार:

इसके अन्तर्गत स्त्रीलिंग व पुलिंग का सम्यक ज्ञान कराया जाता है। लिंग के अनुसार क्रिया में किस प्रकार परिवर्तन आते हैं? लिंग परिवर्तन से वर्तनी तथा उसकी संरचना पर क्या प्रभाव पड़ता है? उदहारण– *स्वामी, स्वामिनी, कवि, कवयित्री*। इस पर स्वामी (एकवचन) में म–इकारान्त है तथा बहुवचन में परिवर्तित होने पर इकारान्त हो जाता है। इसी प्रकार कवि एकवचन में इकारान्त (व) है तथा बहुवचन में परिवर्तित होने पर व (अकारान्त) में परिवर्तित हो जाता है।

कारकों एवं विभक्तियों का परिचय एवं उनके प्रयोग सम्बन्धी ज्ञान

ने, को, के लिए इत्यादि के कारण क्रिया के रूपों में किस प्रकार से परिवर्तन आ जाते हैं।

उदाहरण: *राम ने खाना खाया। राम ने श्याम को खाना खिलाया।*

प्रथम में 'ने' कारक होने के कारण खाने की क्रिया के लिए 'खाया' शब्द प्रयोग किया गया है, किन्तु द्वितीय में 'को' कारक प्रयुक्त होने के कारण खाने की क्रिया के लिए 'खिलाया' शब्द का प्रयोग हो गया है।

हिन्दी शब्दों की रचना:

इसके अन्तर्गत उपसर्ग, प्रत्यय, सन्धि, समास आदि शब्दों की रचना और उनका प्रयोगात्मक अभ्यास कराया जाता है।

विशेषणों का प्रयोग :

व्यावहारिक व्याकरण में विशेषणों के प्रयोग पर बल दिया जाता है। **उदाहरण**– *घनघोर घटा, प्रकाण्ड पण्डित, तीव्र गति* आदि। विशेषणों की रचना भी बालकों को सिखाई जाती है व संज्ञा से विशेषण, विशेषण से भाववाचक संज्ञा तथा उपसर्ग या प्रत्यय लगाकर विशेषणों की रचना किस प्रकार होती है।

क्रिया विशेषणों का प्रयोग :

इसके अन्तर्गत क्रिया विशेषणों के प्रयोग किस प्रकार किये जाते हैं। इसका ज्ञान कराया जाता है।

सर्वनामों का प्रयोग :

इसके अन्तर्गत सर्वनाम के विविध रूपों का ज्ञान तथा प्रयोग द्वारा उनका अभ्यास कराया जाता है।

काल :

इसके अन्तर्गत तीनों कालों का ज्ञान तथा उनके साथ प्रयुक्त की जाने वाली क्रियायों का अभ्यास कराया जाता है। उदाहरण–

सीता ने खाना खाया (भूतकाल।

सीता खाना खा रही है (वर्तमान काल)।

क्रिया 'खाना' ही है, किन्तु काल के अनुसार क्रिया के लिए प्रयुक्त शब्दों में काल परिवर्तन हो गया है।

संयुक्त क्रियाएँ :

हिन्दी में मुख्य क्रिया, सहायक क्रिया को समझना कठिन होता है और संयुक्त क्रिया में तो एक साथ तीन–तीन, चार–चार क्रियाएँ प्रयुक्त हो जाती हैं और उनका सही रूप जानना कठिन हो जाता है। अतः व्यावहारिक व्याकरण के अन्तर्गत संयुक्त क्रियायों के प्रयोग सम्बन्धी अभ्यास कराया जाता है।

पर्यायवाची :

इसके अन्तर्गत शब्दों के पर्यायवाची शब्दों के ज्ञान कराने के साथ–साथ उनके प्रयोग पर विशेष बल दिया जाता है।

एकार्थक प्रयुक्त होने वाले शब्दः

इसके अन्तर्गत उन शब्दों के प्रयोग का अभ्यास कराया जाता है, जो एक होते हुए भी अपने आप में एक से अधिक अर्थ रखता हो। उदाहरण–

कनक। कनक का अर्थ सोना भी होता है और धतूरा भी।

वाक्य विचारः

शब्द–क्रम, अभिव्यक्ति के अनुसार शब्द क्रम में परिवर्तन, सरल, संयुक्त एवं मिश्रित वाक्यों की रचना, एक प्रकार के वाक्य से दूसरे प्रकार के रूपान्तरण इत्यादि का अभ्यास इसके अन्तर्गत किया जाता है।

विराम चिह्न :

विराम चिह्नों का उचित प्रयोग सिखाया तथा उसका अभ्यास कराया जाता है।

मुहावरे तथा लोकोक्तियाँः

व्यावहारिक व्याकरण के अन्तर्गत मुहावरे तथा लोकोक्तियों का प्रयोग कहाँ और कब किया जाए, इसका अभ्यास कराया जाता है।

प्रश्नः ध्वनि विचार, वचन विकार विशेषणों का प्रयोग किसके रूप हैं?

(I) सैद्धान्तिक व्याकरण के
(II) व्यावहारिक व्याकरण के
(III) मिश्रित व्याकरण के
(IV) सर्जनात्मक व्याकरण के

व्याकरण शिक्षण की विधियाँ:

व्याकरण शिक्षण के समय अनेक विधियाँ अपनाई जा सकती हैं, जिनमें से मुख्य निम्न हैं:

(I) निगमन या सिद्धान्त प्रणाली (II) आगमन प्रणाली

निगमन प्रणालीः इस प्रणाली में पहले व्याकरण के सामान्य सिद्धान्तों को बताया जाता है। तत्पश्चात् उसके उदाहरणों का उल्लेख किया जाता है। इस पद्धति में 'सामान्य से विशिष्ट की ओर' का सिद्धान्त अपनाया जाता है। इस विधि द्वारा व्याकरण सीखने में बालक नियमों पर निर्भर रहता है, उसे तर्क तथा विचार करने का अवसर कम ही प्राप्त होता है। व्याकरण शिक्षण में निगमन प्रणाली का प्रयोग दो रूप में किया है–'सूत्र प्रणाली' व 'पाठ्य–पुस्तक प्रणाली।'

1– सूत्र प्रणालीः इस प्रणाली में व्याकरण के नियम सूत्र के रूप में रट लिये जाते हैं और उनके लक्षण तथा उदाहरण बता दिये जाते हैं। यह प्रणाली संस्कृत व्याकरण का एक सूत्र है 'इको यणची'। एक स्थाने यण् स्थात् संहितायां विषये। छात्र न इक समझते हैं, न यण और न संहिता, जिसके कारण उन्हें भाषा के प्रयोग का ज्ञान और अभ्यास नहीं हो पाता।

अतः यह प्रणाली सही नहीं मानी जाती। इसमें बालक अमनोवैज्ञानिक ढंग से बिना समझे ही रटता चला जाता है और उसका मानसिक विकास बिल्कुल नहीं हो पाता। ऐसे में सूत्र रटा होने के पश्चात् भी, वह उसका प्रयोग नहीं कर सकता, जिससे उसका समय व शक्ति दोनों ही व्यर्थ जाती हैं। इसलिए यह विधि पूर्णतः अनुपयोगी है।

2– पाठ्य पुस्तक प्रणालीः पाठ्य पुस्तक प्रणाली भी सूत्र प्रणाली का ही दूसरा रूप है। भिन्नता यह है कि सूत्र प्रणाली संस्कृत व्याकरण का अनुकरण करती है, जबकि पाठ्य–पुस्तक प्रणाली अंग्रेज़ी का। पाठ्य–पुस्तक प्रणाली में सूत्रों को रटा नहीं जाता, अपितु व्याकरण की पाठ्य–पुस्तकों की सहायता की जाती है। इनमें जो परिभाषाएँ, नियम तथा उदाहरण दिए रहते हैं, छात्र उन्हें रट लेते हैं और यथास्थान उनका प्रयोग करते हैं। इनमें छात्रों को संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण आदि का नाम तथा उनकी परिभाषाएँ और भेद सभी छात्रों को बता दिये जाते हैं, किन्तु उनके प्रयोग का अभ्यास नहीं कराया जाता इसलिए यह विधि भी अधिक उपयोगी नहीं है।

आगमन प्रणाली : इस विधि में बालक के समक्ष कुछ उदाहरण प्रस्तुत किये जाते हैं और इन उदाहरणों के माध्यम से बालकों से सामान्य सिद्धान्त निकलवाये जाते हैं। इनमें 'मूर्त्त से अमूर्त्त की ओर' के सिद्धान्त का प्रयोग किया जाता है। बालक अनेक विशिष्ट क्रियाओं का अध्ययन करता है। इसमें कुछ उदहारण प्रस्तुत किये जाते हैं। छात्र उन उदाहरणों के आधार पर नियम खोजते हैं और उनका परीक्षण करते हैं।

उदाहरण– *राम + अवतार = रामावतार*

विद्या + आलय = विद्यालय

इन उदाहरणों से छात्र चिन्तन के द्वारा यह नियम निकाल लेता है कि अ, या, आ के बाद यदि अ, या, आ जाएँ तो दोनों मिलकर 'आ' हो जाता है और इन्हीं नियमों का प्रयोग वह दूसरे उदाहरणों पर करके देखता है। इस प्रणाली से व्याकरण का ज्ञान प्राप्त करते समय छात्र सक्रिय रहता है तथा उसका मानसिक विकास भी होता है।

उदाहरणार्थ: विशेषण का ज्ञान प्रदान करने के लिए अध्यापक छात्र के समक्ष कुछ उदाहरण रखता है, जैसे– 'राम काला लड़का है'। 'अंगूर खट्टे हैं'। तत्पश्चात् वह छात्रों से राम तथा अंगूर की विशेषता के विषय में प्रश्न करता है, तब छात्र उदहारणों के द्वारा ही उनकी विशेषताओं को खुद खोजते हैं। इस प्रकार आगमन प्रणाली व्याकरण शिक्षण की सर्वोत्तम प्रणाली है। इसके दो रूप हैं– प्रयोग प्रणाली व सहयोगी प्रणाली।

(1)– प्रयोग प्रणाली: इस प्रणाली में छात्रों के सामने कुछ उदाहरण रखे जाते हैं। अनेक उदाहरणों में समान लक्षण वाले अंशों के कार्य एवं गुण छात्रों से कहलवाये जाते हैं। अन्त में उन्हीं के द्वारा कही हुईं बातों के आधार पर नियम या सिद्धान्त निकलवाये जाते हैं और फिर उन्हीं से उनका प्रयोग तथा अभ्यास कराया जाता है। अतः इस प्रणाली में निम्नलिखित सोपानों का अनुसरण किया जाता है :–

(क) उदाहरण: इसके अन्तर्गत प्रकरण से सम्बन्धित अनेक उदाहरण बच्चों के सामने प्रस्तुत किये जाते हैं।

(ख) तुलना या विश्लेषण: छात्रों के समक्ष जो उदाहरण प्रस्तुत किये जाते हैं, उनकी परस्पर तुलना करना, उनका विश्लेषण करना तथा उनकी विशेषताओं को समझना।

(ग) निष्कर्ष या नियमीकरण: दिये गये उदहारणों से निकाले गये निष्कर्ष या नियम की पुष्टि के लिए अनेक प्रयोग और उसका अभ्यास करना।

प्रयोग प्रणाली के उपर्युक्त सोपानों के प्रयोग से व्याकरण की शिक्षा द्वारा भाषा का व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त होता है।

उदहारण–1: संज्ञा का ज्ञान प्रदान करने के लिए संज्ञा प्रयुक्त वाक्य छात्रों के सम्मुख प्रस्तुत किये जायेंगे तथा उनके आधार पर किसी वस्तु या व्यक्ति के नाम को संज्ञा बताने का प्रयत्न किया जायेगा।

उदहारण–2: यदि छात्र को काल का ज्ञान कराना है तो उसे यह नियम बताना होगा कि किसी भी काल में क्रिया का लिंग व वचन, कर्त्ता के लिंग और वचन के अनुसार होते हैं। इसे छात्रों को समझाने के लिए अध्यापक, छात्रों के सम्मुख उदाहरण प्रस्तुत करेंगे:

उदाहरण : *मोहन पानी पीता है।*
सीता पानी पीती है।
राम पानी पियेगा।

इस प्रकार इस प्रणाली में छात्र स्वयं नियमीकरण करते हैं और उनसे उनका प्रयोग सीखते हैं। इसलिए यह प्रणाली व्याकरण शिक्षण के लिए उत्तम प्रणाली है।

(2) सहयोग प्रणालीः सहयोगी प्रणाली के अनुसार व्याकरण की शिक्षा अलग से देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि व्याकरण शिक्षण तो यथा प्रसंग चलता ही रहता है। मुख्यतः रचना शिक्षण तथा गद्य शिक्षण में तो शब्द–शिक्षण, वर्तनी–शिक्षण, उच्चारण–शिक्षण, वाक्य रचना–शिक्षण, अनुच्छेद रचना–शिक्षण के अनेक प्रसंगों में शिक्षक व्याकरणिक–रूपों तथा नियम का ज्ञान प्रदान कर सकता है।

इस प्रणाली द्वारा व्याकरण का शिक्षण देना अधिक उचित प्रतीत नहीं होता, क्योंकि इस प्रणाली द्वारा शिक्षा प्राप्त करने की कुछ सीमाएँ हैंः

- व्याकरण की विधिवत् शिक्षा नहीं हो पाती है।
- यथाप्रसंग ही आवश्यक नियम बता दिये जाते हैं।
- प्रयोग प्रणाली की भाँति उदाहरण, तुलना, विश्लेषण, नियम व अभ्यास का यथेष्ट अवकाश नहीं रहता।
- इसके द्वारा व्याकरण का बिखरा हुआ ज्ञान ही प्राप्त हो पाता है।

उपर्युक्त सीमाओं के होते हुए भी इसमें कुछ ऐसी विशेषताएँ हैं, जिनके आधार पर इस प्रणाली को व्याकरण शिक्षण के लिए उपयोगी माना जा सकता है। ये विशेषताएँ निम्नलिखित हैं :

1– वाक्य व्याकरण शिक्षण का प्रथम आधार है और इस विधि में विश्लेषण के द्वारा उपवाक्य, सहवाक्य तथा शब्दों तक पहुँचा जाता है, जो कि सीखने की स्वाभाविक पद्धति है।

2– व्याकरण को पृथक् विषय न मानकर यदि भाषा शिक्षा के सन्दर्भ में ही पढ़ाया जाय तो भी उचित है।

3– इस विधि के द्वारा विविध शब्द–भेदों के कार्य तथा उपयोग आसानी से समझे जाते हैं।

प्रश्न–1: आगमन तथा निगमन में अन्तर बताइये, साथ ही व्याकरण शिक्षा के लिए कौन–सी विधि अधिक उपयोगी है, इसकी भी चर्चा कीजिये?

व्यावहारिक व्याकरण के शिक्षण के लिए 'प्रयोग विधि' व 'सहयोग विधि' ही उचित है, क्योंकि व्यावहारिक व्याकरण ही शिक्षा का पर्याप्त अवसर– गद्य शिक्षण या रचना–शिक्षण के समय ही मिल पाता है। अतः ऐसे समय पर सहयोग प्रणाली ही सहायक सिद्ध होती है। उच्चारण सम्बन्धी त्रुटियों का संशोधन मौखिक रूप से बोलचाल के समय या गद्य शिक्षण के समय किया जा सकता है। इसी प्रकार अक्षर विन्यास या लिपि का सुधार श्रुतलेख द्वारा या लिखित रचना के समय किया जा सकता है।

गद्य शिक्षण के समय शब्द रचना, उपसर्ग, प्रत्यय, सन्धि, समास आदि का भी प्रचुर अभ्यास का अवसर मिलता है। कुछ अन्य अभ्यास इस प्रकार हो सकते हैं :

- *सरल वाक्यों को जोड़कर संयुक्त वाक्य बनाना।*
- *खण्डशः उपवाक्यों को मिलाकर मिश्रित वाक्यों की रचना करना।*
- *वाक्यों में शब्दों का क्रम ठीक करना।*

मौखिक, लिखित रचना तथा गद्य–शिक्षण के समय यथा अवसर व्याकरण के अंगों–उपंगों की उचित व्यावहारिक शिक्षा तो देना ही चाहिए, पर यदा–कदा आवश्यकतानुसार व्याकरण के विविध प्रकरणों का स्वतन्त्र–रूप से 'प्रयोग प्रणाली' द्वारा भी शिक्षण आयोजित करना चाहिए।

उपर्युक्त विधियों के अतिरिक्त एक 'खेल विधि' भी व्याकरण सिखाने की उत्तम व सरल विधि है। क्योंकि यदि बालकों को खेल–खेल में कोई कार्य कराया जाय तो उसे रुचिपूर्वक तथा सहजता से सीखेंगे।

खेल विधिः इसके अन्तर्गत निम्न क्रियाओं को अपनाया जा सकता है :

– *अन्तिम ध्वनि की समानता वाले शब्दों की पहचान कराना, उनका संकलन व वर्गीकरण कराना।*
– *शब्दों के अन्त में अंशों (उपसर्ग व प्रत्यय) की समानता के आधार पर उनका वर्गीकरण कराना।*
– *दिये गये शब्दों से समानार्थक, विपरीतार्थक शब्दों की प्रतियोगिता करना।*
– *वाक्यांश के लिए एक शब्द बताने की प्रतियोगिता आयोजित करना।*

अभ्यासः

व्यावहारिक व्याकरण से क्या तात्पर्य है? हिन्दी व्याकरण के कुछ प्रकरणों का उदहारण देकर उनकी उपयोगिता सिद्ध कीजिए?

सारांशः

– भाषा को समाज द्वारा स्वीकृत होने के लिए कुछ मानक मापदण्ड व नियम होते हैं। इन निमयों को ही शास्त्रीय भाषा में व्याकरण के नाम से जाना जाता है।
– शाब्दिक अर्थ के अनुसार व्याकरण वह है, जिससे अर्थ–स्वरूप से शब्द सिद्धि हो।
– व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य भाषा की प्रकृति का परिचय प्राप्त करना तथा ध्वनि, रूप, अर्थ, वाक्य आदि अवयवों की जानकारी देना और उन्हें व्यवहार में लाने योग्य बनाना।
– व्याकरण शिक्षण के सम्बन्ध में दो परस्पर विरोधी मत हैं, जिनमें से एक भाषा शिक्षण में व्याकरण शिक्षण को पूर्णतः अनिवार्य मानते हैं तथा द्वितीय व्याकरण शिक्षण को आवश्यक नहीं मानते।
– उपर्युक्त दोनों मतों के बीच एक वर्ग व्यावहारिक व्याकरण के ज्ञान को उचित मानता है।
– व्यावहारिक व्याकरण के आवश्यक रूप–ध्वनि, विचार, वर्तनी, वचन विकार, लिंग विकार, कारकों व विभक्तियों का परिचय व उनके प्रयोग सम्बन्धी ज्ञान, हिन्दी शब्दों की रचना, विशेषणों का प्रयोग, सर्वनामों का प्रयोग, काल, संयुक्त क्रियाएँ, पर्यायवाची, एकार्थक प्रयुक्त होने वाले शब्द, अनेकार्थक शब्दों के प्रयोग, वाक्य विचार, विराम, विराम चिह्न, मुहावरे तथा लोकोक्तियों, अलंकारों आदि का प्रयोग व अभ्यास है।
– व्याकरण शिक्षण की मुख्य विधियाँ–निगमन, जिसके अन्तर्गत सूत्र तथा पाठ्य–पुस्तक प्रणाली तथा आगमन विधि जिसके अन्तर्गत प्रयोग व सहयोग प्रणाली आती है।
– उपर्युक्त दोनों के अतिरिक्त व्याकरण का ज्ञान प्रदान करने के लिए खेल विधि भी है।

मूल्यांकन :

1– व्याकरण शिक्षण के क्या उद्देश्य है?
2– भाषा के मानकीकरण में व्याकरण के महत्व को प्रतिपादित कीजिए?
3– व्याकरण शिक्षण की विधियों पर प्रकाश डालिए?

निर्दिष्ट कार्यः

1) व्याकरण का क्या आशय है, स्पष्ट कीजिए?

2) आगमन प्रणाली से आप क्या समझते हैं?

3) व्यावहारिक व्याकरण के रूपों की चर्चा करते हुए उसकी उपयोगिता सिद्ध कीजिए।

समास

हम सीखेंगे:

समास क्या है?

समास रचना

समास विग्रह

उद्देश्य:

1– छात्रों में व्याकरण के प्रति रुचि जाग्रत करना।

2– समास का अर्थ एवं परिभाषा ज्ञात करना।

3– समास के बारे में परिपक्वता ले आना।

4– शब्दों का परस्पर सम्बन्ध ज्ञात करना।

5– समास के भेद समझाना।

समास के भेद:

अव्ययीभाव समास

तत्पुरुष समास

कर्मधारय समास

द्विगु समास

द्वन्द समास

बहुब्रीहि समास

आवश्यक सामग्री : चार्ट, कार्ड–शीट।

गतिविधि : निम्न पदों के लिए एक सार्थक शब्द लिखिए (कार्ड–शीट अथवा श्यामपट पर प्रदर्शन करें) :

1) भाई और बहन =

2) दिन प्रतिदिन =

3) शक्ति के अनुसार =

4) माता और पिता =

5) राजा का भवन =

सन्धि और समास में अन्तर:

बहुब्रीहि और कर्मधारय समास में अन्तर

बहुब्रीहि और द्विगु समास में अन्तर

बहुब्रीहि और तत्पुरुष समास में अन्तर

विषयवस्तु का प्रस्तुतीकरण (प्रस्तावना) :

समास शब्द का अर्थ है– *संक्षिप्त करने की विधि या छोटा करने का ढंग।*

संस्कृत धातु अस् 'संक्षेप करना' में सम् उपसर्ग जोड़कर समास शब्द निष्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ है–समाहार या मिलाप। इस प्रकार हम पाते हैं कि समास का वास्तविक अर्थ 'संक्षेपीकरण' हुआ, जैसे–'चन्द्र के समान मुख' को हम 'चन्द्रमुख' भी कह सकते हैं।

अपनी बात को कम से कम शब्दों में कहना मानव का स्वभाव है। इसीलिए वह अनेक बार एक से अधिक शब्दों को मिलाकर एक शब्द बना लेता है। एक से अधिक शब्दों को मिलाने की विधि ही समास कहलाती है।

दो या दो से अधिक शब्दों (पदों) का अपने विभक्ति चिह्नों को छोड़कर आपस में मिलना समास कहलाता है।

समास रचनाः

ध्यान रखना चाहिए कि सामान्तः समास रचना में दो शब्द (पद) होते हैंः

- इसमें पहला पद 'पूर्वपद' कहा जाता है।
- दूसरा पद 'उत्तरपद' कहा जाता है।
- इन दोनों पदों को समास से बना नया पद 'समस्त पद' कहलाता है।

पूर्वपद + उत्तरपद	समस्त पद	पूर्वपद + उत्तरपद	समस्त पद
दश + आनन (हैं जिसके)	दशासन	राजा + (का) पुत्र	राजपुत्र
घोड़ा + सवार (घोड़े पर सवार)	घुड़सवार	यश + (को) प्राप्त	यशप्राप्त

समास–विग्रह :

जब समास (समस्त पद) के सभी पद अलग–अलग किय जाते हैं, तब उस प्रक्रिया को 'समास विग्रह' कहते हैं।

जैसे–

समस्त पद	–	**समास विग्रह**
आजन्म	–	जन्म से लेकर
पाठशाला	–	पाठ के लिए शाला
नील कमल	–	नीला है जो कमल
दोपहर	–	दोपहर का समय
रात–दिन	–	रात और दिन
महावीर	–	महान वीर हैं जो (हनुमान जी)

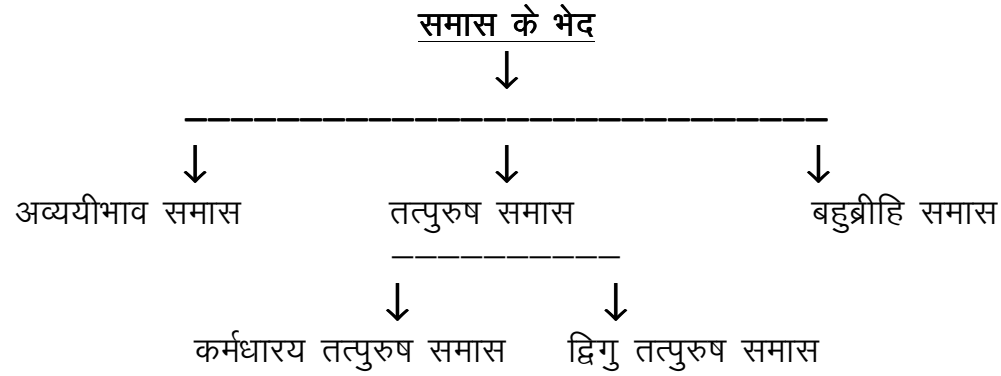
ध्यान दीजिएः

1– समास में कम से कम दो पदों का मेल होता है।

2– दो या दो से अधिक पद एक नया पद (समस्त पद) बनाते हैं।

3– समास में पदों का विभक्त चिह्न लुप्त हो जाता है।

विषय–वस्तु का विस्तार (अवधारणा)



विशेषः दो पदों के मेल में निम्नांकित 4 स्थितियाँ परिलक्षित होती हैं :

1– प्रथम पद (पूर्वपद) प्रधान – अव्ययीभाव समास
2– द्वितीय पद (उत्तरपद) प्रधान पद – तत्पुरुष समास
3– दोनों पद प्रधान – द्वन्द्व समास
4– अन्य पद प्रधान – बहुब्रीहि समास

शेष दो समास–कर्मधारय और द्विगु में भी द्वितीय पद प्रधान होते हैं। अतः वे तत्पुरुष समास के अन्तर्गत आते हैं। निम्न उदाहरण को पढ़िएः

यथाशक्ति प्रतिदिन यथाविधि कार्य करना चाहिए।

प्रश्न–1: उपर्युक्त उदाहरण में कौन–सा पद प्रधान है?

प्रश्न–2: जिस समास में प्रथम पद प्रधान हो, उस समास का नाम बताइए?

उद्देश्य कथन– आज हम अव्ययी भाव समास का अध्ययन करेंगे। इसमें पहला शब्द प्रधान होता है और समास से जो शब्द बनता है, वह अव्यय होता है। समस्त शब्द के अव्यय रूप में उपस्थित होने के कारण इस समास का नाम अव्ययीभाव पड़ा है।

गतिविधि– निम्न पदों का विग्रह कर बताइए कि इनकी क्या विशेषता है?
(कार्ड शीट अथवा श्याम पट पर प्रदर्शन करें)

आजन्म	– जन्म से लेकर	आमरण	– मरण पर्यन्त
आज्ञानुसार	– आज्ञा के अनुसार	यथाविधि	– विधि के अनुसार
यथाशक्ति	– शक्ति के अनुसार	प्रतिदिन	– हर दिन
रातों रात	– रात ही रात	बेकाम	– काम के बिना
सादर	– आदर सहित	अनुरूप	– रूप से योग्य

विशेष– अव्ययी भाव समास में समस्त पद क्रिया विशेषण का कार्य होता है और उत्तरपद संज्ञा या विशेषण; जैसे– भरपेट, यथासम्भव, यथास्थान, यथायोग्य आदि। लेकिन हिन्दी समासों में इसके अपवाद स्वरूप पहला पद संज्ञा तथा विशेषण भी देखा गया है, जैसे– हाथों–हाथ (हाथ संज्ञा), हर घड़ी (हर विशेषण)।

2– तत्पुरुष समासः जिस सामासिक शब्द का उत्तरपद प्रधान होता है तथा पहले के साथ लगी विभक्ति का लोप हो जाता है, वह तत्पुरुष समास कहलाता है।

पहचान:

1– इसमें सामान्यतः संज्ञा के साथ संज्ञा पद का मेल होता है।
यज्ञ (संज्ञा) + शाला (संज्ञा)= यज्ञशाला

2– कभी संज्ञा पद के साथ क्रिया–पद भी मेल कर सकता है:
हस्त (संज्ञा) + लिखित (क्रिया)= हस्तलिखित

3– तत्पुरुष समास में प्रथमा (कर्त्ता) और संबोधन की विभक्ति को छोड़कर शेष सभी विभक्तियों का लोप हो जाता है। जैसे–

सत्याग्रह– सत्य के लिए आग्रह	शोकाकुल– शोक के लिए आकुल
कामचोर– काम से जी चुराने वाला	धर्मभ्रष्ट– धर्म से भ्रष्ट
राजभवन– राजा का भवन	कार्यनिपुण– कार्य में निपुण
ऋणमुक्त– ऋण से मुक्त	गुणहीन– गुण से हीन
बिहारी रचित– बिहारी के द्वारा रचित	पद दलित– पद से दलित

3– कर्मधारय समास– जिसका पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेषण अथवा एक पद उपमान तथा दूसरा पद उपमेय हो तो वह 'कर्मधारय समास' कहलाता है।

विशेषण–विशेष्य:

नीलकमल– नीला है जो कमल	महादेव– महान है जो देव
परमानन्द– परम है जो आनन्द	नीलगगन– नीला है जो गगन
सद्धर्म– सत् है तो धर्म	पुरुषोत्तम– पुरुषों में है जो उत्तम

उपमान–उपमेय:

नरसिंह– नरों में सिंह के समान
चन्द्रमुख– चन्द्र के समान मुख
कमलनयन– कमल के समान नयन
चरण कमल– कमल के समान चरण
देहलता– देह रूपी लता
घनश्याम– घन के समान श्याम

4– द्विगु समास: इसमें पहला पद संख्यावाचक होता है तथा किसी समूह विशेष का बोध कराता है; जैसे–

त्रिलोक– तीन लोकों का समाहार	सतसई–सात सौ (दोहों) का समाहार
सप्ताह– सात दिनों का समूह	पंचवटी–पाँच वृक्षों का समाहार
चौमासा–चार मासों का समूह	पंचतत्व–पाँच तत्वों का समूह
चारपाई–चार पैरों का समाहार	नवरात्र–नौरात्रियों का समूह
पंजाब–पाँच आबो (नदियों) का समूह	चतुर्मुख–चार मुखों का समूह

द्वन्द्व समास: जिस समस्त पद में दोनों पद प्रधान हों तथा विग्रह करने में दोनों पदों के बीच 'और' या 'तथा' अथवा जैसे योजक शब्दों का प्रयोग हो तो उसे द्वन्द्व समास कहते हैं। द्वन्द्व का अर्थ है दो या दो से अधिक वस्तुओं का युग्म अर्थात् जोड़ा होता है। जैसे–

राधा–कृष्ण – राधा और कृष्ण राम–लक्ष्मण– राम और लक्ष्मण
माँ और बाप – माँ और बाप सुख–दुःख– सुख और दुःख
अमीर–ग़रीब – अमीर और ग़रीब पाप–पुण्य– पाप और पुण्य
रात–दिन – रात और दिन देश–विदेश– देश और विदेश
नर–नारी – नर और नारी धर्म–अधर्म– धर्म और अधर्म

बहुब्रीहि समास– जिस समास में दोनों खण्ड प्रधान न हो और समस्त–पद अपने पदों से भिन्न किसी अन्य संज्ञा को बोध करवाते हों तो उसे 'बहुब्रीहि समास' कहते हैं। इसका विग्रह करने पर विशेष रूप में 'वाला', 'वाली', 'जिसका', 'जिसकी', 'जिससे' आदि शब्द पाये जाते हैं। यह भी कहा जा सकता है कि विग्रह पद संज्ञा पद का विशेषण रूप ही होता है।

त्रिलोचन– तीन हैं लोचन जिसके अर्थात् शंकर
दिगम्बर– दिशाएँ ही हैं अम्बर (वस्त्र) जिसका वह (शंकर या जैन मुनि)
चक्रधर– चक्र को धारण करने वाला अर्थात् विष्णु
तिरंगा– तीन रंगों वाला अर्थात् भारत का राष्ट्रध्वज
चतुर्मुख– चार हैं मुख जिसके ब्रह्म
चतुर्भज– चार भुजाएँ हैं जिसकी विष्णु
पंचानन– पाँच हैं आनन जिसके अर्थात् सिंह या शिव
मृत्युन्जय– मृत्यु को जीतने वाला शंकर
महावीर– महान वीर है जो हनुमान जी

सन्धि और समास में अन्तरः

सन्धि और समास में अन्तर स्पष्ट करना भी यहाँ आवश्यक है।

1– सन्धि शब्द का शाब्दिक अर्थ है– मेल।
समास शब्द का शाब्दिक अर्थ है–संक्षिप्त करने की रचना विधि।

2– सन्धि में शब्दों का मेल होता है।
समास में पदों का मेल होता है।

3– सन्धि में मिले हुए वर्गों से अलग–अलग करने को 'सन्धि विच्छेद' कहते हैं।
समस्त पद के सभी पदों को अलग–अलग करने की प्रक्रिया 'समास विग्रह' कहलाती है।

4– सन्धि में जिन शब्दों का योग रहता है, उनका मूल अर्थ परिवर्तित नहीं होता;
जैसे–विद्यालय में विद्या और आलय दोनों का मूल अर्थ सुरक्षित है।

समास से बने शब्दों का मूल अर्थ सुरक्षित रह भी सकता है। जैसे– देशभक्ति, सेनापति और नहीं भी, जैसे–जल–पाल। जलपान का अर्थ जल का पान नहीं, अपितु चाय–नाश्ता आदि है। ऐसे ही जलवायु, हथकड़ी, कालापानी, आबोहवा पदों का मूल अर्थ बदल गया है।

कर्मधारय और बहुब्रीहि समास में अन्तर : कर्मधारय और बहुब्रीहि में सूक्ष्म अन्तर पाया जाता है। कर्मधारय समास, विशेषण और विशेष्य अथवा उपमान और उपमेय पदों से मिलकर बना होता है, जबकि बहुब्रीहि समास में समस्त पद किसी संज्ञा के लिए विशेषण का कार्य करता है। कमल के समान नयन (उपमेय–उपमान) महान है, जो वीर (विशेषण–विशेष्य) ये कर्मधारय के उच्चारण हैं।

क्योंकि इसमें उपमान, उपमेय तथा विशेषण–विशेष्य का सम्बन्ध है लेकिन बहुब्रीहि में ऐसा नहीं होता। बहुब्रीहि का विग्रह इस प्रकार होगा–कमल जैसे नयनों वाला अर्थात् विष्णु तथा महान है जो वीर अर्थात् हनुमान। इसी तरह के कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैः

पीताम्बर– पीत के समान अम्बर (कर्मधारय)
पीत अम्बर है जिसके अर्थात् श्रीकृष्ण (बहुब्रीहि)

नीलकण्ठ– नीला है कण्ठ (कर्मधारय)
नीला है कण्ठ जिसका अर्थात् शिव (बहुब्रीहि)

मृगनयन– मृग के नयन के समान (कर्मधारय)
मृग के नयन के समान नयन हैं, जिसके अर्थात्
स्त्री विशेष (बहुब्रीहि)

विशेषः समास की पहचान उसके विग्रह करने पर ही होती है। अर्थात् समास विग्रह के अन्तर से यहाँ कर्मधारय और बहुब्रीहि समास हुए हैं।

द्विगु और बहुब्रीहि समास में अन्तरः कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं, जिन्हें द्विगु और बहुब्रीहि दोनों समासों के अन्तर्गत रखा जा सकता है। दोनों में अन्तर केवल इतना है कि द्विगु समास का पहला पद संख्यावाचक विशेषण होता है तथा शेष पद उसका विशेष्य लेकिन बहुब्रीहि समास में समस्त पद किसी संज्ञा के लिए विशेषण का कार्य करता है। जैसे–

अष्टाध्यायी– अष्ट (आठ) अध्यायों का समूह (द्विगु)
आठ हैं अध्याय जिसके पाणिनी का व्याकरण (बहुब्रीहि)

त्रिफला– तीन फलों का समाहार (द्विगु)

त्रिनेत्र– तीन नेत्रों का समूह (द्विगु)
तीन हैं नेत्र जिसके अर्थात शंकर (बहुब्रीहि)

तत्पुरुष और बहुब्रीहि समास में अन्तरः तत्पुरुष समास में द्वितीय पद प्रधान होता है, जबकि बहुब्रीहि में अन्य पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास में समास विग्रह पदात्मक होता है, जबकि बहुब्रीहि समास में समास विग्रह वाक्यात्मक होता है।

उदहारण–

शोकाकुल	शोक से आकुल	तत्पुरुष
प्रधानमन्त्री	मन्त्रियों में प्रधान हो जो (पद–विशेष)	बहुब्रीहि

ध्यान देने योग्य बातें :

1) दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जब नया शब्द बनाया जाता है तो उस शब्द–रचना को समास कहते हैं।
2) 'पूर्वपद' तथा 'उत्तरपद' के मेल से बना नया शब्द 'समस्तपद' कहलाता है तथा जब समस्तपद को 'पूर्व पद' तथा 'उत्तरपद' में विभाजित किया जाता है, तो उस प्रक्रिया को 'समास–विग्रह' कहते हैं।

3) समास के छः भेद होते हैं– अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास, द्वन्द्व समास तथा कर्मधारय समास।

4) अव्ययीभाव समास में 'पूर्व पद' अव्यय होता है।

5) कर्मधारय समास में पूर्व पद तथा उत्तर पद में विशेषण–विशेष्य अथवा उपमान–उपमेय का सम्बन्ध होता है।

6) तत्पुरुष समास में उत्तरपद प्रधान होता है।

7) द्विगु समास में पूर्वपद संख्यावाची विशेषण होता है।

8) द्वन्द्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं तथा दोनों पदों के बीच योजक शब्द आते हैं।

मूल्यांकन–

1) समास किसे कहते हैं?

2) 'समास–विग्रह' का क्या आशय है?

3) द्विगु और बहुब्रीहि समास में अन्तर स्पष्ट कीजिए?

4) निम्नलिखित समस्त पदों का विग्रह कीजिए और समास का नाम लिखिए?

दशानन, यशप्राप्त, गुणहीन, आमरण, सादर, नील कमल, त्रिभुवन, नवरात्र, मृत्युन्जय, नर–नारी, वेद–पुराण।

निर्दिष्ट कार्य–

1) समास के भेद का चार्ट बनाकर उसकी पहचान और उदाहरण लिखिए?

2) दिये गये सामासिक पद के आधार पर समास के प्रकार ज्ञात कीजिए–

1)	पंचवटी	2)	पीताम्बर	3)	यथासमय
4)	राजपुरुष	5)	पंचानन	6)	रात–दिन

सन्दर्भः–

1) सरस्वती व्याकरण दर्शिका – डॉ. मनीषा शर्मा, डॉ. मोनिका मारवाह

2) आधुनिक हिन्दी व्याकरण – वासुदेवनन्दन सिंह

3) सचित्र हिन्दी व्याकरण – भाग 6, 7 एवं 8

4) व्यावहारिक हिन्दी व्याकरण – डॉ. राघवप्रसाद

5) मानक व्यावहारिक हिन्दी व्याकरण तथा रचना – श्याम जी गोकुल वर्मा

सन्धि

हम सीखेंगे–

सन्धि क्या है?

सन्धि रचना

सन्धि के भेद–

स्वर सन्धि

व्यंजन सन्धि

विसर्ग सन्धि

उद्देश्य–

1. भाषा के तत्वों का ज्ञान प्राप्त करना।
2. भाषायी कौशलों में मौलिकता तथा सृजनात्मकता का विकास
3. हिन्दी भाषा तथा साहित्य के महत्व को समझते हुए राष्ट्रभाषा में रुचि जाग्रत करना।

4. सन्धि का आशय, प्रकार तथा सन्धियों का विशिष्ट ज्ञान।

आवश्यक सामग्री– चार्ट एवं कार्ड–शीट।

गतिविधि–1 : कक्षा नौ एवं ग्यारह की पाठ्य पुस्तकों में से कुछ सन्धि–युक्त शब्दों की सूची बनायें तथा उन शब्दों की चिट भी बना लें। इन चिटों को एक डिब्बे में रख दें। सहभागियों को एक–एक कर डिब्बे में से एक–एक चिट निकालने को कहें। उक्त चिट में लिखे गये शब्द को पढ़वाकर श्यामपट पर लिखवाएँ।

उदाहरण :	**शब्द**	**विच्छेद**
	देवालय	देव + आलय
	उल्लास	उत् + लास
	दुर्जन	दुः + जन
	सज्जन	सत् + जन
	मनोरथ	मनः + रथ
	गिरीश	गिर + ईश

उक्त शब्दों में किन–किन वर्णों का मेल हुआ है, इसे स्पष्ट करें। यथा–

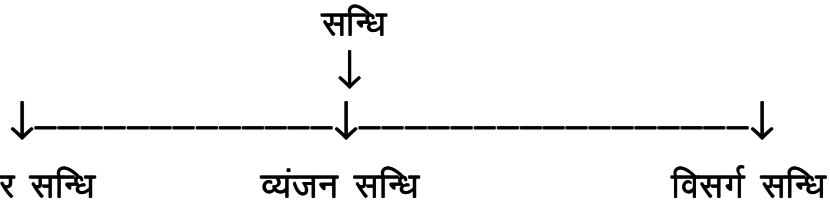
(1)	अ + आ = आ	स्वर + स्वर
(2)	त् + ल = ल	व्यंजन + व्यंजन
(3)	दुः + ज = र	विसर्ग + व्यंजन
(4)	त् + ज = ज	व्यंजन + व्यंजन
(5)	नः + र = नो	विसर्ग + व्यंजन
6)	ई + ई = ई	स्वर + स्वर

विषयवस्तु का प्रस्तुतीकरण–प्रस्तावना

सन्धि शब्द का शाब्दिक अर्थ है– जोड़ या मेल। मुख्य रूप से वर्णों के मेल या जोड़ को ही सन्धि कहते हैं। उदाहरणार्थ– रमा + ईश = रमेश ।

उक्त उदाहरण में 'रमा' की अन्तिम ध्वनि 'आ' तथा 'ईश' की प्रथम ध्वनि 'ई' के परस्पर मिलने से 'ए' के रूप में परिवर्तन हुआ 'रमेश' शब्द बना। यहाँ आकार (आ + ई = ए) में तथा ध्वनि में परिवर्तन हुआ अतः सन्धि है।

अब हम यह देखें कि दो वर्णों के मिलने से यह परिवर्तन कितने प्रकार का होता है–



सन्धि के भेद :

सन्धि के तीन भेद माने जाते हैं:–

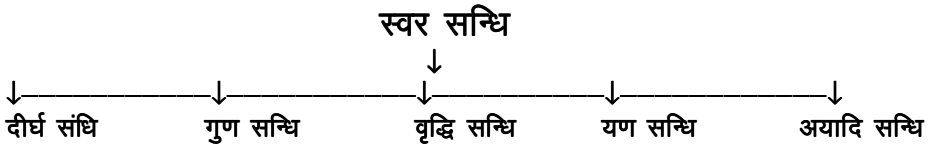
1) स्वर सन्धि
2) व्यंजन सन्धि
3) विसर्ग सन्धि

1) स्वर सन्धि: स्वर के बाद स्वर के मेल से उनमें जो विकार सहित परिवर्तन होता है, उसे स्वर सन्धि कहते हैं। जैसे–

परम + अणु = परमाणु देव + आलय = देवालय

स्वर सन्धि के निम्नलिखित पाँच भेद हैं :

(क) दीर्घ सन्धि (ख) गुण सन्धि
(ग) वृद्धि सन्धि (घ) यण सन्धि
(ड.) अयादि सन्धि



क) दीर्घ सन्धि–दो सवर्ण स्वर जब पास–पास आते हैं तो दोनों मिलकर उसी वर्ण का दीर्घ स्वर बन जाते हैं, इसे दीर्घ सन्धि कहते हैं:

उदहारण–

अ + अ = आ

सन्धि (भेद)	परिवर्तन (निमय)	उदाहरण
दीर्घ सन्धि (स्वर संधि)	ट+ अ =आ	निम्न + अंकित = निम्नांकित
	अ +आ =आ	भोजन + आलय = भोजनालय
	आ +अ =आ	शिक्षा + अर्थी = शिक्षार्थी
	आ +आ =आ	कारण + आवास = कारावास
	ई +ई =ई	कवि + इन्द्र = कवीन्द्र
	ई +इ =ई	परि + ईक्षा = परीक्षा
	ई +ई =ई	जानकी + ईश = जानकीश
	उ +उ =ऊ	अनु + उदित = अनूदित
	उ + ऊ =ऊ	साधु+ ऊर्जा = साधूर्जा
	ऊ +उ =ऊ	भू + उत्सर्ग = भूत्सर्ग
	ऊ +उ =ऊ	वधू + अर्मि = वधूर्मि

(ख) गुण सन्धि– जब अ या आ के बाद इ या ई हो तो दोनों के स्थान पर 'ए' यदि उ या ऊ हो तो दोनों के स्थान पर 'ओ' और यदि ऋ हो तो 'अर' हो जाता है।

सन्धि (भेद)	परिवर्तन (निमय)	उदाहरण
दीर्घ सन्धि (स्वर संधि)	अ+ इ =ए अ +ई =ए आ +इ =ए आ +ई =ए अ +उ =ओ अ +ऊ =ओ आ +उ =ओ आ +ऊ =ओ अ +ऋ =अर आ+ ऋ =अर ऊ +उ =ऊ ऊ +उ =ऊ	नर + इन्द्र = नरेन्द्र कमल + ईश = कमलेश यथा + इष्ट = यथेष्ट महा + ईश्वर = महेश्वर वन + उत्सव = वनोत्सव जल + ऊमि = जलोर्मि गंगा + उत्सव = गंगोत्सव दया + ऊर्मि = दयोर्मि राज+ ऋषि = राजर्षि ब्रह्म + ऋषि = ब्रह्मर्षि

(ग) वृद्धि सन्धि :

सन्धि (भेद)	परिवर्तन (निमय)	उदाहरण
वृद्धि सन्धि (स्वर संधि)	अ+ ए =ऐ अ +ऐ =ऐ आ +ए =ऐ आ +ऐ =ऐ अ + ओ = औ आ + ओ = औ अ + औ = औ आ + औ = औ	एक + एक = एकैक मत + ऐक्य = मतैक्य सदा + एव = सदैव महा + ऐश्वर्य = महेश्वर्य जल + ओध = जलौध महा + ओध = महौध वन + औषध = वनौषध महा + औषध = महौषध

परिभाषाः वृद्धि सन्धि में जब अ या आ के बाद ए या ऐ हो तो दोनों के स्थान पर 'ऐ', यदि ओ या औ हो तो दोनों के स्थान पर 'औ' हो जाता है। जैसे लोक + एषण=लौकेषण, तथा + एव = तथैव, दन्त + ओष्ठ = दन्तौष्ठ, परम + औषध = परमौषध, महा + औदार्य = महौदार्य।

(घ) यण सन्धि :

सन्धि (भेद)	परिवर्तन (निमय)	उदाहरण

यण सन्धि (स्वर संधि)	इ + अ =य इ + आ =या ई + अ =य ई + आ =या इ + उ = यु इ + ऊ = यू ई + उ = यु ई + ऊ = यू इ + ए = ये इ + ऐ = यै इ + अ = य उ + अ = व उ + आ = व ऊ + आ = वा उ + इ = वि उ + ई = वी उ + ए = वे ऋ + अ = र् ऋ + आ = रा ऋ + उ = रु ऋ + इ = रि	अति + अन्त = अत्यन्त परि + आवरण = पर्यावरण देवी + अर्पण = देव्यर्पण देवी + आलय = देवालय उपरि + उक्त = उपर्युक्त नि + ऊप = न्यून नदी + उद्गम = नद्युद्गम नदी + ऊर्मि = नद्यूर्मि प्रति + एक = प्रत्येक नदी + ऐश्वर्य = नद्यैश्वर्य प्रति + अंग = प्रसंग सु + अच्छ = स्वच्छ सु + आगत = स्वागत वधू + आगमन = वध्वागमन अनु + इति = अन्विति अनु + ईक्षण = अन्वीक्षण अनु + एषण = अन्वेषण मातृ + अनुमति = मात्रानुमति पितृ + आज्ञा = पित्राज्ञा मातृ + उपदेश = मात्रुपदेश पितृ + इच्छा = पित्रिच्छा

परिभाषा– उपर्युक्त उदाहरण से स्पष्ट होता है कि जब इ या ई के इ वर्ण के अतिरिक्त कोई अन्य स्वर आता है तो इ–ई के स्थान पर 'य' यदि उ या ऊ के वाद 'उ' वर्ण के अतिरिक्त कोई अन्य स्वर आता है तो उ या ऊ का 'व' तथा ऋ के वाद ऋ के अतिरिक्त कोई भिन्न स्वर आता है तो ऋ का 'र' हो जाता है।

(ड.) अयादि सन्धिः

सन्धि (भेद)	**परिवर्तन (निमय)**	**उदाहरण**
अयादि सन्धि (स्वर संधि)	ए+ अ = अय् ऐ + अ = आय ऐ + ई = आयि ओ +अ = अव ओ + इ = अवि औ + अ = आव् औ + इ = आवि औ + उ = आवु	चे + अन = चयन नै + अक = नायक गै + इका = गायिका पो + अन = पवन भो + इष्य = भविष्य पौ + अक = पावक नौ + इक = नाविक भौ + उक = भावुक

परिभाषाः– ए या ऐ के बाद ए वर्ण के अतिरिक्त कोई अन्य स्वर आता है तो 'ए' का 'आय' तथा 'ऐ' का 'आय' हो जाता है। यदि ओ या औ के बाद 'ओ' वर्ण के अतिरिक्त कोई अन्य स्वर आता है तो ओ का 'अव' तथा औ का 'आव्' हो जाता है। इसे 'अयादि संधि' के नाम से जाना जाता है।

व्यंजन संधिः

खण्ड (क)–वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन :

क् च् ट त् प् के पश्चात् यदि किसी वर्ग का *तीसरा* या *चौथा* वर्ण (ग, घ, ज, झ, उ ढ, द, ध, ब, भ) य, र, ल, व, ह या कोई *स्वर* आ जाए तो उन्हें अपने वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है, अर्थात् क को ग् च् को ज ट को ड़ त को द् ओर प् को ब् हो जाता है। **जैसे–**

1– **क को ग :**

दिक् + गज = दि + **क** + ग + ज =दि + ग् + ग + ज =दिग्गज

दिक + अम्बर = दि + क + ग + अम्बर = दि ग + अम्बर = दिगम्बर

2– **च का ज :**

अच + अन्त = अ + च + अ + अन्त = अ + ज + अन्त = अजन्त

3– **ट का ड़ :**

षट् + आनन = ष + ट + आ + नन = ष + ड + आ + नन = षडानन

4– **त् का द :**

त् त +अनुसार = त+त् +अ +नुसार = त+द+अ +नुसार = तदानुसार

जगत्+ईश = ज+ग+त+ईश = ज+ग+द+ईश = जगदीश

खण्ड (ख)– वर्ग के पहले वर्ग का पाँचवें मे परिवर्तन :

किसी वर्ग के पहले या तीसरे व्यंजन के बाद यदि कोई नासिक्य व्यंजन (ङ ञ् ण् न् म) आ जाता है तो पहले/तीसरे व्यंजन के स्थान पर अपने ही वर्ग का नासिक्य व्यंजन आ जाता है अर्थात् क को ङ् च् को ञ ट को ण् त् को न् और प् का म् हो जाता है, **जैसे–**

1– **क का ङ**

वक्+मय = वा+क्+म+य = वा + ङ्+म+य = वाङ्मय

2– **त को न :**

जगत+नाथ = ज+ग+त+न+आ+थ = ज+ग+न+नाथ = जगन्नाथ

उत्+नति = उ+त+न+ति = उ+न+न्+ति = उन्नति

खण्ड (ग) : त सम्बन्धी विशेष नियमः

(i) त् व्यंजन के बाद च/छ हों तो च;ज/झ हो तो ज; ट/ठ हो तो ट; ड/ढ होने पर ड और ल होने पर ल हो जाता है। **जैसे–**

उत्+चारण = उ+त्+चा+र+ण = उ+च+चा+रण = उच्चारण

सत्+जन = स+त्+ज+न = स+ज+ज+न = सज्जन

उत्+लाप = उ+त्+ल+अ+स = उ+ल्+लास = उल्लास

(ii) यदि त के बाद ह व्यंजन आए तो त्+का द (त>द्) तथा ह का ध (ह>ध) हो जाता है। जैसे–

उत्+हार = उ+त्+ह+आ+र = उ+द्+ध+आ+र = उद्धार

खण्ड (घ)– 'छ' सम्बन्धी नियम–

यदि किसी स्वर के बाद छ वर्ण आ जाए तो छ से पहले च् वर्ण जुड़ जाता है। **जैसे–**

अनु+छेद = अ+न+उ+छेद = अ+नु+च्+छे+द = अनुच्छेद

खण्ड (ङ): 'म' सम्बन्धी नियम–

(i) 'म' के बाद जिस वर्ग का व्यंजन आता है, अनस्वार उसी के वर्ग का नासिक्य (ङ्, ञ, ण्, न्, म्) अथवा अनुस्वार बन जाता है। जैसे–

अहम्+कार = अ+ह+म+क+आ+र = अ+ह+न+कार = अहंकार

सम+ लाय = स+म+ल+आ+प = स+न्+लाप = संलाप

(ii) म् के बाद यदि य, र, ल, व, स, श, ह व्यंजन हों तो भ् का अनुस्वार हो जाता है। **जैसे–**

सम+ योग = स+म्+य+ओ+ग = स+ङ्+योग = संयोग

(iii) म् से परे यदि म वर्ण आये तो म् का द्वित्व हो जाता है। **जैसे**–

सम्+मान = स+म्+म+आ+न = स+म्+म्+आन = सम्मान

खण्ड (च): <u>न का ण :</u>

यदि ऋ र तथा ष के बाद न व्यंजन आता है तो उसका ण में परिवर्तन हो जाता है। भले ही बीच में क–वर्ग, प–वर्ग, अनुस्वार य, व, ह आदि में से कोई भी वर्ण क्यों न आ जाए। **जैसे–**

परि+मान = प+र+इ+म+आ+न = ष+दि+माण = परिणाम

विष्+नु = व्+इ+ष्+न+उ = वि+ष्+णु = विष्णु

<u>खण्ड (छ) : स का ष् :</u>

यदि 'स' व्यंजन से पूर्व अ, आ से भिन्न कोई स्वर आ जाता है तो 'स' का परिवर्तन 'ष' में हो जाता है। **जैसे–**

अभि+सेक = अ+भ+इ+स+ए+क = अ+भि+षे+क = अभिषेक

इसके कुछ अपवाद भी हैं–

अनु+सरण = अनुसरण। अनु+स्वार = अनुस्वार

परिभाषा: जब व्यंजन का किसी अन्य व्यंजन या स्वर से मेल होने से उस व्यंजन में जो परिवर्तन होता है, वह व्यंजन सन्धि कहलाता है। **जैसे–**

जगत्+ईश = जगदीश, पंच्+ आब = पंजाब

विसर्ग सन्धि:

शब्द	विच्छेद
यशोगान	यशः+गान
दुर्बल	दुः+बल

उक्त शब्दों में किन–किन वर्गों का मेल हुआ है, इसे स्पष्ट करें–यथा

1) शः+अ = ओ = विसर्ग + स्वर

2) दुः+ब = र = विसर्ग+ व्यंजन

ये विसर्ग सन्धि के उदाहरण हैं। विसर्ग सन्धि का आशय है किसी विसर्ग (:) का स्वर अथवा व्यंजन से मिलना। इस मिलन में ध्वनि तथा वर्णों में विकार या परिवर्तन हो जाता है। इसे विसर्ग सन्धि के नाम से जाना जाता है।

विसर्ग का किसी स्वर अथवा व्यंजन से मिलने पर जो परिवर्तन होता है, उसके कुछ निश्चित नियम हैं। आइये इन्हें जानें:

1) विसर्ग का 'ओ' में परिवर्तन–

यदि विसर्ग के पहले 'अ' हो अथवा बाद में 'अ' या किसी वर्ग का तीसरा, चौथा अथवा पाँचवा वर्ण तथा य र ल व हो तो विसर्ग का रूपान्तरण 'ओ' में हो जाता है। जैसे–

मनः+ रथ = मनोरथ

मनः+रंजन = मनोरंजन

यशः + गान = यशोगान, मनः+विकार = मनोविकार

2) विसर्ग का 'र' में परिवर्तनः

यदि विसर्ग से पहले अ/आ से भिन्न कोई स्वर आए औरव विसर्ग के बाद किसी स्वर, किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पाँचवा वर्ण या य, र, ल, व, ह में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का 'र' में परिवर्तन हो जाता है। **जैसे–**

दुः+उपयोग = दुरुपयोग निः+आशा = निराशा

निः+मय निर्भय निः+धन = निर्धन

3) विसर्ग का 'श', 'ष' तथा 'स' में परिवर्तनः

यदि विसर्ग के बाद 'च/छ' व्यंजन हो तो विसर्ग का 'श', 'ट/ठ' व्यंजन हो तो 'ष' तथा 'त, थ' व्यंजन हो तो 'स' हो जाता है। जैसे–

निः+चल = निश्चल हरिः चन्द्र = हरिश्चन्द्र

नमः+ते = नमस्ते धनुः+टंकार = धनुष्टंकार

निः+ठुर = निष्ठुर निःछल = निश्छल

4) विसर्ग का लोप होना तथा पूर्व स्वर का दीर्घ हो जाना :

1) यदि विसर्ग के पूर्व अ/आ हो और बाद में कोई भिन्न स्वर आए तो विसर्ग का लोप हो जाता है। **जैसे–**

अतः+एव = अतएव यशःस्वी =यशस्वी

2) यदि विसर्ग के आगे 'र' व्यंजन हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है और उसके पहले का ह्रस्व स्वर दीर्घ हो जाता है। **जैसे–**

निः+ रोग = नीरोग निः+रज = नीरज निः+रस = नीरस

हिन्दी की सन्धियाँ

हिन्दी के अपने तद्भव तथा आगत दोनों ही प्रकार के शब्दों पर संस्कृत के सन्धि नियम लागू नहीं होते। हिन्दी में अपने कुछ सन्धि नियम विकसित हुए हैं, जो इस प्रकार हैं–

1) महाप्राणीकरण तथा अल्पप्राणीकरणः

यदि किसी शब्द के अन्त मतें अल्पप्राण ध्वनि हो औरव उसके आगे 'ह' ध्वनि आ रही हो तो अल्पप्राण ध्वनि महाप्राण हो जाती है। **जैसे**–

सब+ही=सभी, अब+ही=अभी, तब+भी=तभी, इन+ही= इन्हीं

2) अनेक शब्दों में शब्दान्त में आने वली महाप्राण ध्वनि उच्चारण में अल्पप्राणी हो जाती हैं।

जैसे–

पढ़=पड़, कभी=कबी, दूध=दूद, छठा= छटा

3) लोप (क) कभी–कभी कुछ शब्दों में सन्धि होने पर किसी एक ध्वनि का लोप हो जाता है। जैसे–ही में 'ह' व्यंजन का लोप–

यह+ही=यही, किस+ही=किसी, वह+ही=वही, उस+ही+=उसी

(ख) कभी–कभी यह लोप दोनों शब्दों की ध्वनियों में भी हो सकता है। जैसे– कहाँ+ही कहीं, यहाँ+ही=यहीं, वहाँ+ही=वहीं

यहाँ पहले शब्द से 'आ' स्वर का लोप तथा दूसरे से 'ह' व्यंजन का लोप हो रहा है तथा पहले स्वर की अनुनासिकता दूसरे स्वर पर पहुँच जाती हैः

(क्+अ+अ्+आँ) + (ह्+ई) = (क्+अ+ह+ई = कहीं)

4) आगम– हिन्दी में प्रायः एक साथ दो स्वर उच्चरित नहीं होते।

यदि किसी शब्द में दो स्वर एक साथ आ जाते हैं, तो दोनों के बीच एक व्यंजन 'य' का आगम हो जाता है। जैसे–

ला+आ=लाया, कवि+ओ=कवियों, पी+आ=पिया, लड़की+ओं=लड़कि़यों

5) ह्रस्वीकरण– समस्त पदों में पहले पद का दीर्घ स्वर अधिकतर शब्दों में ह्रस्व हो जाता है।

जैसे–

हाथ+कड़ी=हथकड़ी, बच्चा+पन=बचपन, बहू+एँ=बहुएँ

लड़का+पन लड़कपन, काठ+पुतली=कठपुतली, डाकू+ओ=डाकुओं, हिन्दू+ओं=हिन्दुओं, दवाई+याँ=दवाइयाँ

6) स्वरों में परिवर्तन– समस्त पदों में भी प्रायः स्वरों में परिवर्तन हो जाता है। **जैसे–**

घोड़ा+सवार=घुड़सवार, छोटा+भैया=छुटभैया, मोटा+पा=मुटापा

पनी+घाट = पनघट, लोटा+इया = लुटिया

<u>ध्यान देने योग्य बातें</u>:

1) जब दो ध्वनियाँ अथवा वर्ण मिलते हैं, तो उसमें जो विकार आता है, वह सन्धि कहलता है।
2) सन्धि के तीन भेद हैं–स्वर सन्धि, व्यंजन सन्धि, विसर्ग सन्धि।
3) जब दो स्वरों में मेल होने के कारण विकार आता है, तब स्वर सन्धि होती है।
4) स्वर सन्धि के पाँच भेद हैं–दीर्घ सन्धि वृद्धि सन्धि, गुण सन्धि, यण सन्धि, अयादि सन्धि।
5) जब व्यंजन का किसी अन्य व्यंजन अथवा स्वर से मेल होता है तो जो विकार उत्पन्न होता है, उसे व्यंजन सन्धि कहते हैं।

6) जब विसर्ग का किसी अन्य व्यंजन अथवा स्वर से मेल होता है तो जो विकार उत्पन्न होता है, वह विसर्ग सन्धि कहलाता है।

7) हिन्दी में भी कुछ विशिष्ट ध्वनियों में सन्धि होती है।

मूल्यांकनः

(1) प्रशिक्षक/ शिक्षक सन्धि के अन्तर्गत सिखाए गये नियमों के कुछ उदाहरणों वाली पर्चियाँ तैयार कर लें तथा उन्हें एक–एक डिब्बे में रख लें।
एक–एक प्रतिभागी को बुलाकर एक–एक चिट (पर्ची) निकलवा कर पढ़वाएँ। तदुपरान्त उक्त शब्द का सन्धि विच्छेद कर श्याम पट पर लिखवाते जाएँ।

(2) सन्धि के कितने भेद होते हैं?

(3) निम्नलिखित शब्दों का सन्धि विच्छेद कीजिए–
परीक्षार्थी, सतीश, नरेन्द्र, सुरेश, राजेन्द्र, गणेश, महर्षि, उपर्युक्त, नयन, अन्वेषण, भानूदय, एकैक।

निर्दिष्ट कार्यः

निम्नलिखित शब्दों की सन्धि कीजिए–
महा+आशय, परम+ईश्वर, सूर्य+उदय, नौ+इक, न्याय+आलय, देव+इन्द्र, यदि+अपि, कुलधु+उत्तर, सदा+एव, तथा+एव, इति+आदि।

लोकोक्ति एवं मुहावरे

उद्देश्य :

1– भाषा को प्रभावशाली, मनमोहक तथा प्रवाहमयी बनाना।
2– विचारों की अभिव्यक्ति में विशेष सहायक बनाना।
3– मुहावरों का मानव–जीवन में उपयोग समझाना।
4– लोकोक्ति और मुहावरों में वास्तविक स्वरूप से परिचय कराना।
5– भाषा को सरलता तथा सरसता प्रदान करना।

सहायक सामग्री– कार्ड शीट एवं चार्ट द्वारा मुहावरे एवं लोकोक्तियों का प्रदर्शन।

चर्चा के बिन्दुः

1– मुहावरे का आशय
2– लोकोक्ति का आशय
3– मुहावरे और लोकोक्ति में अन्तर
4– महत्वपूर्ण मुहावरों एवं लोकोक्तियों का वाक्यों में प्रयोग

विषयवस्तु का प्रस्तुतीकरण

प्रस्तावना :

मुहावरे हमारी तीव्र हृदयानुभूति को अभिव्यक्त करने में सहायक होते हैं। इनका जन्म आम लोगों के बीच होता है। लोक–जीवन में प्रयुक्त भाषा में इनका उपयोग बड़े ही सहज रूप में होता है। इनके प्रयोग से भाषा को प्रभावशाली, मनमोहक तथा प्रवाहमयी बनाने में सहायता मिलती है। सदियों से इनका प्रयोग होता आया है और आज इनके अस्तित्व को भाषा से अलग नहीं किया जा सकता। यह कहना निश्चित रूप से गलत नहीं होगा कि मुहावरों के बिना भाषा अप्राकृतिक तथा निर्जीव जान पड़ती है। इनका प्रयोग आज हमारी भाषा और विचारों की अभिव्यक्ति का एक अभिन्न तथा महत्वपूर्ण अंग बन गया है। यही नहीं इन्होंने हमारी भाषा को गहराई दी है तथा उसमें सरलता तथा सरसता भी उत्पन्न की है। यह मात्र सुशिक्षित या विद्वान लोगों की ही धरोहर नहीं है, इसका प्रयोग अशिक्षित तथा अनपढ़ लोगों ने भी किया है। इस प्रकार ये वैज्ञानिक युग की देन नहीं है। इनका प्रयोग तो उस समय से होने लगा, जिस समय मनुष्य ने अपने भावों को अभिव्यक्ति देने का प्रयास किया था।

गतिविधि :

एक शीट पर छात्रों के समक्ष गद्यांश लिखकर उसमें आए हुए लोकोक्ति, मुहावरों का चयन कराना।

गद्यांश :

बूढ़ी काकी के पतिदेव को स्वर्ग सिधरे कालान्तर हो चुका था। बेटे तरुण हो–होकर चल बसे थे। अब एक भतीजे के सिवा और कोई न था। उसी भतीजे के नाम उन्होंने अपनी सारी सम्पत्ति लिख दी थी। भतीजे ने सम्पत्ति लिखाते समय तो खूब लम्बे–चौड़े वादे किये, परन्तु वे सब वादे केवल कुली डिपो के दलालों के दिखाए सब्जबाग थे। यद्यपि उस सम्पत्ति की वार्षिक आय डेढ़–दो सौ रुपये से कम न थी, तथापि बूढ़ी काकी को पेट भर भोजन भी कठिनता से मिलता था। ...बुद्धिराम स्वभाव से सज्जन था, किन्तु उसी समय तक जब तक कि उनके कोष पर कोई आँच न आये।

प्रश्नोत्तर विधि :

1) *गद्यांश में आए हुए मुहावरों का चयन कीजिए?*

2) *मुहावरों और लोकोक्तियों की क्या उपयोगिता है?*

उद्देश्य कथन : आइए, आज हम लोकोक्तियों और मुहावरों का अध्ययन करें।

व्याख्यान विधि–स्पष्टीकरण :

मुहावरा शब्द हिन्दी भाषा में अरबी भाषा की देन है। इसका शाब्दिक अर्थ है– *अभ्यास* या *बातीचत*। ऐसा शब्द, वाक्यांश, वाक्य जो सामान्य से भिन्न किसी विलक्षण अर्थ की प्रतीति कराए और सामान्य अर्थ से भिन्न किसी और अर्थ में रूढ़ हो जाए, उसे 'मुहावरा' कहते हैं। जैसे– 'मन मारना' में 'मारना' का अर्थ साधारण नहीं है। भला मन को कैसे मारा जाएगा। 'मारना' का यहाँ लाक्षणिक अर्थ 'संयत करना' है। 'मार खाना' में 'खाना' का अर्थ साधारण नहीं है, इसका लाक्षणिक

अर्थ है–'पिट जाना'। उसी तरह 'गुस्सा पी जाना', गुस्सा कोई पेय पदार्थ नहीं है, जिसे पिया जा सके। इसका लाक्षणिक अर्थ है–गुस्से को सहन कर लेना।

इसी तरह नाक के सम्बन्ध में अनेक प्रकार के मुहावरे प्रचलित हैं, जैसे–नाक–भौं सिकोड़ना, नाक वाले होना, नाको चने चबाना, नाक में दम करना, नाक रखना, नाक ऊँची उठना, नाक नीची करना, नाक चढ़ना। ज़रा सोचिए, नाक से कोई चना चबाता है, नाक में दम भरता है और नाक कभी ऊँची–नीची होती है? वह तो स्थायी रूप से जहाँ हैं, वहीं रहती है। इन मुहावरों के लाक्षणिक अर्थ होते हैं।

ये एक प्रकार का वाक्यांश है, जिसके लिए दो या दो से अधिक शब्दों का होना आवश्यक होता है। उन दो शब्दों में प्रायः एक विशेषण और एक संज्ञा या एक संज्ञा और एक क्रिया होती है।

लोकोक्ति :

मुहावरों की तरह ही लोकोक्ति भी मानव जाति के अनुभवों की सुन्दर अभिव्यक्ति है। ये मानव स्वभाव और व्यवहार कौशल के सिक्के के रूप में प्रचलित होती है और वर्तमान पीढ़ी को पूर्वजों से उत्तराधिकार के रूप में प्राप्त होती है। इनका प्रयोग सर्वत्र होता है। यह कम आश्चर्य की बात नहीं कि शहरों की अपेक्षा गाँव में रहने वाले लोगों के बीच इनका प्रयोग प्रचुर मात्रा में होता है।

लोक साहित्य में कहावतों का अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान है। इनका सम्बन्ध किसी व्यक्ति विशेष से नहीं होता अथवा ये किसी व्यक्ति विशेष की संपत्ति नहीं है। कहावत लोक से सम्बन्धित हैं इसलिए इसका नाम लोकोक्ति भी है। यह लोक की सम्पत्ति है।

किसी कामचोर पेटू लड़के के बारे में प्रश्नोत्तर रूप में प्रचलित यह **कहावत देखिए** :

''नाम क्या है?'
''शक्करपारा।''
''रोटी कितनी खाए?''
''दस–बारह।''
''पानी कितना पीए?''
''मटका सारा।''
''काम करने को?''
''मैं लड़का बेचारा।''

कामचोर लोगों के लिए कैसा मज़ेदार व्यंग्य भरा है इस कहावत में। इस प्रकार कहावत अपने में स्वतन्त्र अस्तित्व रखने वाली, सारगर्भित, संक्षिप्त एवं चटपटी उक्ति है, जिसका प्रयोग किसी को शिक्षा व चेतावनी देना या उपालंभ व व्यंग्य कसने के लिए होता है।

स्पष्टीकरण (चयन विधि) :

एक चार्ट तैयार करके प्रदर्शित किया जाए, जिसमें लोकोक्ति और मुहावरे एकसाथ दिये गये हों। आकार और अर्थ के आधार पर चयन किया जाए।

चार्ट

क्रमांक	मुहावरे और लोकोक्तियाँ	मुहावरा / लोकोक्ति
1.	गोबर गणेश होना	मुहावरा
2.	नमक हलाल होना	मुहावरा
3.	एक अनार सौ बीमार	लोकोक्ति
4.	काला अक्षर भैंस बराबर	लोकोक्ति
5.	नींव का पत्थर होना	मुहावरा
6.	हक्का–बक्का रह जाना	मुहावरा
7.	अन्धों में काना राजा	लोकोक्ति
8.	चिराग तले अँधेरा	लोकोक्ति
9.	सूरज पर थूकना	मुहावरा
10.	सोने में सुहाग होना	मुहावरा
11.	पर उपदेश कुशल बहुतेरे	लोकोक्ति
12.	दूध का दूध पानी का पानी	लोकोक्ति
13.	आकाश पाताल एक करना	मुहावरा
14.	जिसकी लाठी उसकी भैंस	लोकोक्ति

नियमीकरण (अन्तर स्पष्ट करना) :

मुहावरे की तरह लोकोक्ति भी लोक से उत्पन्न लोक की सम्पत्ति है। लोकोक्ति और मुहावरे में सबसे बड़ा अन्तर यह है –

1) मुहावरे वाक्यांश हैं, तो कहावतें (लोकोक्ति) सम्पूर्ण वाक्य।
2) मुहावरों का प्रयोग स्वतन्त्र रूप से नहीं किया जा सकता। इसके विपरीत कहावतों का प्रयोग स्वतन्त्र रूप में होता है।
3) मुहावरे का प्रयोग भाषा को बल देने के लिए होता है, तो कहावतों का प्रयोग किसी घटना विशेष पर किया जाता है।
4) मुहावरे के प्रयोग के फलस्वरूप भाषा समृद्ध होती है, तो कहावतों के प्रयोग से फल प्राप्त होने की आशा की जाती है।

मुहावरे और लोकोक्ति में कोई साम्य है तो इतना कि दोनों की उत्पत्ति लोक से होती है। दोनों हमारी लोक–संस्कृति के परिचायक हैं। दोनों का प्रयोग भाषा में सजीवता और सरसता लाने के लिए होता है। दोनों के अर्थ सामान्य से भिन्न और लाक्षणिक होते हैं।

मूल्यांकन (प्रश्नोत्तर विधि) :

1) मुहावरे और लोकोक्ति का अन्तर स्पष्ट कीजिए?

2) मुहावरे और लोकोक्ति की भाषा में उपयोगिता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए?

3) निम्नलिखित वाक्योंय को उपयुक्त कहावतों व मुहावरों से पूरा कीजिए :

(i) काम क्या कर रहे हो, सिर.हो।
(ii) आज अंजलि, श्वेता से लड़ पड़ी। झूठ है, एक।
(iii) उसे देखते ही मेरे सिर है।
(iv) उसकी व्यथा सुनकर कलेजा है।
(v) खुशामद करने से काम नहीं चलेगा, घी ।
(vi) वह ऐसा दुम कि फिर दिखाई ही नहीं पड़ा।
(vii) विभीषण राम से आ मिला। लंकेश्वर का नाश ही हो गया। सच है।

निर्दिष्ट कार्य :

लोक प्रचलित लोकोक्तियों और मुहावरों की सूची बनाकर लाइए और उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची :

1) मुहावरा एवं लोकोक्ति कोश, डॉ. हरदेव बाहरी एवं श्यामलाकान्त वर्मा
2) लोकोक्तियाँ एवं मुहावरे, डॉ. हरिवल्लभ शुक्ल
3) व्याकरण दर्शिका, सरस्वती हाउस प्रा.लि.
4) आधुनिक हिन्दी व्याकरण और रचना, डॉ. वासुदेवनन्दन प्रसाद

पाठ योजना

दिनांक	**–**		**कक्षा**	**– 11 वीं**
विषय	**–**	**हिन्दी सामान्य**	**चक्र**	**–**
उपविषय	**–**	**व्याकरण**	**समयावधि**	**– 45 मिनिट**
स्थान	**–**	**विद्यालय**	**औसत आयु**	**– 16 वर्ष**

सामान्य उद्देश्य	1. छात्रों में शुद्ध हिन्दी बोलने, पढ़ने एवं लिखने की क्षमता उत्पन्न करना। 2. छात्रों को शब्द–रचना तथा वाक्य–रचना सम्बन्धी नियमों से परिचित कराना। 3. छात्रों को व्याकरण के नियमों का ज्ञान कराना तथा व्याकरण के प्रति उनकी रुचि उत्पन्न करना। 4. छात्रों को भाषा में शुद्धता एवं औचित्य के पालन करने में समर्थ बनाना। 5. छात्रों में तर्क एवं चिन्तन–शक्ति का विकास कर मानसिक अनुशासन की सृष्टि करना।
विशिष्ट उद्देश्य	1. छात्रों को भाषा में प्रयुक्त प्रमुख विराम–चिह्नों से परिचित कराना। 2. छात्रों को विराम–चिह्नों के प्रयोग में कुशल एवं सक्षम बनाना।
सहायक सामग्री	– स्लेट, श्यामपट, चॉक, डस्टर तथा अन्य कक्षोपयोगी सामग्री।
पूर्वज्ञान	– छात्र–छात्राएँ साधरण विराम–चिह्नों के प्रयोग करने का सामान्य ज्ञान रखती हैं।
प्रस्तावना	
प्रश्न	**वाक्य नं. 1**– राम ने कहा–''हनुमान तुम लंका गये थे, तब तुमने बड़ी वीरता दिखलाई।'' **वाक्य नं. 2**– रोको, मत जाने दो। रोको मत, जाने दो। **संकेत नं. 1**– उपर्युक्त उदाहरणों को पहले बिना विराम चिह्नों का प्रयोग किये बिना पढ़ा जायेगा। **संकेत नं. 2**– दूसरी बार पुनः विराम चिह्न सहित पढ़ा जायेगा।
उद्देश्य कथन **प्रस्तुतीकरण**	**प्रश्न नं. 1–** प्रथम वाक्य में विराम चिह्न लगाकर पढ़ने पर उसके भाव में क्या अन्तर आ गया है? **प्रश्न नं. 2**– द्वितीय वाक्य में 'रोको' के बाद विराम चिह्न लगाने पर उसके भाव में क्या अन्तर आ गया है? **प्रश्न नं. 3**– द्वितीय वाक्य में 'रोको मत' के बाद विराम चिह्न लगाने पर उसके मूल भाव में क्या अन्तर आ गया है।

	– आज हम भाषा में प्रयोग किये जाने वाले विभिन्न प्रकार के विराम चिह्नों तथा उनको प्रयोग करने का ज्ञान प्राप्त करेंगे। – प्रथम (अन्य विराम चिह्न) अन्विति।

शिक्षण बिन्दु	उदाहरण	विराम चिह्न	प्रश्न
पूर्ण विराम	1. राम आ गया है।	1. पूर्ण विराम	**1.**प्रथम वाक्य में किस प्रकार का भाव है?
	2. काला घोड़ा अच्छा होता है।	2. पूर्ण विराम	**2.**यह किस प्रकार का वाक्य है?
	3. सूरज पूरब दिशा से आता है।	3. पूर्ण विराम	**3.**इन वाक्यों का भावपूर्ण हुआ, यह कैसे जाना जा सकता है।
	4. मैं कभी झूठ नहीं बोलता।	4. पूर्ण विराम	
	5. राष्ट्रीय पक्षी मोर है।	5. पूर्ण विराम	
प्रश्नवाचक चिह्न	1. क्या राम आ गया है?	1. प्रश्नवाचक विराम चिह्न	1. 'राम आ गया है' इस वाक्य में क्या शब्द लगाने से उसके भाव से उसके भाव में क्या अन्तर आ गया है?
	2. क्या सूरज पूरब से उगता है?	2. प्रश्नवाचक विराम चिह्न	
	3. ताजमहल कहाँ पर स्थित है?	3. प्रश्नवाचक विरामचिह्न	2. 'ताजमहल कहाँ पर स्थित है' इस वाक्य में 'कहाँ शब्द से किस भाव की अभिव्यक्ति होती है?
	4. किस रंग का घोड़ा अच्छा होता है?	4. प्रश्नवाचक विराम चिह्न	3. 'क्या', 'कहाँ', 'किस' तथा 'कौन' शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करने पर उनके मूलभाव में क्या अन्तर आ गया है?
	5. वहाँ पर कौन है?	5. प्रश्नवाचक विराम चिह्न	

प्रदर्शन– प्लेट, श्याम–पट पर लिखे हुए उदाहरणों का छात्रों के समक्ष प्रदर्शन :

अन्त्य विराम चिह्न

↓

———————————————————

↓ (।) ↓ (?) ↓ (!)

पूर्ण विराम प्रश्नवाचक चिह्न विस्मयादिबोधक चिह्न

श्यामपट कार्य

उदाहरण संख्या	विराम चिह्न	विराम चिह्न का नाम
1.	1. ।	1. पूर्ण विराम चिह्न
2.	2. ।	2. पूर्ण विराम चिह्न
3.	3. ।	3. पूर्ण विराम चिह्न
4.	4. ।	4. पूर्ण विराम चिह्न
5.	5. ।	5. पूर्ण विराम चिह्न

श्याम–पट कार्य

उदाहरण संख्या	विराम चिह्न	विराम चिह्न का नाम
1.	1. ?	1. प्रश्नवाचक चिह्न
2.	2. ?	2. प्रश्नवाचक चिह्न
3.	3. ?	3. प्रश्नवाचक चिह्न
4.	4. ?	4. प्रश्नवाचक चिह्न
5.	5. ?	5. प्रश्नवाचक चिह्न

शिक्षण बिन्दु	उदाहरण	विराम चिह्न	प्रश्न
विस्मयादिबोधक चिह्न	1. शाबाश! तुमने मैदान मार लिया	1. विस्मयादिबोधक चिह्न	1. 'शाबाश' शब्द को वाक्य में लगाने से किस भाव की अभिव्यक्ति होती है?
	2. ओह! कितनी भयानक दुर्घटना है।	2. विस्मयादिबोधक चिह्न!	2. 'ओह', 'आह' तथा 'वाह' शब्दों को वाक्यों में प्रयोग करने से उनके भाव में क्या अन्तर आ गया है।
	3. अहा! कितना सुन्दर प्रभात है!	3. विस्मयादिबोधक चिह्न	
	4. वाह! तुम्हारी बात के क्या कहने!	4. विस्मयादिबोधक चिह्न	3. अन्तिम वाक्य में 'हाय', 'हाय' शब्द किस भाव की अभिव्यक्ति करा रहा है?
	5. हाय! हाय! बच्चा गाड़ी से कुचल गया	5. विस्मयादिबोधक चिह्न	

प्रदर्शन : लपेट श्यामपट पर लिखे हुए उदाहरणों का प्रदर्शन छात्रों के समक्ष किया जायेगा।

उदाहरण संख्या	विराम चिह्न	विराम चिह्न का नाम
1.	!	विस्मयादिबोधक चिह्न
2.	!	''

3.	!	''
4.	!	''
5.	!	''

साधरणीकरण प्रश्न	**प्रश्न नं. 1**– जब वाक्य पूर्ण हो जाता है, तब किस प्रकार के विराम चिह्न का प्रयोग किया जाता है? **प्रश्न नं. 2**– भाषा में वाक्य पूर्ण होने की अभिव्यक्ति किस विराम चिह्न के द्वारा करायी जाती है? **प्रश्न नं. 3**– उपर्युक्त वाक्यों में पूर्ण विराम का चिह्न कितने प्रकारों में आया है? **प्रश्न नं. 4**– जब प्रश्न पूछा जाता है, तब किस प्रकार के विराम चिह्न का प्रयोग किया जाता है। **प्रश्न नं. 5**– प्रश्न पूछने के लिए किन–किन विराम चिह्नों का प्रयोग किया जाता है? **प्रश्न नं.6**– प्रश्नवाचक वाक्यों के अन्त में किस विराम चिह्न का प्रयोग किया जाता है?

द्वितीय अन्विति– मध्य विराम चिह्न

शिक्षण बिन्दु	उदाहरण	विराम चिह्न	प्रश्न
अल्प विराम	1. राम,लक्ष्मण और सीता वन को गये।	1.अल्प विराम,	**प्र.1**– प्रथम वाक्य में विराम चिह्न के प्रयोग से उसके भाव में क्या अन्तर आ गया है?
	2. राम, इधर तो आना ज़रा।	2.अल्प विराम,	**प्र.2**– 'राम ने कहा'के बाद विराम चिह्न लगाने से किस भाव की अभिव्यक्ति होती है?
	3. राम ने कहा, ''मैं आज विद्यालय नहीं जाऊँगा।''	3.अल्प विराम,	**प्र.3**– इन सभी वाक्यों में विराम चिह्नों के प्रयोग से इनके भाव में क्या परिवर्तन आ गया है?
	4. इस वर्ष समय पर वर्षा होती रही, इसलिए फसल अच्छी है।	4.अल्प विराम,	
	5. जब चोर घर में घुसा, तब मैं जाग रहा था।	5.अल्प विराम,	

प्रदर्शनः लपेट श्याम–पट पर लिखे हुए उदाहरणों का कक्षा में प्रदर्शन छात्राध्यापिका द्वारा किया जायेगा।

शिक्षण बिन्दु	उदाहरण	विराम चिह्न	प्रश्न
निर्देश चिह्न	1. ये पाँच साँप अधिक विषधर होते हैं–शेषनाग, फनियर, कौड़िया,कबीइया	1.निर्देश चिह्न –	**प्र.1** कौन–से साँप भयंकर होते हैं।

	और करैवा। 2. गौतम बुद्ध ने चार आर्य सत्य का प्रतिपादन किया। 3.एक गुरुकुल था– प्राचीन और प्रख्यात	2.निर्देश चिह्न – 3.निर्देश चिह्न –	**प्र.2** गौतम बुद्ध ने किन चार सत्यों का प्रतिपादन किया है? **प्र.3** इन वाक्यों में विराम चिह्न का प्रयोग किस भाव की अभिव्यक्ति के लिए किया गया है?
	प्रश्न नं.7– किसी बात को प्रभावशाली ढंग से कहने के लिए विराम चिह्न का प्रयोग किया जाता है। **प्रश्न नं.8–** विस्मयादि–बोधक चिह्न का प्रयोग किस प्रकार के वाक्यों में किया जाता है? **प्रश्न नं.9**– विस्मयादि–बोधक किन शब्दों का प्रयोग उपर्युक्त उदाहरणों में किया गया है? **प्रश्न नं.10**– वाक्यों के अन्त में किन विराम चिह्नों का प्रयोग किया जाता है?		

छात्राध्यापिका कथन– वाक्यों के अन्त में अन्त्य विराम चिह्नों का प्रयोग किया जाता है। चिह्नों के अन्तर्गत पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक चिह्न तथा विस्मयादि– बोधक चिह्नों का प्रयोग किया जाता है।

परिभाषा– जो विराम चिह्न वाक्यों के अन्त में लगाये जाते हैं, उन्हें अन्त्य विराम चिह्न कहते हैं। अन्त्य विराम चिह्न तीन प्रकार के होते हैं–**1.** पूर्ण विराम **2.** प्रश्नवाचक तथा **3.** विस्मयादि बोधक चिह्न। इन चिह्नों का प्रयोग वाक्यों के भाव के अनुसार किया जाता है।

मध्य विराम चिह्न

श्यामपट कार्य

उदाहरण संख्या	विराम चिह्न	विराम चिह्न का नाम
1 2 3 4 5	, , , , ,	अल्प विराम ,, ,, ,, ,,
4. लड़का धीरे–धीरे पढ़ता है। 5. बहुत से छोटे–छोटे लड़के खेल रहे हैं।	4. निर्देश चिह्न — 5. निर्देश चिह्न —	प्र.4 इन वाक्यों में विराम चिह्न के प्रयोग से उनके भाव में क्या अन्तर दृष्टि– गोचर होता है।

निर्देश चिह्न
श्याम–पट कार्य

1.	—	निर्देश चिह्न
2.	—	''
3.	—	''
4.	—	''
5.	—	''

शिक्षण बिन्दु	उदाहरण	विराम चिह्न	प्रश्न
उद्धहरण चिह्न	1. 'रामायण' हिन्दुओं की पवित्र पुस्तक हैं।	1. इकहरा उद्धरण चिह्न '.....'	प्र.1. हिन्दुओं की पवित्र पुस्तक कौन–सी है?
	2. 'चर्च' ईसाइयों का पवित्र पूजा स्थल है।	2. इकहरा उद्धरण चिह्न '.....'	प्र.2. श्रीकृष्ण ने गीता में क्या कहा था?
	3. बापू ने कहा था– 'अहिंसा परमोधर्म'	3. दुहरा उद्धरण चिन्ह '.....'	प्र.3. इन वाक्यों में विराम चिह्न के प्रयोग करने से उनके भाव में क्या अन्तर आ गया है।
	4. श्रीकृष्ण ने गीता में कहा है कि 'कर्म ही जीवन है।''	4. दुहरा उद्धरण चिह्न '.....'	''कर्म ही जीवन है'' इस वाक्य के ऊपर विराम चिह्नों के ऊपर विराम चिह्नों के प्रयोग से किस भाव की अभिव्यक्ति होती है?
	5. 'समास' शब्द का अर्थ 'संक्षेप में' होता है।	5. इकहरा उद्धरण चिह्न '.....'	

उद्धरण चिह्न
श्याम–पट कार्य

उदाहरण संख्या	विराम चिह्न	विराम चिह्न का नाम
1.	'.....'	उद्धरण चिह्न
2.	'.....'	''
3.	''.....''	''
4.	''.....''	''
5.	'.....'	''
		''

साधारणीकरण प्रश्न

प्रश्न–1. एक ही शब्द भेद के दो से अधिक शब्दों का प्रयोग करने पर किस विराम चिह्न का प्रयोग किया जाता है?

प्रश्न–2. सम्बोधन के बाद किस विराम चिह्न का प्रयोग उपर्युक्त उदाहरण में किया गया है?

प्रश्न–3. प्रत्यक्ष कथन से पहले किस विराम चिह्न का प्रयोग किया जाता है?

प्रश्न–4. उपर्युक्त प्रथम पाँच उदाहरणों में प्रयुक्त विराम चिह्नों को क्या कहते हैं?

प्रश्न–5. किसी प्रकार की सूची बनाने में किस विराम चिह्न का प्रयोग किया जाता है।

प्रश्न–6. काव्य के किसी अंश पर बल देने के लिए , पदों व पदबन्धों को अलग करने के लिए किस प्रकार का विराम चिह्न प्रयोग में लाया जाता है?

प्रश्न–7. इन वाक्यों में प्रयुक्त विराम चिह्न को क्या कहते हैं?

प्रश्न–8. 'पुस्तक', 'कवि का उपनाम', पाठ के शीर्षक तथा 'अन्य' किसी शब्द के प्रति ध्यान आकर्षित करने के लिए किस विराम चिह्न का प्रयोग किया जाता है?

प्रश्न–9. किसी के द्वारा कही हुई बात को ज्यों का त्यों कहने या लिखने के लिए किस प्रकार के विराम चिह्न का प्रयोग किया जाता है?

प्रश्न–10. इस प्रकार के विराम चिह्न को क्या कहते हैं?

प्रश्न–11. यह विराम चिह्न कितने प्रकार का होता है?

प्रश्न–12. इन सभी विराम चिह्नों को किस नाम से पुकारते हैं?

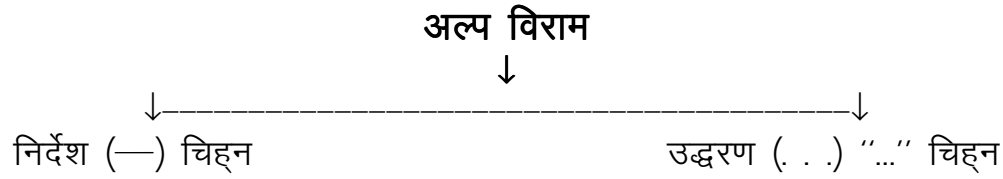
छात्राध्यापिका कथन

इन सभी विराम चिह्नों को मध्य विराम चिह्नों के नाम से पुकारते हैं। मध्य विराम चिह्न, अल्प विराम, उद्धरण चिह्न तथा निर्देश–चिह्न के रूप में प्रयुक्त किये जाते हैं।

मध्य विराम चिह्नों की परिभाषा हम इस प्रकार कर सकते हैं–

परिभाषा :

बड़े–बड़े वाक्यों के पदों, पदबन्धों और उपवाक्यों को अलग करने के लिए तथा उन वाक्यों में विराम का संकेत करने वाले विराम चिह्नों को मध्य विराम चिह्न कहते हैं। इन चिह्नों का प्रयोग वाक्यों के मध्य में किया जाता है।



मध्य विराम चिह्न

बड़े–बड़े वाक्यों के पदों, पदबन्धों और उपवाक्यों को अलग करने के लिए तथा उन वाक्यों में विराम करने का संकेत करने के लिए जिन विराम चिह्नों का प्रयोग किया जाता है, उन्हें मध्य विराम चिह्न कहते हैं। इन चिह्नों का प्रयोग वाक्यों के मध्य में किया जाता है।

अभ्यास वर्ग :

निम्नलिखित वाक्यों में उपयुक्त तथा उचित स्थान पर विराम चिह्नों का प्रयोग कीजिए?

– श्यामपट पर लिखे हुए कुछ वाक्यों के द्वारा बच्चों को विराम चिह्नों का प्रयोग करने का अभ्यास कराया जायेगा।

वाक्य नं.

1– अपना बेटा सबको प्यारा होता है।

2– विपत्ति से सभी घबराते हैं।

3– हे भगवान! रक्षा करो।

4– अरे! यह क्या है?

5– तुम्हें क्या चाहिए?

6– तुम कौन हो और कहाँ से आये हो?

7– लंका के राजा क्रूर, अत्याचारी, पतित रावण का विनाश होकर ही रहा।

8– पिताजी कहते हैं– ''जब तक जिओ शान से जिओ।''

9– अच्छा, अब तुम जा सकते हो।

10– जोर–जोर से छाती पीटती, रोती–कलपती, लम्बी–लम्बी श्वाँसे छोड़ती गोपियाँ उद्धव के पास पहुँची।

11– रामधारी सिंह 'दिनकर' हिन्दी के प्रसिद्ध कवि हैं।

12– लोकमान्य बालगंगाधर तिलक ने कहा था–
''स्वतन्त्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है।''

<u>पुनरावृत्ति :</u>

उदाहरण : राम ने कहा– ''हनुमान क्या तुम लंका गये थे? वहाँ तुमने तो बड़ी वीरता दिखलाई।'' अहा! लंका का दृश्य तो बड़ा ही मनोहर था। हम लोग घूमने निकले और घूमते–घूमते बहुत दूर निकल गये।

उपर्युक्त उदाहरण में छात्रों से उपयुक्त स्थान पर विराम चिह्न लगवाये जायेंगे तथा छात्रों से विभिन्न विराम चिह्नों से सम्बन्धित प्रश्न पूछे जायेंगे।

गृहकार्य :

अपनी पाठ्य–पुस्तक से किसी एक पाठ में प्रयुक्त विराम चिह्नों को छाँटिये तथा उनके प्रयोग करने से सम्बन्धित अभ्यास भी करिये।

———0000———

अपठित गद्यांश / पद्यांश

चर्चा के बिन्दु

- अपठित गद्यांश : एक परिचय।
- अपठित गद्यांश के उद्देश्य।
- अपठित गद्यांश : सामान्य निर्देश।
- शीर्षक चयन एवं प्रश्नोत्तर।
- अपठित गद्यांश शिक्षण।

अपठित गद्यांश : एक परिचय

अपठित का सामान्य–सा अर्थ है, वह पाठ या सन्दर्भ जो छात्र की आँखों के सामने पहले गुजरा हो। वर्तमान समय में छात्र अपनी पाठ्य–पुस्तकों के अलावा समाचार–पत्र, पत्र–पत्रिकाएँ, मनोरंजक एवं ज्ञानवर्धक पुस्तकें भी पढ़ते हैं। इन पुस्तकों को पढ़कर उसमें लिखी बातों को समझना भी आवश्यक है। इसी कारण अपठित गद्यांश का अभ्यास विद्यार्थियों को कराया जाता है, जिससे वे किसी भी पाठ्य–सामग्री में लिखी बातों का अर्थ ग्रहण कर सकें और उसे अपनी भाषा में संक्षेप में लिख सकें।

ऐसे गद्यांशों को समझने में छात्रों को अपनी बुद्धि का प्रयोग करना पड़ता है। यह एक तरह से उसका मानसिक व्यायाम है लेकिन थोड़ी–सी समझ और बुद्धिमत्ता से काम लेने पर गद्यांश को समझना बहुत ही आसान हो जाता है।

अपठित गद्यांश के उद्देश्य

भाषा को माँजना और कम से कम शब्दों में अपनी बात कह देना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। इसके साथ इसके अन्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं :

- अपठित गद्यांश से बच्चों में 'गागर में सागर' भरने की क्षमता का विकास होता है।
- विद्यार्थी की सम्पादन क्षमता का विकास।
- बच्चों के सामान्य ज्ञान की परख।
- मौलिक अभिव्यक्ति की दक्षता का विकास।
- छात्रों की बौद्धिक गहराई, पहुँच और पकड़ की जाँच होती है।
- किसी भी साहित्य के मूलभाव ग्रहण करने की क्षमता का विकास।
- भाषा शैली के विकास में सहायक।

अपठित गद्यांश : सामान्य निर्देश

- अपठित गद्यांश को कम से कम तीन चार–चार बार पढ़ना चाहिए।
- सारांश या भावार्थ मूल का आधा या तिहाई होना चाहिए। किन्तु भाषा सर्वथा मौलिक हो।
- मूलभाव, विचारों तथा शब्दों को रेखांकित करते जाएँ।
- रेखांकित शब्दों अथवा कठिन शब्दों को सरल करके लिखना चाहिए।

शीर्षक चयन प्रश्नोत्तर

- शीर्षक लिखने के लिए गद्यांश के केन्द्रीय भाव पर ध्यान देना चाहिए।

- शीर्षक–संक्षिप्त एवं रोचक होना चाहिए।
- अधिकतर शीर्षक गद्यांश के आरम्भ या अन्त में छुपा रहता है।
- दिये गये प्रश्नों के उत्तर मूल अवतरण में से ही ढूँढ़ना चाहिए।
- प्रश्नों के उत्तर सरल एवं संक्षिप्त हों।
- प्रश्नोत्तर लिखते समय अपनी ओर से बढ़ा–चढ़ाकर लिखना या अतिरिक्त उदाहरण नहीं देना चाहिए।

अपठित गद्यांश शिक्षण

शिक्षण श्याम–पट्ट पर निम्नलिखित गद्यांश लिखें :

''हमारी धरती ने बापू को जन्म दिया। किन्तु इस धरती का यह सौभाग्य न हुआ कि जो महापुरुष देश की पराधीनता की बेड़ियाँ काटे और देश की प्रतिष्ठा को संसार में ऊँचा ले जाए, वह अपने द्वारा प्रतिष्ठापित स्वतन्त्र राष्ट्र में जीवित रहकर विश्वशान्ति और विश्वबन्धुत्व का अपना स्वप्न पूरा कर सके। महात्मा जी को इससे अच्छी मृत्यु और क्या मिल सकती थी कि मानवता की रक्षा करते हुए उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए?''

उपर्युक्त गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए :

- **गाँधी जी ने हमारे लिए क्या किया?**
- **क्या गाँधी जी विश्वशान्ति एवं विश्वबन्धुत्व का सपना पूरा कर सके?**
- **रेखांकित शब्दों के अर्थ लिखें।**

गतिविध :

- **शिक्षक गद्यांश को छात्रों की सहभागिता से दो अथवा तीन बार पढ़ें।**
- **महत्वपूर्ण अंशों को रेखांकित करें अथवा छात्रों से अलग से अभ्यास पुस्तिका में लिखने को कहें।**
- **गद्यांश का शीर्षक छात्रों से पूछें।**
- **रेखांकित शब्दों के अर्थ छात्रों से जानने का प्रयास करें ग़लत बताने पर उन्हें सही अर्थ बताएँ।**
- **अब पूछे गए एक–एक प्रश्नों के उत्तर विद्यार्थियों से गद्यांश में से छाँटने को कहें।**
- **उत्तर छाँटने के पश्चात् उन्हें अपनी भाषा में लिखने का अभ्यास कराएँ।**

इस प्रकार अध्यापक अपठित गद्यांश के अन्य उदाहरण छात्रों को देकर इसका निरन्तर अभ्यास करवाएँ।

पत्र–लेखन

चर्चा के बिन्दु

- पत्र का आशय
- पत्र के प्रकार
- पत्र–शिक्षण

पत्र का आशय

पत्र लेखन दो व्यक्तियों के बीच अपनी भावनाओं, विचारों को आदान– प्रदान करने का एक सशक्त माध्यम है। आज टेलीफोन, इण्टरनेट, ई–मेल आदि के आगमन से हमें ऐसा लग सकता है कि लिखने का ज़माना गया, पर इन माध्यमों से भी लिखे बिना काम नहीं चलता। टेलीफोन पर बात करते समय लेखन की ज़रूरत नहीं होती। परन्तु यदि टेलीफोन उठाने से पहले हम यदि बातचीत के मुद्दों को नोट कर लें तो समय की बचत तो होगी ही, आप बिना भूले अपनी सारी बातें दूसरे व्यक्ति तक पहुँचा सकते हैं। इण्टरनेट, ई–मेल आदि पर तो लिखना ही पड़ता है। वस्तुतः पत्र–लेखन का दौर न तो ख़त्म हुआ है और नहीं कभी ख़त्म होगा। अतः पत्र लिखने के तौर–तरीक़े से छात्रों को अवगत होना आवश्यक है।

पत्र के प्रकार

पत्र दो प्रकार के होते हैं :

1) *औपचारिक–पत्र*
2) *अनौपचारिक–पत्र*

औपचारिक पत्र : इस प्रकार के पत्रों में शामिल होते हैं– आवेदन–पत्र, व्यावसायिक–पत्र, प्रार्थना–पत्र, शिकायत–पत्र आदि। ये पत्र किसी भी अधिकारी, कार्यालय, विद्यालय, महाविद्यालय का लिखे जाते हैं। इन पत्रों में पूरी तरह से औपचारिकता का समावेश होता है। इस प्रकार के पत्रों को लिखते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान देना चाहिए।

- *पत्र सटीक एवं छोटे हों।*
- *सरल तथा स्पष्ट हों।*
- *आत्मीयता या निजीपन नहीं हो।*
- *सन्देश और कथ्य महत्वपूर्ण हो।*

औपचारिक पत्र का स्वरूप
कक्षाध्यापिका/ प्रधानाचार्य को पत्र

प्रति, 08 अगस्त 2007

कक्षाध्यापिका/ प्रधानाचार्य,
महात्मा गाँधी विद्यालय,
इन्दौर (म.प्र.)।

विषयः– गृह कार्य पूरा न कर पाना।

••••

महोदया,

निवेदन है कि मुझे कल अर्थात् 07 अगस्त 2007 को 'गणित' विषय के दस सवाल हल करके लाने थे, परन्तु बिजली आपूर्ति न होने के कारण मैं यह गृहकार्य करने में असमर्थ रहा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ और यह आश्वासन भी देता हूँ कि कल यानी 9 अगस्त 2007 को यह गृहकार्य आवश्यक–रूप से पूर्ण कर लाऊँगा।

अतः आपसे अनुरोध है कि मेरी इस परिस्थितिजन्य भूल को क्षमा करने का कष्ट करें।

आदर सहित,

भवदीय

हस्ता./

(सिद्धार्थ रंजन)
महात्मा गाँधी विद्यालय,
इन्दौर.

इस प्रकार औपचारिक पत्र के प्रारूप में निम्नलिखित विशेषताएँ देखी जा सकती है।

- ***जिसको सम्बोधित करना है, उसका पूरा नाम–पता***
- ***विषय***
- ***सम्बोधन***
- ***नम्रता***
- ***सटीकता तथा संक्षिप्तता***

अनौपचारिक–पत्र तथा निजी–पत्र

अनौपचारिक–पत्र के अन्तर्गत वे पत्र आते हैं, जिन्हें लोग अपने दैनिक जीवन के व्यवहार में लाते हैं। इन पत्रों में पूरी तरह से आत्मीयता और निजीपन होता है। इसमें हम अपने सुख–दुःख की बातें बाँट सकते हैं। इस प्रकार के पत्रों में सम्बन्धियों को पत्र, बधाई–पत्र, शोक–पत्र, परिचय–पत्र, निमन्त्रण–पत्र आदि आते हैं। इनमें औपचारिकता बिल्कुल भी नहीं होती, बल्कि व्यक्ति अपने मन की बात खुलकर दूसरे से करता है।

अनौपचारिक–पत्र का स्वरूप

आदरणीय पिता जी, 8 अगस्त 2007

चरण स्पर्श।

भोपाल.

मेरी परीक्षाएँ कल समाप्त हो गयी हैं, पेपर भी अच्छे गये हैं। अब बस परीक्षाफल का इन्तज़ार है। इस बीच मैं और मेरे कुछ मित्रों ने अगले हफ़्ते पचमढ़ी घूमने का कार्यक्रम बनाया है। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं भी उनके साथ घूम आऊँ।

शेष सब ठीक है, रोहित को प्यार।

आपका

बण्टी

इस प्रकार के पत्रों को निम्नलिखित भागों में बाँट सकते हैं :

- लिखने का स्थान, दिनांक
- सम्बोधन
- अभिवादन
- विषय का आरम्भ
- मुख्य विषय–वस्तु
- समाप्ति

आइये अब हम सम्पूर्ण पत्रों का प्रारूप इस चार्ट के माध्यम से समझें।

क्र0	सम्बन्ध	सम्बोधन	अभिवादन	अभिनिवेदन
1.	अपने से बड़ों को (माता, पिता, गुरु)	पूज्य पिता जी माता जी / गुरु जी	सादर चरण स्पर्श, सादर प्रणाम	आपका पुत्र, आपका शिष्य
2.	अपने से छोटों को	प्रिय अनुज,	प्रसन्न रहो,	तुम्हारा,

	(भाई, पुत्र, रिश्तेदार)	प्रिय.....	शुभाशीष	––''––
3.	समान आयु वालों को (भाई, मित्र)	प्रिय भाई, प्रिय मित्र	स्प्रेम नमस्ते, नमस्कार	तुम्हारा ––''––
4.	सरकारी अथवा प्रार्थना पत्रों में	मान्यवर, महोदय, आदरणीय	प्रायः नहीं होता	आपका, विश्वास पात्र, प्रार्थी
5.	व्यावसायिक पत्रों में	प्रिय महोदय	प्रायः नहीं होता	भवदीय
6.	अपरिचितों से	महोदय	प्रायः नहीं होता	भवदीय

पत्र का शिक्षण :

पत्र लेखन भी गद्य की एक विधा है। हायर सेकेण्डरी स्तर की पाठ्य–पुस्तकों में कई पत्रों का समावेश है। कक्षा–11वीं की पुस्तक में 'बन्दी पिता' द्वारा अपने पुत्र को लिखे गये पत्र को शामिल किया गया है। पाठ का नाम 'बन्दी पिता का पत्र' है। इस पाठ का अध्यापन इस प्रकार किया जा सकता है।

- पाठ को पढ़ने से पूर्व शिक्षक बच्चों से पत्र विधा पर चर्चा करें।
- पत्र क्यों लिखा जाता है? पत्र की विशेष बातें, पत्र के प्रकार आदि के बारे में पूछा जा सकता है।
- अब शिक्षक उचित हाव–भाव एवं विराम चिह्नों के साथ पाठ का आदर्श वाचन करें।
- कठिन शब्दों एवं वाक्यों को समझाएँ।
- पत्रों को रोचक और प्रभावशील कैसे बनाया जा सकता है। इस बारे में बच्चों की सहभागिता से कक्षा में चर्चा करें।
- पत्र में किन बातों को सम्मिलित किया जाता है और कौन–सी बातें छोड़ी जा सकती है। इस विषय पर भी छात्रों को बतायें।

अब पत्र में निहित केन्द्रीय भाव को स्पष्ट करने के लिए छात्रों से निम्नलिखित प्रश्न पूछे जा सकते हैं:

1– यह पत्र किसने, किसको लिखा है?

2– क़ैदियों के लिए वसन्त और सावन एक–सा क्यों हैं?

3– लेखक यह क्यों कहता है कि यह पत्र उसने स्वयं को लिखा है।

इस प्रकार इस पाठ के माध्यम से लेखक द्वारा कही गयी मूल बातें छात्रों को समझाकर शिक्षक छात्रों से भी स्वयं के विचार–पत्र के माध्यम से लिखने को दें।

निबन्ध लेखन

चर्चा के बिन्दु :

- निबन्ध से आशय
- निबन्धः के सम्बन्ध में आवश्यक बातें
- निबन्ध के अंग
- निबन्ध के प्रकार
- निबन्ध शिक्षण

निबन्ध से आशय :

निबन्ध का अर्थ एक ऐसी रचना से है, जो अच्छी तरह से परिमार्जित एवं सुगठित हो। निबन्ध में निबन्धकार अपने सहज, स्वाभाविक रूप को पाठक के सामने प्रकट करता है। अर्थात् किसी भी विषय को लेकर हमारे मन में जो विचार आएँ, उन्हें परिमार्जित कर क्रमबद्ध रूप से रखना ही निबन्ध कहलाता है।

कहने का तात्पर्य यह है, निबन्ध लिखते समय निबन्धकार को किसी भी प्रकार का संकोच, भय अथवा दुराव–छिपाव नहीं करना चाहिए। बल्कि मन में उठने वाले भावों को खुलकर लिखना चाहिए। आचार्य रामचन्द्र शुक्ल भी इस सत्य को स्वीकार करते हैं कि ''निबन्धकार की आत्माभिव्यक्ति ही निबन्ध की प्रमुख विशेषता है।

निबन्ध–आवश्यक बातें :

वैसे तो निबन्ध साहित्य की एक स्वतन्त्र विधा है, इसे किसी नियम में नहीं बाँधा जा सकता। लेकिन फिर भी एक सुगठित, प्रभावी रोचक निबन्ध लिखने के लिए विद्यार्थियों को निम्न बातों पर ध्यान होना चाहिए।

- निबन्ध अपनी भाषा में लिखा होना चाहिए।
- विचारों का एक व्यवस्थित क्रम हो तथा प्रत्येक विचार अनुच्छेद में बाँट कर लिखे हों।
- तर्कपूर्ण ढंग से विषयवस्तु का विश्लेषण करें।
- निबन्ध पूरी तरह से विषयवस्तु पर ही केन्द्रित हो।
- विराम चिह्नों का सही प्रयोग करें।
- वर्तनी की शुद्धता और व्याकरण के नियमों का ध्यान रखें।

इस प्रकार उपरोक्त बातों का ध्यान रखते हुए यदि विद्यार्थी निबन्ध लिखेंगे तो उसकी अमिट छाप पाठक के मन पर पड़ेगी और वह उस निबन्ध को पढ़कर अवश्य प्रभावित होगा।

निबन्ध के अंग :

निबन्ध के मुख्य रूप से तीन अंग होते हैं :

(1) भूमिका या प्रस्तावनाः छात्रों को विषय का चुनाव करने के बाद उस विषय का संक्षिप्त परिचय भूमिका या प्रस्तावना के रूप में देना चाहिए। जिस दृष्टिकोण से निबन्ध लिखा जाए, भूमिका भी उसी दृष्टिकोण से देना चाहिए। परिचय आकर्षक हो ताकि पढ़ने वाला उसमें रुचि ले।

(2) **मध्य मार्ग या विश्लेषण** : इस भाग में छात्र विषय का पूर्ण रूप से विश्लेषण करके उसे कई खण्डों में बाँटें तथा एक अनुच्छेद में एक ही खण्ड पर प्रकाश डालें। एक ही बात को बार–बार न दुहराकर विचारों को सिलसिलेवार लिखता जाए।

(3) **समाप्ति, निष्कर्ष या उपसंहार** : सबसे अन्त में लिखा हुआ यह भाग सबसे अधिक महत्वपूर्ण रहता है; क्योंकि इसमें पूरे विषय का निचोड़ या सार रहता है। निष्कर्ष रूप में छात्रों को ऊपर कही गयी बातों का सारांश दो–चार पंक्तियों में बड़े ही सुन्दर ढंग से करना चाहिए। क्योंकि यही वह वाक्य होते हैं, जो निबन्ध के सौन्दर्य और सरलता को बढ़ाकर उसे प्रभावी बनाते हैं।

निबन्ध के प्रकार :

भिन्न–भिन्न विषय होने के कारण निबन्ध के प्रकार भी अलग–अलग होते हैं, परन्तु मुख्य रूप से इसके तीन प्रकार होते हैं, जिनके अन्तर्गत ही हम अनेक विषयों का समावेश करते हैं।

(1) **भावात्मक** : इस प्रकार के निबन्धों में विचार पक्ष की अपेक्षा भाव पक्ष की प्रधानता रहती है। इन निबन्धों की भाषा, मर्म को छूने वाली और भावनात्मक रूप से हमें विषयवस्तु से जोड़ने वाली होती है।

(2) **विचारात्मक** : विचारात्मक निबन्ध वह होते हैं, जिसे पढ़कर पाठक के अन्तर्मन में कुछ विचार आएँ। इन निबन्धों में बुद्धितत्व की प्रधानता रहती है। इस प्रकार के निबन्धों में विचारों की गम्भीरता के साथ ही साथ भाव की सरसता भी होती है।

(3) **वर्णनात्मक** : जिन निबन्धों में किसी ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, सामाजिक स्थलों का, तीज–त्यौहारों का, खेलों आदि का वर्णन किया जाए, उन्हें हम वर्णनात्मक निबन्धों की श्रेणी में रख सकते हैं। इसमें वर्णन क्रमानुसार होता है।

निबन्ध शिक्षण : निबन्ध रचना लेखन शिक्षण की प्रथम सीढ़ी है। लेखन में निबन्ध के महत्व को देखते हुए ही पाठ्य–सामग्री में निबन्ध लेखन या अनुच्छेद लेखन को शामिल किया गया है और बच्चों से घर, विद्यालय, खेल–कूद, उत्सव, आँखों देखी घटना आदि के बारे में निबन्ध या लेख लिखवाए जाते हैं। अतः शिक्षक को इसका अध्यापन कराते समय निम्न बातों पर ध्यान देना आवश्यक है।

- सर्वप्रथम बच्चों को चार या पाँच समूहों में बाँट दें।
- अब समूह को अध्यापक द्वारा चयनित विषय दे दें।
- विषय देने के पश्चात् उन्हें सोचने–विचारने के लिए थोड़ा समय दिया जाए।
- फिर बारी–बारी से समूह के प्रत्येक सदस्य को खड़ा कर उस विषय पर उसके विचार श्यामपट पर लिखने को कहें।
- जब समूह के सभी सदस्यों के विचार इकट्ठे हो जाएँ, तब शिक्षक की विषय से सम्बन्धित कोई महत्वपूर्ण बात जो विद्यार्थी ने न बतायी हो, उसे भी श्यामपट पर लिख दें।
- अब प्रत्येक समूह से विषय से सम्बन्धित विचारों को क्रमबद्ध लिखने को कहें।
- आइए अब निबन्ध शिक्षण का एक दूसरा तरीक़ा जानें।
- कक्षा के समस्त छात्रों को तीन समूहों में बाँटें। एक समूह में ज़्यादा बच्चे रखें।

- अब प्रत्येक समूह को निबन्ध का एक–एक अंग, जैसे–प्रस्तावना, मध्य भाग तथा उपसंहार बाँट दें।

 (ज़्यादा बच्चों वाले समूह को मध्य भाग दें।)

- अब वर्तमान समय से जुड़े किसी एक विषय, जैसे– पर्यावरण, वन संरक्षण, नारी शिक्षा, एटम बम, प्रजातन्त्र आदि पर बच्चों से अपना–अपना भाग व्यवस्थित रूप से लिखने को कहें।
- जब प्रत्येक समूह अपना भाग लिख ले तो देखें कि उसने विषय से सम्बन्धित कोई अनावश्यक बात अथवा अपने भाग के अथवा किसी और के भाग की बात तो नहीं लिख ली है।
- यदि ऐसा किसी समूह ने किया है तो उसे ठीक करवाएँ।
- इस प्रकार के शिक्षण से बच्चे जब सामूहिक रूप से निबन्ध लिखना सीख जाएँ, तब यही प्रक्रिया उनसे स्वतन्त्र–रूप से भी अपनायी जाए।

इस तरह की प्रक्रिया से छात्रों को निबन्ध लेखन एक कठिन विषय न होकर बहुत ही सरल एवं रोचक लगेगा।

प्रायोजना कार्य

प्रायोजना कार्य– सृजनात्मक क्षमता, मौलिक अभिव्यक्ति और स्वतन्त्र पठन–पाठन तथा विश्लेषण–क्षमता को विकसित करने के उद्देश्य से हिन्दी भाषा के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम के साथ–साथ प्रायोजना कार्य की अवधारणा की गयी है।

– छात्र अपने क्षेत्र में प्रचलित लोक–कथाओं, लोकगीतों, पहेलियों आदि से परिचित होंगे, साथ ही उनमें अनुवाद–क्षमता भी विकसित होगी।

– दूरदर्शन एवं आकाशवाणी के कार्यक्रमों पर स्वतन्त्र–चिन्तन कर सकेंगे तथा उनका विश्लेषण कर अपनी अभिव्यक्ति दे सकेंगे।

– हिन्दी साहित्य के स्वतन्त्र–पठन से छात्रों के ज्ञान में वृद्धि के साथ उनमें मौलिक अभिव्यक्ति में परिपक्वता आयेगी।

– हस्तलिखित–पत्रिका के माध्यम से छात्रों की सृजनात्मक क्षमता विकसित होगी तथा साहित्य के प्रति रुचि जाग्रत होगी। मध्यप्रदेश से प्रकाशित होने वाली हिन्दी भाषा की जानकारी के माध्यम से उनकी न केवल भाषा समृद्ध होगी, वरन् विविध विषयों की जानकारी उनके चिन्तन और ज्ञान को विकसित करेगी।

अध्यापक, अध्यापन कार्य के साथ–साथ छात्र के ''पूर्ण साहित्यिक, वैचारिक तथा बहुमुखी विकास'' के लिए प्रायोजना कार्य को महत्त्वपूर्ण मानते हुए, उन्हें प्रायोजना कार्य हेतु प्रेरित करेंगे। इसके लिए शिक्षक छात्रों से आकाशवाणी एवं दूरदर्शन के विभिन्न कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करवाएँ। समीक्षात्मक टिप्पणियाँ तथा उनके क्षेत्र में बोली जाने वाली प्रचलित बोली में उनसे मुहावरे, लोकोक्तियाँ, चुटकुले आदि का आयोजन समय–समय पर कक्षा में करवाएँ, उन्हें विभिन्न पत्र–पत्रिकाएँ पढ़ने के लिए प्रेरित करें, जिससे छात्र शालेय–पत्रिका में अपनी रचनात्मकता का परिचय दे सकें।

नोटः प्रायोजना कार्य पर अंक आवंटित न होने के कारण इस पर प्रश्न पूछे जाना अपेक्षित नहीं हैं।

पाठ्येत्तर शैक्षणिक गतिविधियाँ

विद्यालयों में शिक्षण के प्रधान–साधन पुस्तक हैं, चाहे वे पाठ्य–पुस्तक हों अथवा सहायक पुस्तक अथवा पूरक पुस्तक। इन पुस्तकों के अतिरिक्त भी कुछ ऐसे साधन हैं, जिनसे विद्यार्थियों को शिक्षा मिलती है और जो शिक्षण में सहायक होकर विद्यार्थियों के ज्ञान में बढ़ोत्तरी करती है, ये साधन निम्नलिखित हो सकते हैं–

शैक्षणिक यात्राएँ– शिक्षक विद्यार्थियों को ऐतिहासिक, भौगोलिक आदि स्थानों की यात्राएँ कराएँ, जिससे उनके सैद्धान्तिक ज्ञान के साथ–साथ व्यावहारिक ज्ञान में भी वृद्धि हो।

सांस्कृतिक कार्यक्रम– विद्यालय में निम्नलिखित सांस्कृतिक कार्यक्रम शिक्षण को प्रभावी बनाने में सहायक हो सकते हैं–

1) कवि गोष्ठी– इनके लाभ हैं, जैसे–कवियों के साक्षात्कार एवं उनसे कविता सुनने के अवसर की प्राप्ति। काव्य को समझने में सहायता, अपनी कविता को सुनाने का अवसर तथा काव्य रचना की प्रेरणा की प्राप्ति।

2) अभिनय– दुर्गापूजा अथवा वसन्तोत्सव के अवसर पर स्कूल के रंगमंच पर किसी रूपक का अभिनय। इससे नाटक को समझने में सहायता मिलती है, अभिनय कला आती है तथा जीवन की वास्तविकता का पता चलता है।

3) साहित्य परिषद की स्थापना– इससे साहित्य पढ़ने–समझने तथा उसके निर्माण में मदद मिलती है। अतः प्रत्येक विद्यालय में इसकी स्थापना होनी चाहिए।

4) संगीत समारोह– इसके छात्रों की ललित कला के प्रति रुचि उत्पन्न होती है, संगीत के प्रति आकर्षण बढ़ता है तथा स्वरों में सुधार होता है। समय–समय पर इसका आयोजन विद्यालय में किया जाए।

पुस्तकालय और वाचनालय– पुस्तकालय किसी भी विद्यालय का आधार स्तम्भ होता है, अतः प्रत्येक विद्यालय में इसका रहना बहुत ही आवश्यक है। पुस्तकालय से छात्रों को पुस्तक और पत्रिकाएँ पढ़ने को मिलती है तथा हस्तलिखित पत्रिका निकालने की प्रेरणा भी मिलती है।

प्रतियोगिताएँ– विद्यार्थियों की शैक्षणिक योग्यता बढ़ाने के लिए विद्यालय में अनेक प्रकार की प्रतियोगिताएँ समय–समय पर कराई जाएँ, जैसे–

1) वाद–विवाद प्रतियोगिता– इसमें सामाजिक, राजनैतिक तथा शैक्षणिक विषयों पर विद्यार्थी के दो–दो वर्गों के बीच प्रतियोगिता रखी जाए।

2) लेख अथवा निबन्ध प्रतियोगिता– विविध विषयों पर प्रतियोगिता की दृष्टि से विद्यार्थियों को लिखने को कहा जाए। इससे विभिन्न विषयों का ज्ञान होगा, लिखने का अभ्यास होगा तथा उसके लिए प्रेरणा भी मिलेगी।

3) भाषण प्रतियोगिता– स्वतन्त्रता दिवस, गणतन्त्र दिवस, विभिन्न महापुरुषों की जयन्तियाँ आदि अवसरों पर बालकों से प्रतियोगात्मक भाषण कराएँ जाएँ।

4) अन्ताक्षरी प्रतियोगिता– छात्र आपस में अन्ताक्षरी का खेल खेलें। इससे कविताएँ याद रहती हैं, जो आगे चलकर बहुत ही उपयोगी सिद्ध होती है।

5) विज्ञान प्रश्नोत्तरी– विज्ञान से सम्बन्धित प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम शिक्षक बच्चों से करें। छात्रों को दो अथवा तीन समूहों में बाँटे तथा उनके बीच प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम का आयोजन करें।

शैक्षणिक चलचित्र– शैक्षणिक चलचित्र भी शैक्षणिक महत्व रखते हैं। इनसे भी शिक्षण को प्रभावी बनाया जा सकता है।

बालसभा– प्रत्येक विद्यालय में सप्ताह में एक बार बाल–सभा का आयोजन हो, जिससे बालक सभा में सम्मिलित होने तथा सभा में बोलने को प्रेरित होंगे।

प्रदर्शनी– विद्यालय में प्रदर्शनी लगवाई जाए, जैसे–विज्ञान प्रदर्शनी, विभिन्न प्रकार की पुस्तको की, महापुरुषों के जीवन चरित्र की, पशु–पक्षियों, प्राकृतिक तथा अन्य वस्तुओं की। छात्र इससे जानने–समझने और वर्णन करना सीखेंगे।

रेडियो अथवा दूरदर्शन कार्यक्रम– शिक्षक छात्रों को रेडियों अथवा दूरदर्शन से प्रसारित होने वाले शैक्षिक, ज्ञानवर्धक कार्यक्रम सुनवाएँ तथा दिखाएँ। इससे छात्रों का मनोरंजन तो होता ही है, साथ ही साथ शिक्षा भी मिलती है।

इस तरह विद्यार्थियों को शैक्षणिक योग्यता, कार्य–कुशलता, व्यावहारिकता आदि का ज्ञान पाठ्यपुस्तकों के ज्ञान के अतिरिक्त अन्यान्य विषयों से होता है। अतः उपरोक्त साधनों की व्यवस्था शिक्षकों को प्रत्येक विद्यालय में करनी चाहिए, जिसमें अधिक से अधिक छात्र इससे लाभान्वित हो सकें।

हिन्दी में मूल्यांकन

हिन्दी शिक्षण में छात्रों को सीखने का अनुभव प्रदान करने के लिए शिक्षक द्वारा कुछ परिस्थितियाँ उत्पन्न की जाती हैं। समुचित परिस्थितियों को उत्पन्न करने के लिए शिक्षकों को आयाम, आव्यूह, विधियाँ, शिक्षण सूत्र, प्रविधियाँ तथा सहायक प्रणाली का उपयोग करना होता है। हिन्दी शिक्षण की आधुनिक शिक्षण विधियों को समझने के लिए यह आवश्यक है कि पहले आयाम को समझ लिया जाए।

प्राचीन काल में वेद तथा उपनिषद् ग्रन्थों में इस बात की भी चर्चा है कि जब कोई विद्यार्थी किसी गुरुकुल में रहकर विद्या प्राप्त करना चाहता है तो गुरु प्रश्न पूछकर उसके ज्ञान की परीक्षा लिया करता था और इस बात की जाँच करता था कि क्या उस विद्यार्थी का स्तर गुरुकुल की शिक्षा के अनुरूप है। बाद में इस मौखिक प्रश्न–पद्धति को रोम तथा यूनान में भी अपनाया गया। आचार्य सुकरात को इस विधि में माहिर माना जाता है।

निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल।
बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे न हिय को सूल।।
–भारतेन्दु हरिश्चन्द्र

जीवन के प्रत्येक क्षेत्र की प्रगति एवं सीमा के ज्ञान के लिए मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। यदि हम भारतीय शिक्षा के विकास का अध्ययन करें तो स्पष्ट हो जायेगा कि अत्यन्त प्राचीन काल से ही मूल्यांकन शिक्षा के क्षेत्र में किसी न किसी रूप में प्रचलित रहा है। मूल्यांकन के अभाव में हमारे समस्त क्रिया–कलाप मूल्यहीन बन जाते हैं। क्योंकि इसके द्वारा हमारी असफलताओं का निर्णय, कठिनाइयों आदि का पता लगाया जाता है। शिक्षा जगत में मूल्यांकन का महत्व बहुत अधिक है। मूल्यांकन द्वारा ही बालक की भावी जीवन–यात्रा का पथ–प्रशस्त किया जाता है। मूल्यांकन एक ऐसी सतत प्रक्रिया है, जिसके द्वारा बालक, शिक्षक शैक्षणिक क्रियाओं आदि की पारस्परिक निर्भरता तथा उनकी उपयोगिता आदि की जाँच की जाती है।

शिक्षा आयोग के अनुसार– ''मूल्यांकन एक क्रमिक प्रक्रिया है, जो सम्पूर्ण शिक्षा–प्रणाली का एक महत्वपूर्ण अंग है। यह शिक्षा के उद्देश्यों से घनिष्ठ रूप से सम्बन्धित है। मूल्यांकन बालकों की अध्ययन की आदतों तथा शिक्षण विधियों पर बहुत प्रभाव डालता है। यह केवल शैक्षिक उपलब्धि से मापन में ही सहायता नहीं देता है, वरन् उसमें सुधार भी करता है।''

क्वालेन तथा हन्ना के अनुसार– ''विद्यालय में हुए छात्रों के व्यवहार परिवर्तन के सम्बन्ध में प्रदत्त संकलनों तथा उनकी व्याख्या करने की प्रक्रिया को मूल्यांकन कहते हैं।''

माध्यमिक शिक्षा आयोग– ''मूल्यांकन एक प्रमुख साधन है, जिसके द्वारा समाज इस बात का पता लगाता है कि विद्यालय अपने दायित्वों को उचित प्रकार से पूरा कर रहे हैं और विद्यालय में अध्ययन करने वाले बच्चों को उचित प्रकार की शिक्षा मिल रही है और वे अपेक्षित स्तरों को प्राप्त कर रहे हैं।''

ग्रीन व अन्य का कथन– ''शिक्षा में मूल्यांकन अभी एक नवीन धारणा हैं। इसका प्रयोग विद्यालय के कार्यक्रम, पाठ्यक्रम, शैक्षिक सामग्री, शिक्षक एवं बालकों की जाँच के लिए किया जाता है।''

मूल्यांकन के अर्थ को और अधिक स्पष्ट करने के लिए मूल्यांकन और मापन के अन्तर को निम्नांकित तालिका द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है–

	मापन		**मूल्यांकन**
1–	मापन द्वारा किसी योग्यता या गुण की मात्रा ज्ञात की जाती है। यह संख्यात्मक एवं गुणात्मक दोनों ही हो सकती उपयुक्त है या नहीं।	1–	मूल्यांकन द्वारा यह निश्चित किया जाता है कि किसी योग्यता या गुण की संख्यात्मकतथा मात्रा में गुणात्मक हैं।
2–	मापन यह ज्ञात करने से है–''कितनी मात्रा में हैं?''	2–	मूल्यांकन का सम्बन्ध इस प्रश्न के उत्तर देने से है– ''कितना अच्छा है।''
3–	मापन एकांगी होता है।	3–	मूल्यांकन बहुमुखी होता है।
4–	मापन के अभाव में मूल्यांकन का कार्य वैज्ञानिक नहीं हो हो सकता है।	4–	मूल्यांकन के लिए मापन अनिवार्य है, परन्तु मापन का शैक्षिक लाभ मूल्यांकन द्वारा ही सम्भव है।
5–	मापन प्रतिशत, अंकों द्वारा व्यक्त किया जाता है।	5–	मूल्यांकन में मापन तथा जाँच दोनों निहित हैं।

————————————————————————————————

मूल्यांकन का प्रयोजन

किसी न किसी रूप में छात्र–छात्राओं का मूल्यांकन आवश्यक है। साधारणतया इसके अधोलिखित प्रयोजन हो सकते हैं–

1– शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति किस रूप में हो रही है।
2– मानसिक दृष्टि से बालक–बालिकाओं के विकास का पता लगाया जाता है।
3– छात्र–छात्राओं की क्षमता एवं सीमाओं का पता चल जाता है।
4– बालक–बालिकाओं के वर्गीकरण में ठीक–ठीक सूचना प्राप्त होती है।
5– शिक्षण विधियों की उपादेयता तथा सीमाओं का ज्ञान हो जाता है।
6– मूल्यांकन के द्वारा सूचनाएँ प्राप्त होती हैं, उनके आधार पर पाठ्यक्रम में समुचित परिवर्तन किया जा सकता है।
7– निर्देशन के लिए अवसर प्रदान करना है।

मूल्यांकन की प्रविधियाँ

मूल्यांकन की प्रक्रिया ज्ञानात्मक, भावात्मक तथा क्रियात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति के सम्बन्ध में प्रदत्त का संकलन करती हैं।

बी.एस. ब्लूम– ''एक अच्छी मूल्यांकन प्रविधि वह है, जो व्यवहार के वांछित परिवर्तन के वैध प्रमाणों को प्राप्त करने में समर्थ है।''

मूल्यांकन की प्रमुख प्रविधियाँ इस प्रकार है–

1– निरीक्षण–प्रविधि
2– साक्षात्कार
3– प्रश्नावली
4– पड़ताल सूचियाँ
5– क्रम–निर्धारण मान
6– छात्रों द्वारा निर्मित वस्तुएँ
7– अभिलेख–छात्रों की डायरियाँ, घटनावृत्त, संचित अभिलेख–पत्र आदि।
8– सामाजमितिक प्रविधियाँ।
9– परीक्षा प्रविधि के निम्नलिखित रूप प्रचलित हैं:

परिणात्मक परीक्षाएँ

मूल्यांकन में इस प्रकार की प्रविधियाँ अधिक उपयोगी, विश्वसनीय तथा वैध होती हैं, यह तीन प्रकार की होती हैं–

1– मौखिक परीक्षा
2– लिखित परीक्षा
3– प्रयोगात्मक परीक्षा

(1) मौखिक परीक्षा : यह परीक्षा चारित्रिक रूप से वैयक्ति होती है। इसमें मौखिक प्रश्न, वाद–विवाद प्रतियोगिता तथा नाटक आदि को प्रयुक्त किया जाता है। इससे बालक के व्यक्तिगत गुणों तथा अवगुणों का ज्ञान प्राप्त किया जाता है, साथ ही इससे छात्रों के सूचनात्मक ज्ञान, पढ़ने की योग्यता, उच्चारण आदि की जाँच की जाती है।

(2) लिखित परीक्षा: इसमें प्रश्न लिखित–रूप में पूछे जाते हैं। छात्रों को उनका उत्तर लिखना होता है। लिखित परीक्षा तीन प्रकार की होती है :

1– वस्तुनिष्ठ परीक्षाएँ
2– लघुत्तरीय परीक्षाएँ
3– निबन्धात्मक परीक्षाएँ

गुणात्मक परीक्षाएँ

विद्यालय में गुणात्मक परीक्षाओं का उपयोग आन्तरिक मूल्यांकन के लिए किया जाता है। यह साधारणतः पाँच प्रकार की होती है :

1– संचयी आलेख
2– एनेकडोटल आलेख
3– निरीक्षण
4– जाँच सूची
5– अनुस्थिति मापनी

(1) संचारी आलेख : विद्यालयों में प्रत्येक छात्र के सम्बन्ध में सूचनाओं को क्रमबद्ध रूप में व्यवस्थित किया जाता है। इसमें शैक्षिक प्रगति, मासिक परीक्षा–फल, उपस्थिति, योग्यता तथ अन्य विद्यालयों की क्रियाओं में भाग लेने आदि का आलेख प्रस्तुत किया जाता है। छात्र की प्रगति तथा कमज़ोरियों को जानने के लिए अभिभावकों, शिक्षकों तथा प्राधानाचार्य के लिए यह अधिक उपयोगी आलेख होता है।

(2) एनेकडोटल आलेख : इसमें बालकों के व्यवहार से सम्बन्धित महत्वपूर्ण घटनाओं तथा कार्यों का वर्णन किया जाता है। निरीक्षण करने वाले छात्र की रुचियों तथा सुझावों को उत्पन्न करने वाले घटकों का भी उल्लेख करता है। इसके आधार पर छात्र के सम्बन्ध में सामान्यीकरण किया जा सकता है और निर्देशन में इसे प्रयुक्त करते हैं।

(3) निरीक्षण : इसका प्रयोग विशेष–रूप से छोटे बालकों के मूल्यांकन के लिए किया जाता है, क्योंकि उनकी कोई अन्य परीक्षा नहीं दी जा सकती है और उनके व्यवहार में वास्तविकता होती है।

(4) जाँच सूची: लिखित तथा मौखिक परीक्षाएँ छात्रों के ज्ञानात्मक पक्ष की परीक्षा करती हैं और प्रयोगात्मक परीक्षाएँ कौशल तथा क्रियात्मक पक्ष की जाँच करती हैं। जाँच सूची का प्रयोग अभिरुचियों, अभिवृत्तियों तथा भावात्मक पक्ष के लिए किया जाता है। इसमें कुछ कथन दिये जाते हैं, जिनका सम्बन्ध छात्रों को **हाँ** अथवा **नहीं** में उत्तर अंकित करना होता है। जैसे–

1– आपको शिक्षण–सोपानों का स्मरण करने में रुचि है। **हाँ / नहीं**

2– आपको कक्षा–शिक्षण के प्रस्तुतीकरण में आनन्द मिलता है। **हाँ / नहीं**

3– आपको छात्रों के कार्यों की प्रशंसा करना अच्छा लगता है। **हाँ / नहीं**

(5) अनुपस्थिति मापनी : इस विधि में कुछ कथन दिए जाते हैं, उनका **तीन, पाँच, सात** बिन्दुओं तक सापेक्ष निर्णय करना होता है। इसका प्रयोग उच्च कक्षाओं के छात्रों के लिए किया जा सकता है, क्योंकि निर्णय लेने की शक्ति छोटे आयु के छात्रों में नहीं होती।

वर्तमान परीक्षा पद्धति की सीमाएँ

1949 ई. में 'राधाकृष्ण आयोग' ने वर्तमान परीक्षा–पद्धति पर विचार करते हुए कहा था–

यदि हमसे पूछा जाए कि शिक्षण–क्षेत्र में सबसे प्रमुख सुधार किस वस्तु का होना चाहिए तो हम परीक्षा–पद्धति का नाम लेंगे।

सामान्य रूप से वर्तमान शिक्षा–पद्धति की आलोचना के निम्न कारण हैं :

1– यह स्मरणशक्ति पर अधिक बल देती है।

2– यह साधन न होकर साध्य बन गयी है।

3– इसके द्वारा छात्रों के वास्तविक ज्ञान की जाँच–पड़ताल नहीं होती।

4– परीक्षाओं के दिनों में छात्रों का शारीरिक स्वास्थ्य गिर जाता है।

5– इसके आधार पर विद्यार्थियों को इस बात का पता नहीं चलता कि ज्ञान का उपयोग नवीन परिस्थितियों में कैसे किया जाए।

6– विद्यार्थियों का नैतिक स्तर गिराने में इसका बड़ा हाथ है, क्योंकि परीक्षा उत्तीर्ण होने के लिए विद्यार्थी अनुचित साधनों का प्रयोग करने से बाज नहीं आते।

7– इस परीक्षा–पद्धति द्वारा केवल पुस्तकीय ज्ञान की जाँच हो पाती है। छात्र–छात्रों के व्यक्तित्व के सभी पहलुओं की परख नहीं हो पाती।

अच्छी परीक्षा के गुण
या
मूल्यांकन का महत्व

दोषपूर्ण परीक्षा समस्त मूल्यांकन परिणामों को महत्वहीन बना देती है। इसलिए अच्छी परीक्षा के गुणों से अवगत होना आवश्यक है, एक अच्छी परीक्षा के निम्नलिखित गुण होने चाहिए :

1– विश्वसनीयता
2– वैधता
3– वस्तुनिष्ठता
4– व्यापकता
5– विभेदीकरण
6– उपयोगिता तथा व्यवहारिकता

(1) विश्वसनीयता :

एक अच्छी परीक्षा विश्वसनीय होती है। इसका तात्पर्य यह है कि परीक्षा द्वारा होने वाला मापन प्रायः अविचल होता है। यदि परीक्षा विश्वसनीय है तो बालकों द्वारा प्राप्त किये जाने वाले अंक प्रायः एक से रहेंगे/ हो सकता है–परिपक्वता एवं अभ्यास आदि तत्वों के कारण उन अंकों में थोड़ा अन्तर हो जाए, परन्तु विचलन नगण्य रहेगा।

(2) वैधता :

वैधता का अभिप्राय है– ''अभिप्राय सापेक्षता'' अर्थात् जब परीक्षा द्वारा अभीष्ट लक्ष्य का मापन होता है, तभी उसे वैध कहा जा सकता है।

(3) वस्तुनिष्ठता :

एक अच्छी परीक्षा वस्तुनिष्ठ होती है। एक वस्तुनिष्ठता में व्यक्तिनिष्ठ तत्वों का लोप होता है। एक वस्तुनिष्ठ परीक्षा उसे कहते हैं, जिसमें परीक्षा लेने वाले के व्यक्तित्व, उसकी रुचियों तथा पक्षपातों के लिए कोई स्थान न हो। छात्र–छात्राओं का मूल्यांकन निष्पक्ष भाव से होता है।

(4) व्यापकता :

व्यापकता से तात्पर्य है–मापित होने वाली राशि में अधिक तत्वों को सम्मिलित करना।

(5) विभेदीकरण :

एक अच्छी परीक्षा की पाँचवीं विशेषता है, उसका विभेदी होना। ऐसी परीक्षा के द्वारा उच्च और निम्न योग्यता वाले छात्र–छात्राओं में विभेद हो जाता है।

(6) उपयोगिता तथा व्यवहारशीलता :

उपयोगिता या व्यवहारशीलता एक अच्छी परीक्षा की अन्तिम विशेषता है। एक अच्छी परीक्षा के अर्थ हैं कि अच्छी परीक्षा उपयोगी तो होती ही है, साथ में सरलतापूर्वक व्यवहार में लायी जा सकती हैं।

हिन्दी में मूल्यांकन का अन्त में यही सार निकलता है कि मूल्यांकन द्वारा यह ज्ञात हो जाता है कि उद्देश्यों की पूर्ति कहाँ तक हो सकी है तथा यह भी ज्ञात हो जाता है कि समुचित

उपचारात्मक अनुदेशन दिया गया है कि नहीं। मूल्यांकन द्वारा छात्र–छात्राओं की कमज़ोरियो को ज्ञात किया गया कि नहीं।

मूल्यांकन प्रक्रिया शिक्षण तथा छात्र दोनों के लिए पुनरावलोकन का कार्य करती है। इस प्रक्रिया में मानदण्ड परीक्षा का महत्वपूर्ण कार्य होता है,जिससे छात्रों में व्यवहार–परिवर्तन की जाँच होती है, जिसके आधार पर शिक्षक को अपनी क्रियाओं के सुधार तथा विकास के लिए दिशा मिलती है।

प्रश्न–पत्र ब्लूप्रिन्ट
BLUE PRINT OF QUESTION PAPER

कक्षा :– XI

विषय :– हिन्दी सामान्य

समय : 3 घण्टे **पूर्णांक :– 100**

स. क्र.	इकाई	**इकाई पर आवंटित अंक**	वस्तुनिष्ठ प्रश्न	अंकवार प्रश्नों की संख्या			कुल प्रश्न
			1 अंक	4 अंक	5 अंक	10 अंक	
	पद्य खण्ड – पद्यांश की व्याख्या, सौन्दर्य बोधएवं विषयवस्तु पर प्रश्न	25	8	3	1	–	4
	गद्य खण्ड – अर्थग्रहण एवं विषयवस्तु पर प्रश्न	25	8	3	1	–	4
	हिन्दी साहित्य का इतिहास– कहानी एवं एकांकी विकासक्रम	05	1	1	–	–	1
	व्याकरण भाषा बोध – भाषा बोध, शब्द निर्माण, उपसर्ग, प्रत्यय सन्धि, समास, विलोम, पर्यायवाची, भाव पलवन/भाव विस्तार, मुहावरे/लोकोक्तियाँ	20	8	3	–	–	3
	अपठित बोध – गद्यांश एवं पद्यांश	10	–	–	2	–	2
	पत्र – लेखन	05	–	–	1	–	1
	निबन्ध लेखन	10	–	–	–	1	1
	योग =	**100**	**(25)=5**	**10**	**05**	**01**	**16+5 = 21**

निर्देश :– वस्तुनिष्ठ प्रश्न प्रश्नपत्र के प्रारंभ में दिये जायेगे।

1. प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगें जिसके अन्तर्गत रिक्त स्थानों की पूर्ति, एक शब्द में उत्तर, मेचिंग, सही विकल्प तथा सत्य असत्य का चयन आदि के प्रश्न होगें। प्रत्येक प्रश्न में 5 अंक निर्धारित है।
2. वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को छोड़कर सभी प्रश्नों में विकल्प का प्रावधान रखा जाये। यह विकल्प समान इकाई से तथा यथा संभव समान कठिनाई स्तर वाले होने चाहिए।
3. कठिनाई स्तर –40% सरल प्रश्न, 45% सामान्य प्रश्न, 15% कठिन प्रश्न

नोट :– प्रश्नपत्र को व्यवस्थित करने के उद्देश्य से तथा प्रश्नपत्र में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का समावेश करने के लिए अंकों का समायोजन (पत्र लेखन अपठित एवं निबंध को छोड़कर) अन्य इकाइयों से किया गया है।

आदर्श प्रश्न-पत्र

हिन्दी सामान्य

कक्षा – XI

समय : 3 घण्टे **पूर्णांक–100**

निर्देश :–

1. आरंभ में दिये गये 1– 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न सबसे पहले हल करें।
2. प्रश्न क्रमांक– 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है प्रत्येक प्रश्न के लिए **5 अंक** (X5X5 = 25) निर्धारित है।
3. प्रश्न क्रंमाक 6 से लेकर 15 तक के लिए **4 अंक** निर्धारित है।
4. प्रश्न क्रंमाक 16 से 20 तक के लिए **5 अंक** निर्धारित है।
5. प्रश्न क्रमांक 21 (निबंध लेखन) का उत्तर 250 शब्दों तक लिखने का प्रयास करें। जिसके लिए **10 अंक** निर्धारित है।

प्रश्न (1) वस्तुनिष्ट प्रश्नः–

प्रश्न 1. रिक्त स्थानों की पूर्ति दिये गये विकल्पों के आधार पर कीजिए – 1X5X5 = 25

1.उपन्यास सम्राट के नाम से विख्यात है। (प्रेमचन्द्र/जयशंकर प्रसाद)
2. श्रीराम के बाल रूप का वर्णन..... ने किया है। (सूरदास/तुलसीदास)
3. आचार्य रामचन्द्र शुक्ल के अनुसार हिन्दी साहित्य के इतिहास को.....भागों में विभक्त किया गया है। (चार/पांच)
4. काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को..... कहते है। (अंलकार/समास)
5. भक्तिकालीन साहित्य में की आराधना की गई है। (ईश्वर/राजा)

प्रश्न 2. नीचे दिये गए वाक्यों के लिये सही विकल्प चुनिए–

1. "उलाहना" कविता में रमलू भगत प्रतीक है–
 (अ) निम्न वर्ग का (ब) उच्च वर्ग का
 (स) सामान्य वर्ग का (द) मध्य वर्ग का
2. भारतेन्दु युग का नामकरण किस साहित्यकार के नाम पर किया गया है।
 (अ) हरिश्चन्द्र (ब) जगदीश चन्द्र
 (स) रामचन्द्र (द) प्रेमचन्द्र
3. "अथ काटना कुत्ते का भइया जी को" रचना में तत्व की प्रधानता है–
 (अ) सरल वर्णन (ब) हास्य

(स) व्यंग्य (द) हास्य व्यंग्य

4. कविता में प्रत्ययांत का अर्थ होता है–

(अ) प्रत्यय से अन्त हाने वाला (ब) प्रत्यय से शुरु होने वाला

(स) प्रत्यय के मध्य वाला (द) प्रत्यय के प्रारंभ और अंत वाला

5. "जिसका कोई शत्रु न हो" उसके लिए एक शब्द है–

(अ) शत्रुहीन (ब) अजातशत्रु

(स) अशत्रु (द) शत्रुवाला

प्रश्न 3. "क" स्तम्भ से "ख" स्तम्भ का मिलान कर सही जोड़ी बनाइये –

क स्तंभ	ख स्तंभ
1. धर्म की झांकी	1. शिक्षा
2. विवेकानंद	2. आत्मकथा
3. "गिरी" प्रत्यय	3. अंलकार
4. इबादत	4. कुलीगिरी
5. उपमा	5. पूजा

प्रश्न 4. एक शब्द में उत्तर दीजिए –

1. महादेवी वर्मा का संस्मरण किस के जीवन से सम्बन्धित है ?
2. माखन लाल चतुर्वेदी ने 'उलाहना' कविता में किसे उलाहना दिया है ?
3. मिठाईवाला बच्चों के लिए क्या लाता था ?
4. बिहारी ने अपनी रचना किस छंद में की हैं ?
5. तुलसीदास के आराध्य कौन से देवता थे ?

प्रश्न 5. निम्नलिखित कथनों में सत्य/असत्य कथन छाँटिए –

1. वे शब्द जो शब्दांश के अन्त में लगकर शब्द के अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं। प्रत्यय कहलाते है। (सत्य/असत्य)
2. सूरदास ने राम की सम्पूर्ण लीलाओं का वर्णन किया है। (सत्य/असत्य)
3. "राजेन्द्र बाबू" महादेवी वर्मा द्वारा लिखित अविस्मरणीय संस्मरण है। (सत्य/असत्य)
4. एकांकी का सामान्य अर्थ है "एक अंक वाला"। (सत्य/असत्य)
5. ऐसे शब्द जो परस्पर समान अर्थ का बोध कराते है, विलोम शब्द कहलाते है। (सत्य/असत्य)

प्रश्न 6. अ – राजेन्द्र तथा विद्यालय शब्द की संधि विच्छेद कीजिये 4

ब – निम्नलिखित का समास विग्रह कीजिये

(1) कमल मुख, (2) माता पिता

प्रश्न 7. अ – "ता" तथा "पन" प्रत्यय लगाकर एक–एक शब्द बनाईये। 4

ब – सम्पन्न एवं नीति शब्द का विलोम लिखिये।

स – आनंद एवं "ईश्वर" शब्द के पर्यायवाची लिखिए

द – "प्रति" एवं "परा" उपसर्ग लगाकर एक–एक शब्द बनाईये।

प्रश्न 8. अ – निम्नलिखित का भाव पल्लवन कीजिये 4

''रूपया तुमने नहीं खाया रूपया तुम्हें खा गया''।

ब – निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए।

(1) आकाश के तारे तोड़ना (2) कमर कसना

प्रश्न 9. कहानी की परिभाषा लिखिये तथा प्रमुख तत्वों का उल्लेख करते हुए दो प्रमुख कहानीकारों के नाम लिखिये। 4

अथवा

हिन्दी साहित्य के इतिहास को कितने भागों में बाँटा गया है प्रत्येक का नाम सन् तथा एक–एक कवि का उल्लेख कीजिये।

प्रश्न 10. तुलसीदास के अनुसार जीवन का सर्वोत्तम फल क्या है? 4

अथवा

अपना देश संवारे कविता में कर्म को कवि ने किन रूपों में व्यक्त किया है?

प्रश्न 11. बिहारी ने अपने दोहों के माध्यम से सज्जन के प्रेम की क्या विशेषताएं बताई है? 4

अथवा

माखन लाल चतुर्वेदी जी ''उलाहना'' कविता के माध्यम से अमीरों से उनके जीवन में किस तरह के परिवर्तन की आकांशा करते है?

प्रश्न 12. आग में पड़ी धरती से कवि का क्या आशय है? 4

अथवा

नई इबारत कविता के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहता है ?

प्रश्न 13. सिद्ध कीजिये कि दो बैलों की कथा अपने उद्देश्य में पूर्णतया सफल कहानी है? 4

अथवा

मिठाईवाला कहानी के आधार पर मिठाई वाले की चरित्रगत विशेषताओं का उल्लेख कीजिये।

प्रश्न 14. शक्तिसिंह के स्वभाव में परिवर्तन क्यों आया। 4

अथवा

राजेन्द्र बाबू की सह धर्मिणी के गुणों का उल्लेख कीजिए।

प्रश्न 15. गांधीजी की दृष्टि में सर्वधर्म समभाव का उदय किन प्रसंगों की प्रेरणा से हुआ था। 4

अथवा

कुंभाराम स्वयं को आस्तिक क्यों मानता था?

प्रश्न 16. निम्नलिखित पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या लिखिए – 5

मरकत डिब्बे सा खुला ग्राम
जिस पर नीलम नम आच्छादन
निरूपम हिमांत से स्निग्ध–शांत
निज शोभा से हरता जन–मन।।

अथवा

अधर धरत हरि कै परत, ओठ–दीठि–पट–जोति।
हरित बाँस की बाँसुरी, इन्द्र धनुष रंग होति।।

प्रश्न 17. "शिक्षा" पाठ के आधार पर शिक्षा के संबन्ध में स्वामी विवेकानंद के विचार स्पष्ट कीजिए। 5

प्रश्न 18. अधोलिखित अपठित पद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए – 5

वन– उपवन पनप गए सब।
कितने नव अंकुर आए।
वे पीले–पीले पल्लव
फिर से हरियाली लाए।
वन में मयूर अब नाचें।
हँस–हँस आनन्द मनाएं
उनकी छवि देख रही है
नभ से घनघोर घटाएं

प्रश्न– 1. उक्त पद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए?

प्रश्न– 2. मोर अपनी प्रसन्नता किस प्रकार व्यक्त करता है?

प्रश्न– 3. आकाश से बरसाती बादल कौन सा दृश्य देख रहे हैं ?

प्रश्न 19. निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए – 5

"संस्कार ही शिक्षा है। शिक्षा मानव को मानव बनाती है। आज के भौतिकवादी युग में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य सुख पाना रह गया है। अंग्रेजों ने इस देश में अपना शासन व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए ऐसी शिक्षा को उपयुक्त समझा किन्तु यह विचार धारा हमारी मान्यता के विपरीत है। आज की शिक्षा प्रणाली एकाकी है, उसमें व्यावहारिकता का अभाव और काम के प्रति निष्ठा नहीं है। प्राचीन शिक्षा प्रणाली में आध्यात्मिक एवं व्यावहारिक जीवन की प्रधानता थी। यह शिक्षा केवल नौकरी के लिए नहीं जीवन को सही दिशा प्रदान करने के लिए भी थी। अतः आज के परिवेश में यह आवश्यक हो गया है कि इन दोषों को दूर किया जाए। अन्यथा यह दोष हमारे सामाजिक जीवन को निगल जाएगा।

प्रश्न–1. उपर्युक्त गद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए ?

प्रश्न–2. गद्यांश का सारांश अपने शब्दों में लिखिए।

प्रश्न–3. भौतिक वादी युग से क्या तात्पर्य है।

प्रश्न–4. वर्तमान शिक्षा प्रणाली को दोषपूर्ण क्यों कहा गया है?

प्रश्न 20. अपने जन्मदिन पर मित्र द्वारा भेजे गए उपहार के लिए धन्यवाद–पत्र लिखिए? 5

अथवा

चुनाव के दिनों में आपके शहर की दीवारें नारें लिखने और पोस्टर चिपकाने से गंदी हो गई है। इस समस्या की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए किसी समाचार–पत्र के संपादक को पत्र लिखिए?

प्रश्न 21. निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर लगभग 250 शब्दों में निबंध लिखिए–10

1. पराधीन को सुख नहीं।
2. प्रदूषण– एक समस्या।
3. शिक्षक एवं शिक्षार्थी।
4. जल संरक्षण आज की आवश्यकता।

———000———

आदर्श उत्तर

हिन्दी सामान्य

कक्षा – XI

समय : 3 घण्टे **पूर्णांक–100**

उत्तर 1. अ. रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिये–

1. प्रेमचन्द्र
2. तुलसीदास
3. चार
4. अंलकार
5. ईश्वर

उत्तर 2. सही विकल्प का चयन कीजिये –

1. अ
2. अ
3. द
4. अ
5. ब

उत्तर 3. सही जोड़ी मिलान कीजिए–

1. धर्म की झाँकी – 1. आत्मकथा
2. विवेकानन्द – 2. शिक्षा
3. "गिरी" प्रत्यय – 3. कुली गिरी
4. इबादत – 4. पूजा
5. उपमा – 5. अंलकार

उत्तर 4. एक शब्द में उत्तर दीजिये –

1. डॉ राजेन्द्र प्रसाद
2. उच्चवर्ग
3. मिठाई
4. दोहा
5. श्रीराम

उत्तर 5. द. सत्य/असत्य का चयन किजिये।

1. सत्य, 2. असत्य, 3. सत्य, 4. सत्य 5. असत्य

उत्तर 6. अ. संधि विच्छेद – (1) राजेन्द्र – राज+इन्द्र = राजेन्द्र (गुण संधि)

(2) विद्यालय – विद्या+आलय = विद्यालय (दीर्घ संधि)

ब. समास विग्रह – (1) कमल मुख – कमल जैसा मुख – (कर्मधारय समास)

(2) माता पिता – माता और पिता (इन्द्व समास)

उत्तर 7. अ. **प्रत्यय–**

ता –सफलता, विफलता

पन –बचपन, लड़कपन

ब. **विलोम शब्द–** सम्पन्न– विपन्न

नीति – अनीति

स. **पर्यावाची शब्द**– आनंद – प्रसन्न, हर्ष, प्रमोद।

ईश्वर– भगवान, ईश, परमेशर।

द. **उपसर्ग** – प्रति – प्रतिकूल, प्रतिनिधि।

परा–पराजय, पराक्रम आदि।

उत्तर 8. अ – भाव पल्लवन – "रुपया तुमने नही खाया, रुपया तुम्हें खा गया"।

इस पंक्ति के माध्यम से इस कहावत को चरितार्थ किया गया है कि बाप बड़ा न भइया सबसे बड़ा रुपया। आज मनुष्य का जीवन केन्द्रवत हो गया है उसके जीवन का प्रमुख लक्ष्य धन कमाना बन गया है मनुष्य धन बनाने की मशीन जैसा हो गया है। जीवन का वास्तविक आनंद विलुप्त सा हो गया है जीवन में सुख–दुःख, परोपकार, न्याय–नीति, वात्सल्य, प्रेम, वीरता एवं देश भक्ति के भाव के लिए कोई स्थान नहीं रह गया है केवल हाय, हाय करना रह गया है। कहने का तात्पर्य यह है कि "रुपया तुमने नहीं खाया, रुपया तुम्हें खा गया।" अर्थात धन नष्ट नहीं हुआ बल्कि तुम्हारा चरित्र नष्ट हो गया।

ब – मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग –

1. आकाश के तारे तोड़ना – अर्थ– अंसभव कार्य करना।

प्रयोग – प्रावीण्य सूची में स्थान प्राप्त करना आकाश के तारे तोड़ने के समान है।

2. कमर कसना – अर्थ– दृढ़ निश्चय करना।

प्रयोग– भारत ने पाकिस्तान को मैच में हराने के लिए कमर कस ली।

उत्तर 9. जो कुछ कहा जाए वही कहानी है। कहानी वास्तविक जीवन की ऐसी काल्पनिक कथा है, जो छोटी होते हुए पूर्ण और सुसंगठित होती है? कहानी के निम्नलिखित तत्व है?

1. कथानक
2. पात्र या चरित्र चित्रण
3. संवाद अथवा कथोप–कथन
4. देशकाल

5. भाषा शैली 6. उद्देश्य

दो प्रमुख कहानीकार – प्रेमचन्द, जयशंकर प्रसाद यशपाल आदि।

अथवा

हिन्दी साहित्य के इतिहास को चार भागों में बाँटा गया है।

1. वीरगाथा काल– – स. 1050 – 1375
2. भक्तिकाल – स. 1375 – 1700
3. रीतिकाल – स. 1700 – 1900
4. आधुनिक काल– – स. 1900 – अब तक

प्रत्येक के एक–एक कवि –

1. चन्द बरदायी, नरपति नाल्ह 2. सूरदास, तुलसीदास कबीर, जायसी
3. बिहारी, भूषण 4. प्रसाद, पन्त, निराला

उत्तर 10. तुलसी के अनुसार जीवन का सर्वोत्तम फल राम के बाल रूप और बाल मनोविनोद से अनुराग रखना है।

अथवा

"अपना देश संवारे" कविता में कवि ने नव युवकों को कर्म पथ पर सतत् चलने का व्रत ले कर चुनौतियों का सामना करने पर बल दिया है। कवि का कथन है कि अपने कार्य के माध्यम से व्यक्ति, समता, मानवता एवं बाधा रहित मार्ग को प्रशस्त करे तथा देश की उन्नति में योगदान दे।

उत्तर 11. बिहारी ने अपने दोहों के माध्यम से सज्जन के प्रेम को चमकदार एवं स्थायी प्रभाव वाला बताया है। सज्जनों का प्रेम रंगीन कपड़ों के समान होता है। जो फटने के बावजूद रंग नही छोड़ता है।

अथवा

माखनलाल चतुर्वेदी जी ने अमीरों से अपेक्षा की है कि वे जन सामान्य के दुख–दर्द का अनुभव करे, छोटों के साथ घुल–मिलकर जीवन जिंए तथा अपनी शक्तियों का उपयोग कुटिया में रहने वालों के लिए करें जिससे समाज का समग्र विकास हो सके।

कवि ने क्रांतिकारियों के बलिदान को स्मरण करने तथा विकास के कार्यो में हाथ बटाने का भी अमीरों से आग्रह किया है।

उत्तर 12. आग में पड़ी धरती से कवि का तात्पर्य यह है कि शासक अभिचारी और विलासी हो गया है वह अपना प्रजाहित में कार्य न कर केवल तलवार की ताकत से अंतिम सत्ता को सुरक्षित रखता है। ऐसे निरंकुश शासक का प्रतिकार कवि, कलाकार एवं उज्जवल चरित्र के धनी, ज्ञानी व्यक्ति ही कर सकते है। जब तक चरित्रवान कलाकारों और बुद्धिमानों

का समाज में सम्मान नहीं होगा तब तक आग में पड़ी धरती कराहती रहेगी और उसका भार कम नहीं होगा।

अथवा

नई इबारत कविता के माध्यम से कवि भवानी प्रसाद मिश्र ने व्यक्ति को निरन्तर आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है। निष्क्रीय रहने के कारण हमारा जीवन अर्थ पूर्ण नहीं हो पाता है कुछ रचते हुए और कर्मरत रहकर ही जीवन को सार्थक बनाया जा सकता है। प्रकृति की कर्मशीलता से प्ररेणा लेकर जीवन में कठिनाईयों का सामना दृढ निश्चय से करते हुए आगे बढना ही श्रेयस्कर है इसी में जीवन की सार्थकता है। इस प्रकार निरन्तर कार्यशील होने के महत्व को कवि ने प्रतिपादित किया है।

उत्तर 13. दो बैलों की कथा प्रेमचन्द्र की मार्मिक कहानी है। प्रेमचन्द्र जी ने इस कहानी के माध्यम से मानवीय आचरण और अनुभूति को मनुष्य एवं पशुओं में समान रूप से चित्रित किया है। कहानीकार यह बताने में सफल रहा है कि सामान्य मनुष्य की तरह पशुओं में हर्ष विषाद, सुख–दुख और अपने पराए की अनुभूति होती है। हीरा और मोती नाम के दो बैलों के माध्यम से कथाकार ने मनुष्य और पशु के बीच संवेदना स्थापित की है तथा जीवन मूल्यों का विस्तार किया है।

अथवा

मिठाई वाले की चारित्रिक विशेषताएं निम्नानुसार है–

1. संवदेनशीलता 2. सर्मपणशीलता 3. वात्सल्यता
4. विनम्रता 5. संघर्षशीलता 6. आत्मीयता

उत्तर 14. शक्तिसिंह के स्वभाव में परिवर्तन परिस्थिति वश आया है। शक्तिसिंह स्वभावतः देश के प्रति निष्ठा न रखने वाले व्यक्ति थे। किन्तु महाराणा प्रताप के अद्‌भुत संघर्ष, देश भक्ति का उत्कृष्ट भाव, पराक्रम को देखकर शक्तिसिंह को अपनी कायरता एवं गद्‌दारी से ग्लानि हुई तथा उसने अपने स्वभाव के विपरीत अपने भाई महाराणा प्रताप की जीवन रक्षा के लिये अपना संकल्प बदल दिया।

अथवा

राजेन्द्र बाबू की सहधर्मिणी एक सामान्य महिला के रूप में कार्य करती थी। रसोई घर में स्वयं खाना पकाती थी। सभी को खाना खिलाती थी तथा अन्त तक सामान्य भारतीय गृहिणी के समान पति, परिवार तथा परिजनों को खिलाने के उपरान्त स्वयं ग्रहण करती थी।

उत्तर 15. गांधी जी की दृष्टि में सर्वधर्म सद्भावना का उदय उनके उदार पारिवारिक वातावरण के कारण हुआ। उसमें से कुछ प्रसंग इस प्रकार है –

1. उनके घर में रामायण का पारायण होता था।
2. एकादशी के दिन व्रत रखा जाता था।
3. राजकोट में सब सम्प्रदायों के प्रति समान भाव रखने की प्रेरणा मिलती थी।
4. उनके माता–पिता वैष्णव मंदिर शिवालय में और राम मंदिर में भी जाते थे।
5. गांधीजी के पिता के मुस्लिम एवं पारसी मित्र भी थे।

इन्हीं कारणों से गांधीजी में सर्वधर्म समभाव का उदय हुआ।

अथवा

कुंभाराम प्रतिदिन सुबह स्नान करके मंदिर जाता। सारे रास्ते में जोर–जोर से चिल्लाकर श्लोक पढ़ता था। उसने जंगल की ठेकेदारी की कमाई से गांव में मंदिर व एक धर्मशाला का निर्माण कराया था। इसके अलावा उसके गले पर तुलसी की ढेर सारी माला, माथे पर चंदन का तिलक लगा रहता था। इन्हीं कारणों से कुंभाराम स्वयं को आस्तिक मानता था।

उत्तर 16. **पद्यांश की व्याख्या –** संदर्भः– प्रस्तुत पंक्तियां प्रकृति के सुकुमार कवि श्री सुमित्रानंदन पंत द्वारा रचित "ग्राम–श्री" पाठ से अवतरित हैं।

प्रसंग– इन पंक्तियों में ग्राम के सौन्दर्य का सजीव वर्णन किया गया है।

व्याख्या – पन्त जी का कथन है कि नील मणि के डिब्बे के समान खुला सुन्दर सा ग्राम नीले आसमान से आच्छादित है। गाँव सुन्दर बर्फ के समान कोमल शांत अपने आप में स्वयं की सुन्दरता को समेटे हुए ग्रामीण जन को लुभाने वाला सा प्रतीत होता है।

अथवा

संदर्भः– प्रस्तुत पद्यांश प्रसिद्ध कवि बिहारी द्वारा रचित ''बिहारी के दोहे'' से अवतरित किया गया है।

प्रसंग– इन पक्तियों में कवि ने श्रीकृष्ण की बांसुरी के बदलते स्वरूप का वर्णन किया है।

व्याख्या– श्रीकृष्ण जब अपने ओठों पर हरे बांस की बासुरी को रखते है तब वह बांसुरी इन्द्र धुनष के समान प्रतीत होती है।

प्रश्न 17. **गद्यांश की व्याख्या –** स्वामी विवेकानन्द ने शिक्षा के स्वरूप और उसके उद्देश्य को मोलिक रूप से व्यक्त किया है उनका मानना है कि विश्व का असीम ज्ञान मनुष्य के मन में समाहित है और शिक्षा इसी ज्ञान का अनावरण करती हैं। शिक्षा सकारात्मक सोच

को जगाती है और यह सोच ही मनुष्य की प्रतिष्ठा का आधार है। शिक्षा जीवन निर्माण और चरित्र निर्माण में विशेष सहायक है। स्वामी विवेकानंद की दृष्टि में शिक्षा मानसिक बल बढ़ाकर बुद्धि का विकास करती है।

उत्तर 18. अपठित पद्यांश –

1. उचित शीर्षक – ''पावस ऋतु'' या ''वर्षा ऋतु'' अथवा इससे मिलता जुलता कोई अन्य शीर्षक हो सकता है।
2. मोर अपनी प्रसन्नता नृत्य करके व्यक्त करता है।
3. आकाश से बरसाती बादल वन–उपवन में नए अंकुरों पीले–पीले पत्तों, हरियाली तथा मोर के सुन्दर नृत्य का दृश्य देख रहे हैं।

उत्तर 19. अपठित गद्यांश –

1. उचित शीर्षक – शिक्षा या अन्य कोई मिलता जुलता शीर्षक हो सकता है।
2. शिक्षा हमें सम्पूर्ण मानव बनाती है आज की शिक्षा प्रणाली में समग्रता का अभाव है तथा एकाकी पन को बढ़ावा देने का भाव है। आज जरूरत इस बात की है कि शिक्षा नौकरी का माध्यम न हो कर ज्ञान और विवेक का माध्यम बने।
3. भौतिक वादी युग से तात्पर्य सुख पाना मात्र रह गया है।
4. वर्तमान शिक्षा प्रणाली हमें सम्पूर्ण मनुष्य न बनाकर केवल नौकरी पाना तक ही सीमित कर देती है। इसलिए वर्तमान शिक्षा प्रणाली को दोषपूर्ण कहा गया है।

उत्तर–20. पत्र लेखन अथवा आवेदन पत्र।

प्रिय मित्र,

सप्रेम नमस्ते।

मैं यहाँ पर सानंद हूँ आशा है तुम भी कुशलतापूर्वक होगे। मेरे जन्मदिन पर तुम्हारे द्वारा दिया गया उपहार प्रेमचन्द जी का साहित्य देखकर हमारे सभी मित्र बहुत प्रसन्न हुए इस उपहार की उन्होंने खुलकर प्रशंसा की, मुझे भी तुम्हारा उपहार प्रेरणादायक लगा क्योंकि प्रेमचन्द जी का साहित्य हमारे लिये अनोखा और आश्चर्य जनक था।

मेरे माता–पिता भी तुम्हारे इस उपहार को देखकर अत्यधिक प्रसन्न हुए और तुम्हारी इस रूचि की उन्होंने बहुत सराहना की। मैं हृदय से तुम्हें धन्यवाद देता हूँ।

अपने माताजी– पिताजी को मेरा प्रणाम। छोटू एवं पिंटू को प्यार।

तुम्हारा मित्र
अ.ब.स

प्रति,

राकेश भार्गव
3/17 तुलसी नगर, भोपाल

अथवा

प्रति,

सम्पादक महोदय,
दैनिक,
जबलपुर (मध्यप्रदेश)

महोदय,

निवेदन है कि आप अपने लोकप्रिय समाचार पत्र में मेरी इस समस्या को प्रकाशित करने की कृपा करें। प्रायः देखा गया है कि विभिन्न राजनीतिक दल चुनाव के द्वारा निर्वाचन आयोग के निर्देशों का पूर्णतया पालन नही करते। शहर की सुन्दरता को स्थान–स्थान पर नारे लिखकर तथा पोस्टर चिपका कर गंदा कर देते है। सुन्दर सी दीवारों पर बद्नुमा धब्बे देख कर मन खिन्न हो जाता है। सुन्दर शहर को इस तरह गंदा करने की प्रवृति निश्चित रूप से सही नहीं है।

अतः आप के माध्यम से शासन का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ कि नाने लिखना एवं पोस्टर चिपकाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करें।

धन्यवाद।
दिनॉक –

भवदीय
अ,ब,स

उत्तर–21. निबन्ध लेखन के अन्तर्गत मौलिकता को ध्यान में रख कर दिये गये बिन्दुओं के आधार पर छात्र विस्तार देने का प्रयास करेंगे।

01. विषय की प्रस्तावना।
02. विषय का महत्व।
03. विषय में सम्भावनाएं।
04. विषय का विस्तार।

———000———